

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5-18/2020/10-2
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 21/02/2025

ए.आई.जी. (एफ.सी.)

भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन,
जोर बाग अलीगंज रोड
नई दिल्ली - 110003।

विषय:- Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for diversion of 66.02 ha (57 ha mining lease and 9.02 ha approach road) of forest land for Chhotedongar Iron Ore Mine in favour of M/s Bajrang Power & Ispat in Narayanpur district of Chhattisgarh- regarding.

- संदर्भ:-** 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-10/2024-FC, दिनांक 04.07.2024।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/खनिज/331-230/170, दिनांक 20.01.2025।

---00---

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 दिनांक 04.07.2024 के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

2/- उक्त जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 2 दिनांक 20.01.2025 के माध्यम से प्रेषित की गई है, जिसकी छायाप्रति समस्त संलग्नको सहित उचित कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (204 पृष्ठीय)।


(डी.आर.सोन्टापर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5-18/2020/10-2

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 21/02/2025

प्रतिलिपि:-

- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
 - मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
 - वनमंडलाधिकारी नारायणपुर वनमंडल, छत्तीसगढ़।
 - मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम बोरझरा, उरला गुमा रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-230/ 170

रायपुर, दिनांक 20/01/2025

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय:- Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for diversion of 66.02 ha (57 ha mining lease and 9.02 ha approach road of forest land for Chhotedongar Iron Ore Mine M/s Bajrang Power&Ispat Ltd. in Narayanpur district of Chhattisgarh- regarding.

- संदर्भ:-**
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 05.07.2024
 2. छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक / एफ 5 -18 / 2020 /10-2 दिनांक 23.07.2024
 3. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर का पत्र क्रमांक/ त.अ./ 2024/ 3745 दिनांक 16.12.2024

-000-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भ पत्र-1 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 05.07.2024 द्वारा प्रकरण में 07 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है, जिसकी संसूचना संदर्भ पत्र-2 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त के अनुक्रम में संदर्भ पत्र-3 के माध्यम से बिन्दुवार जानकारी मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर के माध्यम से अनुसंसा सहित इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जो निम्नानुसार है:-

क्रं.	अतिरिक्त बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The State Government vide letter dated 30.11.2016 Submitted the proposal in favour of M/s Shri Bajrang Power and Ispat Limited under Section 2 (iii) of FCA, 1980 over 66.02 ha Chhotedongar Iron Ore Mines. The said Proposal was considered in Advisory Committee meeting held on 26.12.2016 and Advisory Committee recommended that "On analysis through DSS it is learnt that the proposed forest land for diversion is in the middle of very dense forest land any intervention is expected to change the adjoining pristine forest. FAC do not recommend the proposal for diversion". After its acceptance of the competent authority, Ministry vide letter no. 8-64/2016-FC dated 09.03.2017 rejected the proposal under	राष्ट्र की वृद्धि और विकास के लिये पृथ्वी की सतह पर पाये जाने वाले खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है चूंकि खनिजों का खनन एक विशिष्ट परियोजना के अंतर्गत आता है। प्रस्तावित छोटेटोंगर लौह अयस्क खदान एक विशिष्ट खनन परियोजना है जिसमें कुल 66.02 हे. (खनन क्षेत्र 57 हे. एवं पहुँच मार्ग 9.02 हे.) वन क्षेत्र शामिल है, एवं उपयुक्त निर्दिष्ट परियोजना के लिये कोई बैकलपित साईट नहीं है, तथा वर्तमान में प्रस्तावित परियोजना के 3 किलोमीटर के दायरे के भीतर एक लौह अयस्क खदान संचालित है, और इससे आसपास की प्राचीन वन भूमि में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा, अपितु इस परियोजना की मंजूरी से स्थानीय आदिवासी, जन जातियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे एवं राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

क्र.	अतिरिक्त बिन्दु	प्रतिवेदन
	Section 2 (iii) of FCA 1980. Now the State Government has submitted the same proposal under Section-2 (1) (ii) of Van (Sanrakshan avam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 that any cogent justification/clarification or new facts submitting the proposal under Section-2 (1) (ii) of Adhiniyam. The same needs to be submitted.	
2	State Government has not submitted valid Letter of Intent (LOI) along with the proposal. The same needs to be submitted to the Ministry and uploaded on PARIVESH portal.	छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी (L.O.I) पत्र क्रमांक एफ. -3-23/2010/12 दिनांक 24.12.2014 एवं क्रमांक एफ. -3-23/2010/12 दिनांक 04.03.2016 की छायाप्रति संलग्न है (अनुलग्नक I) एवं उक्त (L.O.I) पक्ष की वैधानिक स्थिति की जानकारी छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ. -3-23/2010/12 दिनांक 30.05.2017 की छायाप्रति संलग्न है (अनुलग्नक II)
3	State Government has submitted a copy of approved Mining plan along with the proposal which was valid up to 14.12.2021. In this regard, the State Government shall provide a copy of valid approved Mining plan and upload the same PARIVESH portal.	भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर का पत्र क्रमांक/NPR/ FE/MPLN-1159/NPG दिनांक 21.03.2016 के द्वारा 5 वर्ष के लिये खनन योजना का अनुमोदन किया गया है। तथा खनिज रियायत नियम 17(1)2016 के अनुसार खनन योजना की वैधता खनन पट्टा के निष्पादन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी और उक्त खदान का खनन पट्टा अभी निष्पादित होना बाकी है। खनन योजना के अनुमोदन पत्र की प्रति और खनिज रियायत नियम 17(1)2016 की छायाप्रति क्रमशः अनुलग्नक -III, अनुलग्नक - III B संलग्न है।
4	The details of proposal reclamation/back-filled area the end of mine life has not been given in project report. The same needs to be submitted. Cost benefit analysis has been submitted by the State Government The same needs to be submitted.	स्वीकृत खनन योजना के अनुसार खदान अवधि के अंत तक का प्रस्तावित पूनःग्रहण/बैकफिल्ड का विवरण नीचे दिया गया है :- चूंकि खनन टॉप स्लाइसिंग विधि द्वारा किया जाएगा, इस लिये पहाड़ी की उचाई कम हो जायेगी और एक हिस्सा पिट में परिवर्तित हो जायेगा और कुछ हिस्सा वर्किंग फेस/बेंच में परिवर्तित होगा, खनन क्षेत्र को बैकफिलिंग के माध्यम से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता एवं मेजर पिट को जल भण्डार में परिवर्तित कर दिया जायेगा। अनुमोदित खनन योजना के प्रासंगिक पृष्ठ की छायाप्रति अनुलग्नक IV संलग्न है। लागत लाभ विश्लेषण रिपोर्ट तैयार कर ली गई है तथा उसकी छायाप्रति अनुलग्नक-V संलग्न है।

क्रं.	अतिरिक्त बिन्दु	प्रतिवेदन																		
5	Compensatory Afforestation has been proposal over 66.02 ha non-forest land and KML file is also submitted for the same, whereas, CA scheme and suitability certificate has been submitted for 76.916 ha. by DFO concerned. In this regard, clarification may be submitted by the State Government whether CA land will be carried out in 76.916 ha or in 66.02 ha. accordingly, revised CA details needs to be submitted.	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित रकबा -66.02 हे. के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 66.065 हे. का उपयुक्ता प्रमाण पत्र एवं संशोधित सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण योजना की प्रति क्रमशः अनुलग्नक- VI, VII एवं VIII संलग्न है।																		
6	Analysis of the area proposed for diversion using DSS analysis revealed the following :-																			
a	Calculated area of Shape file/KML file of Forest land proposed for diversion is found 65.778 Ha (software calculated) instead of 66.02 ha as per the proposal. KML file may be verified again and correct KML file for exact area proposed for diversion needs to be submitted.	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 66.02 हे. वन क्षेत्र का शेप फाईल/के.एम.एल. फाईल एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट की प्रति अनुलग्नक - IX संलग्न है।																		
b	Further, Software calculated area of the proposed CA land is found to 65.708 ha instead of 66.02 ha. KML file may be verified again and correct KML file for exact area proposed for diversion needs to be submitted.	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 66.02 हे. वन क्षेत्र के विरुद्ध ग्राम बाटा, डुमरखोली, टाटाझरिया, सोनपुर में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 66.065 हे. का संशोधित के.एम.एल. फाईल संलग्न है।																		
c	KML file of Mining lease boundary is found shifted from the KML file of proposed forest land. The State Government is requested to verify and upload the correct KML file of Mining lease on PARIVESH portal	छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ.-3-23/2010/12 दिनांक 04.03.2016 के द्वारा 57.00 हे.से अधिक पट्टा क्षेत्र के लिए संशोधित (एल.ओ.आई.) जारी की गई है। जिसमें निम्नालिखित वन कक्ष क्रमांक शामिल है :- <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रं.</th><th>कक्ष क्रमांक</th><th>रकबा हे. में.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>RF 2180 (252)</td><td>20.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>RF 2184 (267)</td><td>20.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>RF 2179 (268)</td><td>14.00</td></tr> <tr> <td>4</td><td>RF2185 (269)</td><td>3.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Area-</td><td>57.00</td></tr> </tbody> </table> उपरोक्त अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा खनन पट्टे के साथ- साथ पहुँच मार्ग का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का संशोधित के.एम.एल फाईल सॉफ्ट कॉपी में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। संशोधित के.एम.एल फाईल संलग्न है।	क्रं.	कक्ष क्रमांक	रकबा हे. में.	1	RF 2180 (252)	20.00	2	RF 2184 (267)	20.00	3	RF 2179 (268)	14.00	4	RF2185 (269)	3.00	Total Area-		57.00
क्रं.	कक्ष क्रमांक	रकबा हे. में.																		
1	RF 2180 (252)	20.00																		
2	RF 2184 (267)	20.00																		
3	RF 2179 (268)	14.00																		
4	RF2185 (269)	3.00																		
Total Area-		57.00																		

क्रं.	अतिरिक्त बिन्दु	प्रतिवेदन																											
d	Component wise breakup has been given for an area of 16.318 ha instead 66.02 ha proposed forest land. Further, KML file of safety zone has also been not uploaded on PARIVESH portal. Therefore, the State Government is requested to provide/submit the KML files indicating the different components depicting the various project components as per the approved mining plan.	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित रकबा - 57.00 हे. का घटकवार एम्. एल. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:- <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रं.</th><th>कार्य विवरण</th><th>रकबा हे. में.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>i</td><td>Quarry</td><td>6.930</td></tr> <tr> <td>ii</td><td>Dump</td><td>2.698</td></tr> <tr> <td>iii</td><td>Road within ML area</td><td>2.480</td></tr> <tr> <td>iv</td><td>Infrastructure</td><td>0.310</td></tr> <tr> <td>v</td><td>Plantation</td><td>2.110</td></tr> <tr> <td>vi</td><td>SZ(Undisturbed)</td><td>2.590</td></tr> <tr> <td>vii</td><td>Un-disturbed area</td><td>39.882</td></tr> <tr> <td colspan="2">Sub Total :-</td><td>57.00</td></tr> </tbody> </table> इसके अतिरिक्त 9.02 हे. भूमि का उपयोग खनन पट्टा क्षेत्र तक पहुँच मार्ग हेतु प्रस्तावित है। अतः व्यपवर्तन हेतु कुल प्रस्तावित रकबा - 57.00 9.02 = 66.02 हे. है।	क्रं.	कार्य विवरण	रकबा हे. में.	i	Quarry	6.930	ii	Dump	2.698	iii	Road within ML area	2.480	iv	Infrastructure	0.310	v	Plantation	2.110	vi	SZ(Undisturbed)	2.590	vii	Un-disturbed area	39.882	Sub Total :-		57.00
क्रं.	कार्य विवरण	रकबा हे. में.																											
i	Quarry	6.930																											
ii	Dump	2.698																											
iii	Road within ML area	2.480																											
iv	Infrastructure	0.310																											
v	Plantation	2.110																											
vi	SZ(Undisturbed)	2.590																											
vii	Un-disturbed area	39.882																											
Sub Total :-		57.00																											
e	Some patches of proposed CA land located in the villages namely Dumarkholi and Bata are falling in the forest compartment boundary. The same needs to be revisited by the State Government and revised/correct KML files needs to be submitted.	ग्राम बाटा कुल खसरा नं. 19 रकबा 28.525 हे. एवं ग्राम डूमरखोली कुल खसरा नं. 17 रकबा 24.813 हे. क्षेत्र वन कक्षा क्रमांक पी 3232 एवं 3231 के बाहर है। एवं वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित निजी भूमि पर किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं पाया गया और न ही वन क्षेत्र में ओवरलेप हो रहा है। पत्र की छायाप्रति संलग्न है।																											
f	Presence of Agriculture land and settlements are clearly visible in the proposed CA land. The State Govt. may offer comments in this regard.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं किये जाने का उल्लेख है।																											
7	DFO, Balrampur has given Site Suitability Certificate for CA land without mentioning whether the land is free from encroachment and encumbrances. A certificate that the land is free for encroachment and encumbrances shall be submitted.	संशोधित वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्ता प्रमाण पत्र सहित 10 वर्षीय सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण परियोजना प्राक्कलन संलग्न है।																											

अतः संदर्भ पत्र-1 के अनुक्रम में मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर से प्राप्त 07 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानाकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु मय संलग्नों सहित प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्र./वन (सं. एवं सं.)अ)
छत्तीसगढ़
रायपुर, दिनांक 26/01/2025

पृ. क्र./सू-प्रबंध/खनिज/331-230/171

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- मुख्य वन संरक्षक, कांकेर, वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- वन मंडलाधिकारी, नारायणपुर वन मंडल, नारायणपुर, छत्तीसगढ़।
- मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम बोरझारा, उरला गुमा रोड रायपुर, छ.ग.।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्र./वन (सं. एवं सं.)अ)
छत्तीसगढ़

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)



ccfkanker3@gmail.com



(07868) 222014



(07868) 222472

क्रमांक/त.अ./2024/3745
प्रति,

कांकेर, दिनांक/16/12/2024

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू-प्रबंध)

छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर।

विषय :-

Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2 (i) (ii) the van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for Diversion of 66.020 ha. (57 ha. mining lease and 9.02 ha. approach road) of Forest land for Chhotedongar Iron Ore Mine M/s Bajrang Power & Ispat Ltd. in Narayanpur District of Chhattisgarh-regarding.

संदर्भ :-

1. आपका पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/खनिज/331-230/1750 दिनांक 16.7.2024, 2402 दिनांक 27.9.2024

2. वन मण्डलाधिकारी नारायणपुर के पत्र क्र./मा.वि./2024/5169 दिनांक 11.12.2024

—00—

विषयांतर्गत निवेदन है कि मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड रायपुर द्वारा नारायणपुर वनमंडल के ग्राम छोटेडोंगर (छोटेडोंगर आयरन ओर माईनिंग) जिला नारायणपुर में प्रस्तावित लीज एरिया 57.00 हे. तथा पहुँच मार्ग 9.02 हे. कुल रकबा 66.020 हे. वन भूमि में खनिपट्टा के लिए प्रेषित प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 5.7.2024 द्वारा प्रकरण में 07 बिन्दुओं की चाही गई अतिरिक्त जानकारी वन मण्डलाधिकारी नारायणपुर ने अपने संदर्भित पत्र (अ.क्र.2) द्वारा अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	अतिरिक्त बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The State Government vide letter dated 30.11.2016 Submitted the proposal in favour of M/s Shri Bajrang Power and Ispat Limited under Section 2 (iii) of FCA, 1980 over 66.02 ha Chhotedongar Iron Ore Mines. The said Proposal was considered in Advisory Committee meeting held on 26.12.2016 and Advisory Committee recommended that "On analysis through DSS it is learnt that the proposed forest land for diversion is in the middle of very dense forest land any intervention is expected to change the adjoining pristine forest. FAC do not recommend the proposal for diversion". After its acceptance of the competent authority, Ministry vide letter no. 8-64/2016-FC dated 09.03.2017 rejected the proposal under Section 2 (iii) of FCA 1980. Now the State Government has submitted the same proposal under Section-2 (1) (ii) of Van (Sanrakshan avam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 that any cogent justification/clarification or new facts submitting the proposal under Section-2 (1) (ii) of Adhiniyam. The same needs to be submitted.	राष्ट्र की वृद्धि और विकास के लिये पृथ्वी की सतह पर पाये जाने वाले खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है चूँकि खनिजों का खनन एक विशिष्ट परियोजना के अंतर्गत आता है। प्रस्तावित छोटेडोंगर लौह अयस्क खदान एक विशिष्ट खनन परियोजना है जिसमें कुल 66.02 हे. (खनन क्षेत्र 57 हे. एवं पहुँच मार्ग 9.02 हे.) वन क्षेत्र शामिल है, एवं उपयुक्त निर्दिष्ट परियोजना के लिये कोई वैकल्पित साईट नहीं है, तथा वर्तमान में प्रस्तावित परियोजना के 3 किलोमीटर के दायरे के भीतर एक लौह अयस्क खदान संचालित है, और इससे आसपास की प्राचीन वन भूमि में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा, अपितु इस परियोजना की मंजूरी से स्थानीय आदिवासी, जन जातियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे एवं राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

क्र.	अतिरिक्त बिन्दु	प्रतिवेदन
2	State Government has not submitted valid Letter of Intent (LOI) along with the proposal. The same needs to be submitted to the Ministry and uploaded on PARIVESH portal.	छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी (L.O.I) पत्र क्रमांक एफ.-3-23/2010/12 दिनांक 24.12.2014 एवं क्रमांक एफ.-3-23/2010/12 दिनांक 04.03.2016 की छायाप्रति संलग्न है (अनुलग्नक I) एवं उक्त (L.O.I) पक्ष की वैधानिक स्थिति की जानकारी छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ.-3-23/2010/12 दिनांक 30.05.2017 की छायाप्रति संलग्न है (अनुलग्नक II)
3	State Government has submitted a copy of approved Mining plan along with the proposal which was valid up to 14.12.2021. In this regard, the State Government shall provide a copy of valid approved Mining plan and upload the same PARIVESH portal.	भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर का पत्र क्रमांक/NPR/FE/MPLN-1159/NPG दिनांक 21.03.2016 के द्वारा 5 वर्ष के लिये खनन योजना का अनुमोदन किया गया है। तथा खनिज रियायत नियम 17(1)2016 के अनुसार खनन योजना की वैधता खनन पट्टा के निष्पादन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी और उक्त खदान का खनन पट्टा अभी निष्पादित होना बाकी है। खनन योजना के अनुमोदन पत्र की प्रति और खनिज रियायत नियम 17(1)2016 की छायाप्रति क्रमशः अनुलग्नक -III, अनुलग्नक - III B संलग्न है।
4	The details of proposal reclamation/back-filled area the end of mine life has not been given in project report. The same needs to be submitted. Cost benefit analysis has been submitted by the State Government The same needs to submitted.	स्वीकृत खनन योजना के अनुसार खदान अवधि के अंत तक का प्रस्तावित पूर्णःग्रहण/बैकफिल्ड का विवरण नीचे दिया गया है :- चूंकि खनन टॉप स्लाइसिंग विधि द्वारा किया जाएगा, इस लिये पहाड़ी की उचाई कम हो जायेगी और एक हिस्सा पिट में परिवर्तित हो जायेगा और कुछ हिस्सा वर्किंग फेस/बेंच में परिवर्तित होगा, खनन क्षेत्र को बैकफिलिंग के माध्यम से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता एवं मेजर पिट को जल भण्डार में परिवर्तित कर दिया जायेगा। अनुमोदित खनन योजना के प्रासंगिक पृष्ठ की छायाप्रति अनुलग्नक IV संलग्न है। लागत लाभ विश्लेषण रिपोर्ट तैयार कर ली गई है तथा उसकी छायाप्रति अनुलग्नक-V संलग्न है।
5	Compensatory Afforestation has been proposal over 66.02 ha non-forest land and KML file is also submitted for the same, whereas, CA scheme and suitability certificate has been submitted for 76.916 ha. by DFO concerned. In this regard, clarification may be submitted by the State Government whether CA land will be carried out in 76.916 ha or in 66.02 ha. accordingly, revised CA details needs to be submitted.	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित रकबा -66.02 हे. के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 66.065 हे. का उपयुक्ता प्रमाण पत्र एवं संशोधित सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण योजना की प्रति क्रमशः अनुलग्नक- VI, VII एवं VIII संलग्न है।
6	Analysis of the area proposed for diversion using DSS analysis revealed the following :-	
a	Calculated area of Shape file/KML file of Forest land proposed for diversion is found 65.778 Ha (software calculated) instead of 66.02 ha as per the proposal. KML file may be verified again and correct KML file for exact area proposed for diversion needs to be submitted.	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 66.02 हे. वन क्षेत्र का शेप फाईल/के.एम. एल. फाईल एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट की प्रति अनुलग्नक - IX संलग्न है।

क्र.	अतिरिक्त बिन्दु	प्रतिवेदन																											
b	Further, Software calculated area of the proposed CA land is found to 65.708 ha instead of 66.02 ha. KML file may be verified again and correct KML file for exact area proposed for diversion needs to be submitted.	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 66.02 हे. वन क्षेत्र के विरुद्ध ग्राम बाटा, डुमरखोली, टाटाझरिया, सोनपुर में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 66.065 हे. का संशोधित के.एम.एल. फाईल संलग्न है।																											
c	KML file of Mining lease boundary is found shifted from the KML file of proposed forest land. The State Government is requested to verify and upload the correct KML file of Mining lease on PARIVESH portal	छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ.-3-23/2010/12 दिनांक 04.03.2016 के द्वारा 57.00 हे.से अधिक पट्टा क्षेत्र के लिए संशोधित (एल.ओ.आई.) जारी की गई है। जिसमें निम्नालिखित वन कक्ष क्रमांक शामिल है :- <table border="1"> <tr> <th>क्र.</th><th>कक्ष क्रमांक</th><th>रकबा हे.में.</th></tr> <tr> <td>1</td><td>RF 2180 (252)</td><td>20.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>RF 2184 (267)</td><td>20.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>RF 2179 (268)</td><td>14.00</td></tr> <tr> <td>4</td><td>RF2185 (269)</td><td>3.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Area-</td><td>57.00</td></tr> </table> उपरोक्त अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा खनन पट्टे के साथ-साथ पहुँच मार्ग का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का संशोधित के.एम.एल फाईल सॉफ्ट कॉपी में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। संशोधित के.एम.एल फाईल संलग्न है।	क्र.	कक्ष क्रमांक	रकबा हे.में.	1	RF 2180 (252)	20.00	2	RF 2184 (267)	20.00	3	RF 2179 (268)	14.00	4	RF2185 (269)	3.00	Total Area-		57.00									
क्र.	कक्ष क्रमांक	रकबा हे.में.																											
1	RF 2180 (252)	20.00																											
2	RF 2184 (267)	20.00																											
3	RF 2179 (268)	14.00																											
4	RF2185 (269)	3.00																											
Total Area-		57.00																											
d	Component wise breakup has been given for an area of 16.318 ha instead 66.02 ha proposed forest land. Further, KML file of safety zone has also been not uploaded on PARIVESH portal. Therefore, the State Government is requested to provide/submit the KML files indicating the different components depicting the various project components as per the approved mining plan.	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित रकबा - 57.00 हे. का घटकवार एम.एल. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:- <table border="1"> <tr> <th>क्र.</th><th>कार्य विवरण</th><th>रकबा हे.में.</th></tr> <tr> <td>i</td><td>Quarry</td><td>6.930</td></tr> <tr> <td>ii</td><td>Dump</td><td>2.698</td></tr> <tr> <td>iii</td><td>Road within ML area</td><td>2.480</td></tr> <tr> <td>iv</td><td>Infrastructure</td><td>0.310</td></tr> <tr> <td>v</td><td>Plantation</td><td>2.110</td></tr> <tr> <td>vi</td><td>SZ(Undisturbed)</td><td>2.590</td></tr> <tr> <td>vii</td><td>Un-disturbed area</td><td>39.882</td></tr> <tr> <td colspan="2">Sub Total :-</td><td>57.00</td></tr> </table> इसके अतिरिक्त 9.02 हे. भूमि का उपयोग खनन पट्टा क्षेत्र तक पहुँच मार्ग हेतु प्रस्तावित है। अतः व्यपवर्तन हेतु कुल प्रस्तावित रकबा - 57.00 9.02 = 66.02 हे. है।	क्र.	कार्य विवरण	रकबा हे.में.	i	Quarry	6.930	ii	Dump	2.698	iii	Road within ML area	2.480	iv	Infrastructure	0.310	v	Plantation	2.110	vi	SZ(Undisturbed)	2.590	vii	Un-disturbed area	39.882	Sub Total :-		57.00
क्र.	कार्य विवरण	रकबा हे.में.																											
i	Quarry	6.930																											
ii	Dump	2.698																											
iii	Road within ML area	2.480																											
iv	Infrastructure	0.310																											
v	Plantation	2.110																											
vi	SZ(Undisturbed)	2.590																											
vii	Un-disturbed area	39.882																											
Sub Total :-		57.00																											
e	Some patches of proposed CA land located in the villages namely Dumarkholi and Bata are falling in the forest compartment boundary. The same needs to be revisited by the State Government and revised/correct KML files needs to be submitted.	वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल का पत्र क्रमांक/ मा.चि./2024/10122, दिनांक 03.09.2024 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ग्राम बाटा कुल खसरा नं. 19 रकबा 28.525 हे. एवं ग्राम डूमरखोली कुल खसरा नं. 17 रकबा 24.813 हे. क्षेत्र वन कक्ष क्रमांक पी 3232 एवं 3231 के बाहर है। एवं वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित निजी भूमि पर किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं पाया गया और न ही वन क्षेत्र में ओवरलेप हो रहा है। पत्र की छायाप्रति संलग्न है।																											

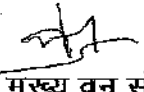
क्र.	अतिरिक्त बिन्दु	प्रतिवेदन
f	Presence of Agriculture land and settlements are clearly visible in the proposed CA land. The State Govt. may offer comments in this regard.	वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल का पत्र क्रमांक/ मा.चि./2024/10122, दिनांक 03.09.2024 के द्वारा प्राप्त 27/08/2024 का निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं किये जाने का उल्लेख है।
7	DFO, Balrampur has given Site Suitability Certificate for CA land without mentioning whether the land is free from encroachment and encumbrances. A certificate that the land is free for encroachment and encumbrances shall be submitted.	वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल का पत्र क्रमांक/मा.चि./2024/10997 दिनांक 09.10.2024 के द्वारा प्राप्त संशोधित वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्ता प्रमाण पत्र सहित 10 वर्षीय सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण परियोजना प्राक्कलन संलग्न है।

अतः वन मण्डलाधिकारी नारायणपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन अनुशंसा सहित सादर सम्प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

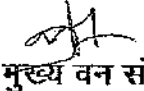
पृ.क्रमांक/त.अ./2024/ 3746
प्रतिलिपि :-

1. वन मण्डलाधिकारी नारायणपुर वनमंडल को उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
2. मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम बोरझारा, उरला गुमा रोड रायपुर को सूचनार्थ।


मुख्य वन संरक्षक,

कांकेर वृत्त, कांकेर

कांकेर, दिनांक/16/12/2024


मुख्य वन संरक्षक,
कांकेर वृत्त, कांकेर

6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, नारायणपुर वनमण्डल, नारायणपुर

Phone/Fax No. 07781-252228 (O), 252232 (R), E-mail - dfonpur1@gmail.com/ dfo-narayanpur.cg@gov.in

क्रमांक/मा0चि0/5169

नारायणपुर, दिनांक 11/12/2024

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
कांकर वृत्त कांकर

विषय :-

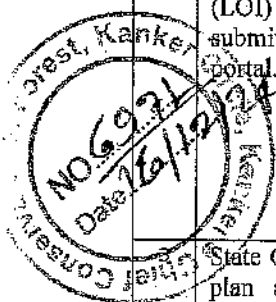
Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for diversion of 66.02 ha. (57 ha. mining lease and 9.02 ha. approach road of forest land for Chhotedongar Iron Ore Mine of M/S Shri Bajrang Power and Ispat Ltd. in Narayanpur district of Chhattisgarh-regarding.

संदर्भ :-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्र./वन(सं. एवं सं.) अ) छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/खनिज/331.230/1750, दिनांक 16.07.2024.

विषयांतर्गत निवेदन है कि, संदर्भित पत्र के द्वारा मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, छोटेंडोंगर लौह खदान के लिए 66.02 हेक्टेयर (57.00 हेक्टेयर खनन पट्टा और 9.02 हेक्टेयर वन भूमि के पहुँच मार्ग) से संबंधित प्रकरण में 87 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई हैं विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु	अनुपालन
1	The State Government vide letter dated 30.11.2016 Submitted the proposal in favour of M/s Shri Bajrang Power and Ispat Limited under Section 2 (iii) of FCA, 1980 over 66.02 ha Chhotedongar Iron Ore Mines. The said Proposal was considered in Advisory Committee meeting held on 26.12.2016 and Advisory Committee recommended that "On analysis through DSS it is learnt that the proposed forest land for diversion is in the middle of very dense forest land any intervention is expected to change the adjoining pristine forest. FAC do not recommend the proposal for diversion". After its acceptance of the competent authority, Ministry vide letter no. 8-64/2016-FC dated 09.03.2017 rejected the proposal under Section 2 (iii) of FCA 1980. Now the State Government has submitted the same proposal under Section-2 (1) (ii) of Van (Sanrakshan avam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 that any cogent justification/clarification or new facts submitting the proposal under Section-2 (1) (ii) of Adhiniyam. The same needs to be submitted.	राष्ट्र की वृद्धि और विकास के लिये पृथ्वी की सतह पर पाये जाने वाले खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है चूँकि खनिजों का खनन एक विशिष्ट परियोजना के अंतर्गत आता है। प्रस्तावित छोटेंडोंगर लौह अयस्क खदान एक विशिष्ट खनन परियोजना है जिसमें कुल 66.02 हे. (खनन क्षेत्र 57 हे. एवं पहुँच मार्ग 9.02 हे.) वन क्षेत्र शामिल है, एवं उपयुक्त निर्दिष्ट परियोजना के लिये कोई वैकल्पित साईट नहीं है, तथा वर्तमान में प्रस्तावित परियोजना के 3 किलोमीटर के दायरे के भीतर एक लौह अयस्क खदान संचालित है, और इससे आसपास की प्राचीन वन भूमि में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा, अपितु इस परियोजना की मंजूरी से स्थानीय आदिवासी, जन जातियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे एवं राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
2	State Government has not submitted valid Letter of Intent (LOI) along with the proposal. The same needs to be submitted to the Ministry and uploaded on PARIVESH portal.	छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी (L.O.I) पत्र क्रमांक एफ.-3-23/2010/12 दिनांक 24.12.2014 एवं क्रमांक एफ.-3-23/2010/12 दिनांक 04.03.2016 की छायाप्रति संलग्न है (अनुलग्नक I) एवं उक्त (L.O.I) पत्र की वैधानिक स्थिति की जानकारी छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ.-3-23/2010/12 दिनांक 30.05.2017 की छायाप्रति संलग्न है (अनुलग्नक II)
	State Government has submitted a copy of approved Mining plan along with the proposal which was valid up to 14.12.2021. In this regard, the State Government shall provide a copy of valid approved Mining plan and upload the same PARIVESH portal.	भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर का पत्र क्रमांक/NPR/FE/MPLN-1159/NPG दिनांक 21.03.2018 के द्वारा 5 वर्ष के लिये खनन योजना का अनुमोदन किया गया है। तथा खनिज रियायत नियम 17(1)2016 के अनुसार खनन योजना की वैधता खनन पट्टा के निष्पादन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी और उक्त खदान का खनन पट्टा अभी निष्पादित होना बाकी है।



		खनन योजना के अनुमोदन पत्र की प्रति और खनिज रियायत नियम 17(1)2016 की छायाप्रति क्रमशः अनुलग्नक -III-ए अनुलग्नक - III B संलग्न है।																		
4	The details of proposal reclamation/back-filled area the end of mine life has not been given in project report. The same needs to be submitted. Cost benefit analysis has been submitted by the State Government The same needs to be submitted.	स्वीकृत खनन योजना के अनुसार खदान अवधि के अंत तक का प्रस्तावित पूरा-ग्रहण/बैकफिल्ल का विवरण नीचे दिया गया है :- चूंकि खनन टॉप स्लाइसिंग विधि द्वारा किया जाएगा, इस लिये पहाड़ी की उचाई कम हो जायेगी और एक हिस्सा पिट में परिवर्तित हो जायेगा और कुछ हिस्सा वर्किंग फेस/बैंच में परिवर्तित होगा, खनन क्षेत्र को बैकफिलिंग के माध्यम से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता एवं मेजर पिट को जल भण्डार में परिवर्तित कर दिया जायेगा। अनुमोदित खनन योजना के प्रासंगिक पृष्ठ की छायाप्रति अनुलग्नक IV संलग्न है। लागत लाभ विश्लेषण रिपोर्ट तैयार कर ली गई है तथा उसकी छायाप्रति अनुलग्नक-V संलग्न है।																		
5	Compensatory Afforestation has been proposal over 66.02 ha non-forest land and KML file is also submitted for the same, whereas, CA scheme and suitability certificate has been submitted for 76.916 ha. by DFO concerned. In this regard, clarification may be submitted by the State Government whether CA land will be carried out in 76.916 ha or in 66.02 ha. accordingly, revised CA details needs to be submitted.	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित रकबा -66.02 हे. के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 66.065 हे. का उपयुक्ता प्रमाण पत्र एवं संशोधित सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण योजना की प्रति क्रमशः अनुलग्नक- VI,VII एवं VIII संलग्न है।																		
6	Analysis of the area proposed for diversion using DSS analysis revealed the following :-																			
a	Calculated area of Shape file/KML file of Forest land proposed for diversion is found 65.778 Ha (software calculated) instead of 66.02 ha as per the proposal. KML file may be verified again and correct KML file for exact area proposed for diversion needs to be submitted.	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 66.02 हे. वन क्षेत्र का शेप फाईल /के.एम. एल. फाईल एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट की प्रति अनुलग्नक - IX संलग्न है।																		
b	Further, Software calculated area of the proposed CA land is found to 65.708 ha instead of 66.02 ha. KML file may be verified again and correct KML file for exact area proposed for diversion needs to be submitted.	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 66.02 हे. वन क्षेत्र के विरुद्ध ग्राम बाटा, डुमरखोली, टाटाझरिया, सोनपुर में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 66.085 हे. का संशोधित के.एम.एल. फाईल संलग्न है।																		
c	KML file of Mining lease boundary is found shifted from the KML file of proposed forest land. The State Government is requested to verify and upload the correct KML file of Mining lease on PARIVESH portal	छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ.-3-23/2010/12 दिनांक 04.03.2016 के द्वारा 57.00 हे. से अधिक पट्टा क्षेत्र के लिए संशोधित (एल.ओ.आई.) जारी की गई है। जिसमें निम्नालिखित वन कक्ष क्रमांक शामिल है :- <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रं.</th><th>कक्ष क्रमांक</th><th>रकबा हे.में.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>RF 2180 (252)</td><td>20.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>RF 2184 (267)</td><td>20.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>RF 2179 (268)</td><td>14.00</td></tr> <tr> <td>4</td><td>RF2185 (269)</td><td>3.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Area-</td><td>57.00</td></tr> </tbody> </table> उपरोक्त अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा खनन पट्टे के साथ-साथ पहुँच मार्ग का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का संशोधित के.एम.एल. फाईल सॉफ्ट कॉपी में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। संशोधित के.एम.एल. फाईल संलग्न है।	क्रं.	कक्ष क्रमांक	रकबा हे.में.	1	RF 2180 (252)	20.00	2	RF 2184 (267)	20.00	3	RF 2179 (268)	14.00	4	RF2185 (269)	3.00	Total Area-		57.00
क्रं.	कक्ष क्रमांक	रकबा हे.में.																		
1	RF 2180 (252)	20.00																		
2	RF 2184 (267)	20.00																		
3	RF 2179 (268)	14.00																		
4	RF2185 (269)	3.00																		
Total Area-		57.00																		

d	Component wise breakup has been given for an area of 16.318 ha instead 66.02 ha proposed forest land. Further, KML file of safety zone has also been not uploaded on PARIVESH portal. Therefore, the State Government is requested to provide/submit the KML files indicating the different components depicting the various project components as per the approved mining plan.	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित रकबा - 57.00 हे. का घटकवार एन.एल. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:- <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th><th>कार्य विवरण</th><th>रकबा हे.न.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>i</td><td>Quarry</td><td>6.930</td></tr> <tr> <td>ii</td><td>Dump</td><td>2.698</td></tr> <tr> <td>iii</td><td>Road within ML area</td><td>2.480</td></tr> <tr> <td>iv</td><td>Infrastructure</td><td>0.310</td></tr> <tr> <td>v</td><td>Plantation</td><td>2.110</td></tr> <tr> <td>vi</td><td>SZ(Undisturbed)</td><td>2.590</td></tr> <tr> <td>vii</td><td>Un-disturbed area</td><td>39.882</td></tr> <tr> <td colspan="2">Sub Total :-</td><td>57.00</td></tr> </tbody> </table> इसके अतिरिक्त 9.02 हे. भूमि का उपयोग खनन पट्टा क्षेत्र तक पहुँच मार्ग हेतु प्रस्तावित है। अतः व्यपवर्तन हेतु कुल प्रस्तावित रकबा - 57.00 + 9.02 = 66.02 हे. है।	क्र.	कार्य विवरण	रकबा हे.न.	i	Quarry	6.930	ii	Dump	2.698	iii	Road within ML area	2.480	iv	Infrastructure	0.310	v	Plantation	2.110	vi	SZ(Undisturbed)	2.590	vii	Un-disturbed area	39.882	Sub Total :-		57.00
क्र.	कार्य विवरण	रकबा हे.न.																											
i	Quarry	6.930																											
ii	Dump	2.698																											
iii	Road within ML area	2.480																											
iv	Infrastructure	0.310																											
v	Plantation	2.110																											
vi	SZ(Undisturbed)	2.590																											
vii	Un-disturbed area	39.882																											
Sub Total :-		57.00																											
e	Some patches of proposed CA land located in the villages namely Dumarkholi and Bata are falling in the forest compartment boundary. The same needs to be revisited by the State Government and revised/correct KML files needs to be submitted.	वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल का पत्र क्रमांक/ मा.वि./2024/10122, दिनांक 03.09.2024 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ग्राम बाटा कुल खसरा नं. 19 रकबा 28.525 हे. एवं ग्राम डूमरखोली कुल खसरा नं. 17 रकबा 24.813 हे. क्षेत्र वन कक्षा क्रमांक पी 3232 एवं 3231 के बाहर है। एवं वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित निजी भूमि पर किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं पाया गया और न ही वन क्षेत्र में ओवरलेप हो रहा है। पत्र की छायाप्रति संलग्न है।																											
f	Presence of Agriculture land and settlements are clearly visible in the proposed CA land. The State Govt. may offer comments in this regard.	वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल का पत्र क्रमांक/ मा.वि./2024/10122, दिनांक 03.09.2024 के द्वारा प्राप्त 27/08/2024 का निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं किये जाने का उल्लेख है।																											
7	DFO, Balrampur has given Site Suitability Certificate for CA land without mentioning whether the land is free from encroachment and encumbrances. A certificate that the land is free for encroachment and encumbrances shall be submitted.	वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल का पत्र क्रमांक/ मा.वि./2024/10997 दिनांक 09.10.2024 के द्वारा प्राप्त संशोधित पैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त प्रमाण पत्र सहित 10 वर्षीय सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण परियोजना प्रावकलन संलग्न है।																											

अतः मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड छोटेडोंगर लौह अयस्क खदान के लिए 66.02 हेक्टेयर (57.00 हेक्टेयर खनन पट्टा और 9.02 हेक्टेयर वन भूमि के पहुँच मार्ग) से संबंधित प्रकरण में 07 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ० क्रमांक/ मा० वि० / 5170
प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (मू-प्रबंध/ व.स.अ.) अटल नगर नवा रायपुर छ० ग० की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. आवेदक संस्थान मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड ग्राम बोरझरा, उरला गुमा प्रौड रायपुर की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी
नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर
नारायणपुर, दिनांक 11.11.2024

वनमण्डलाधिकारी
नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर

1-2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

परियोजना प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ शासन



वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड खनिज लौह अयस्क परियोजना अंतर्गत
क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण

संस्थान का नाम - मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड ग्राम बोरझारा,
उरला गुमा रोड रायपुर

परियोजना अवधि : 2024-25 से 2033-24

कार्य स्थल का विवरण

परिसर	—	सेरेगदाग
उपवनक्षेत्र	—	सापरी
वन प्रबंधन समिति	—	टाटीझारिया
खसरा क्रमांक	—	195, 197, 200, 210, 209, 190, 192, 196, 198, 212, 213, 222, 204, 207, 219

प्रस्तावित रकबा	—	12.621	ha
प्राक्कलित राशि	—	14762532	

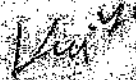
वन परिक्षेत्राधिकारी कुसमी

बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर

वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं काली राम वनपरिक्षेत्राधिकारी कुसमी परिक्षेत्र वनमण्डल बलरामपुर प्रमाणित करता हूँ कि ग्राम टाटाझरिया खसरा नं. 195, 197, 200, 210, 209, 190, 192, 196, 198, 212, 213, 222, 204, 207, 219 रकबा क्रमशः 0.913, 0.336, 2.784, 0.316, 0.652, 0.437, 1.096, 0.753, 0.539, 0.291, 1.011, 0.458, 0.575, 1.327, 1.133 कुल रकबा 12.621 हे. के परियोजना प्रतिवेदन में उल्लेखित समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी / वानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ।


वन परिक्षेत्राधिकारी

कुसमी

उपवनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं रविशंकर लाल श्रीवास्वत उप वनमण्डलाधिकारी राजपुर उप वनमण्डल बलरामपुर प्रमाणित करता हूँ कि ग्राम टाटाझरिया खसरा नं. 195, 197, 200, 210, 209, 190, 192, 196, 198, 212, 213, 222, 204, 207, 219 रकबा क्रमशः 0.913, 0.336, 2.784, 0.316, 0.652, 0.437, 1.096, 0.753, 0.539, 0.291, 1.011, 0.458, 0.575, 1.327, 1.133 कुल रकबा 12.621 हे. प्रतिवेदन में उल्लेखित समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके पर अवलोकन कर इस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप होता पाया गया। मैं इस परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूँ।


उप वनमण्डलाधिकारी

राजपुर

परियोजना प्रतिवेदन
राज्य कैम्पा निधि से सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

(रोपण हेतु प्रस्तावित शीशम, बीजा, हल्दु एवं गुण्डी आदि प्रजाति)

ग्राम टाटीवारावा

कुल एकड़ - 12.621 हे.

कुल 15 खसरा

रकबा क्रमशः (हे.)

195, 197, 200, 210, 209, 190, 192, 196, 198, 212, 213,
222, 204, 207, 219

0.913, 0.336, 2.784, 0.316, 0.652, 0.437, 1.096, 0.753, 0.539,
0.291, 1.011, 0.458, 0.575, 1.327, 1.133

मजदूरी दर -

345.00

प्रति दिवस

प्रथम वर्ष (2024-25)

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मादि	कुल राशि
1	2	3	4	5	मा.दि./रु.	राशि/इकाई	8	9
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
1.1	PCCF Job Rate 1.1.1	क्षेत्र का सीमांकन - 3 मी चौड़ी लाइन कटाई सफाई करना जो पी.एस. से सर्वे कर कंप्यूटर फाईल तैयार करते हुए सीमा में खुंटा लगाना।	12.621	Hect.	0.85	मा.दिवस/हे.	10.72785	3701.10825
1.2	PCCF Job Rate 1.1.2	वन सन्निधि उपचार मानचित्र बनाना तथा उपचार वर्ष को मानचित्र पर अंकित करना एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना	12.621	Hect.	0.25	मा.दिवस/हे.	3.15525	1088.56125
सर्वेक्षण एवं सीमांकन पर व्यय -								4789.6695
2		फंसिंग कार्य						
2.1		प्रोस्ट्रस्ड आर.सी.सी. पोल द्वारा चैनलिंग फंसिंग कार्य (प्रति हेक्टर पर 85 रनिंग मीटर) क्षेत्र की फंसिंग हेतु जी.पी.एस. ट्रेकिंग से प्राप्त सीमालाइन (पैरीमीटर) के आधार पर फंसिंग का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा इस हेतु मैपसोर्स (Mapsource) साफ्टवेयर से जी.पी.एस ट्रेकिंग मैप जिसमें Length of Perimeter के साथ Area दर्शित हो जाया जाना सुनिश्चित किया जावे।						
2.1.1	RES SOR 307	प्रोस्ट्रस्ड आर.सी.सी. पोल गाड़ने हेतु कड़ी मिट्टी/कठोर पृष्ठ में गड़वा खूदाई अंतराल 3x3 मीटर सपोर्टिंग पोल हेतु सहित साइज - 0.40x0.40x0.40 = 0.064 Cmt. x 32	25.848	Cmt.	247.70	Rs/Cmt.		6403
2.1.2	RES SOR 413 (6)	प्रोस्ट्रस्ड आर.सी.सी. पोल गाड़ने हेतु छोदे गये गड़बों में 148 सी.सी. का मिश्रण डालना एवं तलाई (उपयोग 40 एमएम मिट्टी). 32x0.40x0.40x0.10 = 0.512Cmt	6.462	Cmt.	3430.40	Rs/Cmt.		22167
2.1.3	CSIDC RC	प्रोस्ट्रस्ड आर.सी.सी. पोल क्रय लम्बाई 2.4 मीटर 10 प्रतिशत सपोर्टिंग पोल सहित) CSIDC Items code-700002957	404	No.	419.00	Rs/No.		169222
		GST 18%	404	No.	75.42	Nos		30460
		Inspection Charge 0.6% + 18% GST	404	No.	2.97	Nos		1199

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.4	RESSOR 413.416 (a)	प्रीस्ट्रेस्ड आर.सी.सी. पोल गाड़ने हेतु खोद गये गड्ढों में 124 सी.सी. दाय-प्रोल फिक्सिंग कार्य कराई सहित (विषयगत 20 एमएम गिटटी) $32 \times 0.40 \times 0.40 \times 0.30 = 1.536 \text{ Cmt.}$						
		(-) प्रीस्ट्रेस्ड आर.सी.सी. प्रोल साइज $32 \times 0.30 \times 0.10 \times 0.10 = 0.096 \text{ Cmt.}$						
		Net-	18.17	Cmt.	4550.90	Rs/Cmt.		82709
2.1.5	CSIDC RC	2.1 मीटर ऊंचाई की 50x50mm छेद वाली 4mm diameter वाली जी.आई. तार से निर्मित चैनलिंग लोहे की जाली कार्य						
		CSIDC Items code-700000162 (85x2.10=178.50sqm@4.5 kg/sqm = 803.25kg/ha.)	10137.82	kg	74.00	Rs/Kg		750199
		GST 18%	10137.82	kg	13.32	kg		135036
		Inspection Charge 0.6% + 18% GST	10137.82	kg	0.52	kg		5272
2.1.6	LMR	चैनलिंग लोहे की जाली प्रीस्ट्रेस्ड आर.सी.सी. पोल में 2mm diameter वाली जी.आई. तार/जी.आई. स्टेपल/जी.आई. यू नेक्स/स्टील पिन की सहायता से बांधकर टाइट करना।	2252.85	Sqm.	2.00	मा.दि./100 मीटर	4505.697	15545
2.1.7	RESSOR 1335 (b)	लोहे की चैनलिंग जाली में 03. तह में ब्रश से इनामेल रंगन करना $85 \times 2.10 \times 2 = 357/10 = 35.70 \text{ Sqm.}$	450.57	Sqm.	163.30	Rs/Sqm.		73578
		योग						1291789
2.1.8	Special Rate	ट्रक/वेल प्वाइन्ट से चैनलिंग जाली/प्रीस्ट्रेस्ड आर.सी.सी. पोल/सीमेंट/रेत/गिटटी कार्यस्थल तक परिवहन - सामग्री मूल्य का 2 प्रतिशत						25836
2.1.9		अन्य आकास्मिक व्यय कुल व्यय का 1 प्रतिशत						13326
		फेसिंग कार्य पर व्यय -						133095
		प्रति रनॉग मीटर फेसिंग कार्य पर व्यय						15658
		प्रति प्रोधा व्यय						13310

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मात्रा	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3		जड़ भंडार क्षेत्र उपचार कार्य						
3.1	PCCF Job Rate 3.16	टूट ड्रेनिंग-20 से.मी. से अधिक गोलाई वर्ग के कॉपिस प्रजाति के जीवित टूट एवं पीलाई का प्रतिकर्षन एवं अभिलेखन.	2.52	Hect.	9.75	मा.दिवस/हे.	25	8490.77775
3.2	PCCF Job Rate 12.2	क्षेत्र की सफाई 20 से.मी. गोलाई तक की अनुपयोगी कॉपिस देने वाली प्रजाति की आड़ी-टोही विह्वल अग्रिम पौध की कटाई एवं टूटों की ड्रेनिंग तथा सफाई	6.31	Hect.	5.00	मा.दिवस/हे.	31.5525	10886
3.3	Special Rate CAMPA	Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र व वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species की जड़ को गंती से खोदकर निकालना एवं गुंथे हुए मिट्टी को खोदकर निकालना निकालने के पर्याप्त ड्रेनिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर डेर लगाना एवं सुखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना (प्रथम वर्ष कार्य)	5.05	Hect.	30.00	मा.दिवस/हे.	151.452	52250.94
3.4	Special Rate CAMPA	क्षेत्र में स्थित अनुपयोगी झाड़ियों एवं अनुपयोगी टूटों को खोदकर कार्य स्थल से बाहर हटाना ।	3.79	Hect.	50.00	मा.दिवस/हे.	189.315	65313.675
जड़भंडार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय :-								136941
4		रोपणी में पौधा तैयारी :-						
4.1	Special Rate	30x45 से.मी. पॉलीपाट में रोई तथा मध्य विंदा के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक प्रोड्यूसिबिलिटी सहित)	14514	Plants	66.00	रुपये/पौध		957933.9
नर्सरी में पौध तैयारी कार्य पर प्रथम वर्ष व्यय								957933.9
5		रोपण क्षेत्र का उपचार						
5.2		स्टेकिंग कार्य :-						
5.2.1	PCCF Job Rate 14.3	3x3 मी. अंतराल में मिश्रित पौधा रोपण हेतु	12621	Pits	3.50	मा.दि/हजार	44.17	15240
स्टेकिंग कार्य पर व्यय :-								15240
5.3	Special Rate	मिट्टी परीक्षण	LS					12621
5.4		गड्ढों की खुदाई						
5.4.1	PCCF Job Rate 15.23	मिश्रित पौधा रोपण हेतु 3x3 मीटर की अंतराल में 60x60x60 से.मी. आइज के कड़ी मिट्टी में गड्ढा खुदाई कार्य (क्षेत्र में 50% कड़ी मिट्टी एवं 50% नरम मुलमी मिट्टी मानकर दर निर्धारित किया गया)	12621	Pits	12.00	मा.दि/सेकड़ा	1514.52	522509.4

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मादि.	कुल राशि
					मादि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.42	Market Rate	गडदों की 50 प्रतिशत मिट्टी परिवर्तन हेतु सपजाऊ मिट्टी परिवर्तन 60x60x60=0.216 Cmt x 1000 = 216.00 Cmt / 2	1363	Cum	325.00	रुपये/प्र.मी.		442997.1
रोपण सपचार एवं गडदों खुदाई कार्य पर कुल व्यय								982008
6	PCCF Job Rate & RES.SOR	मू-जल संरक्षण कार्य- क्षेत्र के निरीक्षण उपरान्त आवश्यकतानुसार मू-जल संरक्षण सर्वेक्षण प्रस्तावित किया जाये (स्टेगर्ड कन्डर ट्रेन्च, लुजबोल्डर चैकडेम आदि निर्माण कार्य प्रस्तावित किया जा सकता है)	12.62	Hect.	10000.00	रुपये/हे.		126210
मू-जल संरक्षण कार्य पर व्यय :-								126210
7		सिंचाई सुविधा का विकास प्रति 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु सोलर पंप की मान से						
7.1	Market Rate	मू-टाल में पानी की जांच हेतु वाटर रेजिस्टिविटी टेस्ट करना	1.3		5500	प्रति बोरे		6941.55
7.2	Market Rate	बारबेल खुदाई कार्य कम्प्लीट केसिंग सहित	1.3		137500	प्रति बोरे		173538.75
7.3	Market Rate	सोलर पंप अथवा विद्युत चलित पंप या डीजल पंप की स्थापना सब सामान उपकरण व पाईप आदि	1.3		440000	प्रति पंप		555324
सिंचाई सुविधा विकास पर व्यय								735804.3
8		अनुसंधान एवं विकास						
8.1		प्रशिक्षण - वर्षीय रोपण तकनीकी कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण प्रचार-प्रसार फोटो एवं सिडिओग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि	12.62	Hect.	3000	रुपये/हे.		37863
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय								37863
8.2		आस्था मूलक कार्य	12.62	Hect.	116968	रुपये/हे.		1476253.13
आस्था मूलक कार्य पर व्यय								1476253
8.3		अग्नि सुरक्षा						
8.3.1	PCCF Job Rate 5.4.5 & 5.4.6	समपूर्ण क्षेत्र को 4 सेक्टर में विभाजित कर 3 मीटर चौड़ी अग्नि सुरक्षा पट्टी का निर्माण करना। (80 मी./हे. की मान से)	1010	Mtr.	2.50	मादि./कि.मी.	2.5242	371
8.4		अन्य व्यय						
8.4.1		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/नोकीदार इट का निर्माण	LS					50484
8.4.2		निरीक्षण पथ का निर्माण	LS					48748
क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य व्यय का योग								100103
कुल योग व्यय :-								5888959
प्रति प्रोजेक्ट व्यय								467

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
द्वितीय वर्ष (2025-26)								
2		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
2.1	Special Rate	30x45 से.मी. पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों को न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे केजुअल्टी सहित)	14514	Plants	22.00	रुपये/पौधे		319311.3
2.2	Special Rate	30x45 से.मी. पॉलीपाट में 10 प्रतिशत भूत पौध प्रतिस्थापन हेतु शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी प्रथम वर्ष व्यय (रोपण के समय पौधों को न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधे)	1388	Plants	66.00	रुपये/पौधे		91628.46
रोपणी में पौधा तैयारी कार्य का द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय								410939.76
3		रोपण क्षेत्र उपचार						
3.1		पौधा परिवहन						
3.1.1	Market/Tender Rate	30x45 से.मी. पॉलीपाट में मिश्रित एवं फलदार शीर्ष तथा मध्य वितान प्रजाति के पौधों को जर्बरी से रोपण हेतु गड्ढे तक पहुंचाना	14514	Plants	22.00	रुपये/पौधे		319311.3
पौधा परिवहन पर व्यय :-								319311.3
4	4.1	पौधा रोपण						
4.1.1	Special Rate	पौधा रोपण कार्य 60x60x60 से.मी. आकार के गड्ढों में खाद एवं मिट्टी भरवाई सहित) 3.55 रोपण + 0.45 गड्ढा भरवाई प्रति मानव दिवस	12621	Plants	4.40	मा.दि./सेकंडा	555.324	191586.78
रोपण कार्य पर व्यय :-								191586.78
5	5.1	रोपण एवं निंदाई के समय उपयोग हेतु खाद क्रय						
5.1.2	Market Rate	60x60x60 से.मी. आकार के गड्ढों में मिश्रित एवं फलदार पौध रोपण हेतु वर्मीकम्पोस्ट खाद का क्रय। (5 कि.ग्रा. प्रति गड्ढा)	63105	Kg.	11.00	रुपये/घ.मी.		694155
5.2		डी.ए.पी. रासायनिक खाद						
5.2.1	Market Rate	60x60x60 से.मी. आकार के गड्ढों में 50 ग्राम प्रति पौधा (मिश्रित एवं फलदार) के मान से रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	631	Kg.	33.00	रुपये/किलो		20825
5.3		नीम खली का क्रय						
5.3.1	Market Rate	60x60x60 से.मी. आकार के गड्ढों में 150 ग्राम प्रति पौधा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग हेतु।	1893	Kg.	44.00	रुपये/किलो		83298.6

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3.4	Market Rate	कीटनाशक क्लोरोपायरोफॉस 3 एम.एल. प्रति पोख की मात्रा से रोपण के समय उपयोग	38	Ltr	1100.00	रुपये/लि.		41649.3
5.3.5		रासायनिक खाद एनपीके (निंदाई के समय)						
5.3.5.1	Market Rate	एनपीके का उपयोग निंदाई के समय सागुन, मिश्रित एवं कलदार पौधों में प्रति पोख 50 ग्राम प्रति निंदाई छेदकर उपयोग हेतु कुल 150 ग्राम के मान से कर्य।	1893	Kg	33.00	रुपये/किलो		62473.95
5.3.6	Market Rate	पौधों की अच्छी बढल के लिए मिट्टी परीक्षण लेव से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बायोफर्टिलाइजर डार्मोन एवं एन्जाइम का उपयोग।	12621	Plants	11.00	रुपये/पौधे		138831
खाद एवं कीटनाशक दवा क्रय पर व्यय :-								1041232.85
5.4		निंदाई कार्य						
5.4.1	PCCF Job Rate 4.11.1.2	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन पश्चात (जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह में) एक मीटर व्यास में की जायेगी। (अव्ययन्दार/थाल सहित) खाद प्रयोग सहित	12621	Plants	1.20	मा.दि./सेकड़ा	151.452	52250.94
5.4.2	PCCF Job Rate 4.11.2.2	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में प्रथम निंदाई के 20-25 दिन बाद माह अगस्त के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में की जायेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। (2 मा.दि. प्रति सेकड़ा)	12621	Plants	2.00	मा.दि./सेकड़ा	252.42	87084.9
5.4.3	PCCF Job Rate 4.11.3.2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में सितंबर माह के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में की जायेगी। खाद प्रयोग सहित (तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किये जाने पर 3 सप्ताह पर बने कपिलरी बूटने से नमी अवशोषण की नमी लाने समय तक नहीं रुकती है इसलिए तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किया जाना आवश्यक है)	12621	Plants	1.20	मा.दि./सेकड़ा	151.452	52250.94
निंदाई कार्य पर व्यय :-								191586.78
रोपण क्षेत्र संपचार कार्य पर कुल व्यय :-								1743712.71
6		मानी निंदाई कार्य						

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मादि.	कुल राशि
					मादि./क्र.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6.1	पौधों की रोपण प्रक्रिया माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जाएगा। इस हेतु प्रति 05 इंचटैपर 4 क्षमिक पानी की धार बनाने एवं माईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। होर्नर छात्र कोष भवन रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3x3 मीटर की अंतराल पर लगभग 1 हेक्टर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था। तदनुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
	6.1.1	Special Rate माह नवम्बर से मार्च तक पन्ड-दिवस की अंतराल में एक सिंचाई	126	Time	1.820	मादि./सैकड़	229.7022	79247
	6.1.2	Special Rate पंप का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	12.62	Hect	2000.00	प्रति हेक्टे.		25242
सिंचाई पर कुल व्यय								104489
7		अन्य कल्चरल आपरेशन						
	7.1	Special Rate CAMPA Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र - वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species की जड़ को गेंती से खोदकर निकालना एवं गुंथे हुए गिर्रा को खोचकर निकालना, निकालने के पश्चात ड्रिपिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सूखने के उपरान्त सुरक्षित रूप से जलाना (द्वितीय वर्ष कार्य)	5.05	Hect	10	मादि/हे.	50.48	17416.98
8		अनुसंधान एवं विकास						
	8.1	Special Rate अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की सिंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिजिस करना तथा अमिलेखीकरण	12621	No.	1.40	रुपये/नम		17669.4
	8.2	Special Rate प्रशिक्षण - नर्सरी रोपण, वनवर्धनिक कार्य वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार फांटा एवं विडियोग्राफी विशेषज्ञ परामर्श आदि।	12.62	Hect	2500.00	रुपये/हे.		31552.5
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय								49221.9
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						

क्र.	कार्य क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मात्रा	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक रोपण क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टर पर एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे।	0.63	12	26.00	मा.दि./माह	196.89	67926
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						12621
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय :								80547
10		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
10.1		मजदूरी/सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि 5%						122499
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :								122499
योग व्यय :								2528832
प्रति पोधा व्यय								200
तृतीय वर्ष रखरखाव कार्य (2026-27)								
1		फैसिंग मरम्मत कार्य						
1.1	PCCF Job Rate & RES SOR	फैसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	107.4	Rm	620.00	रुपये/रमी.		66513
फैसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय								66513
2		रोपणी में पोधा तैयारी कार्य पर व्यय						
2.1	Special Rate	30x45 सेमी. पॉलीथिन में 10 प्रतिशत मृत पोध प्रतिस्थापन हेतु शीर्ष तथा मध्य वितान के निश्चित एवं फलदार पोधों की तैयारी एवं रखरखाव हेतु तृतीय वर्ष व्यय (रोपण के समय पोधा का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पोधे)	1388	Plants	22.00	रुपये/पोधे		30542.82
रोपणी कार्य पर तृतीय वर्ष व्यय								30542.82
3		रोपण क्षेत्र उपचार						
3.1		मृत पोध प्रत्यारोपण कार्य (10 प्रतिशत)						
3.1.1	PCCF Job Rate 1.522	मृत पोधा से बने खाली स्थान पर शीर्ष एवं मध्य वितान के निश्चित एवं फलदार पोधा के रोपण हेतु गड्ढा चौड़ाई 80 x 80 x 60 सेमी साईज नरम मिट्टी में।	1262	Pits	10.50	मा.दि/सैकड़ा	132.5205	45720
3.1.2	Market Tender Rate	पोधा का परिवहन (पॉलीथीन साईज 30x45सेमी.)	12621	Plants	22.00	रुपये/पोधे		277662
3.1.3	Market Rate	कीटनाशक कुलोरोपायरीफॉस 3 एन.एल प्रति पोधा की भात से उपचार	379	Ltr	1100.00	रुपये/लिट्र		4164.93
3.1.4	PCCF Job Rate 410.21	नए पोधा से बने खाली स्थान पर खोदे गए 60x 60 सेमी साईज के गड्ढों में शीर्ष एवं मध्य वितान के निश्चित एवं फलदार पोधा का रोपण	1262	Plants	3.55	मा.दि/सैकड़ा	44.80	15458
मृतप्रत्यारोपण कार्य पर कुल व्यय								343004

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.वि.	कुल राशि
					मा.वि./क.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	4.1	रासायनिक खाद एन.पी.के का कार्य						
	4.2.1	Market Rate रासायनिक खाद कृय एन.पी.के 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय तीन बार उपयोग हेतु 150 ग्राम प्रति पौधा के मान से कृय	1893.15	Kg	33.00	रुपये/किलो		62473.95
	4.2.2	Market Rate वर्मी कम्पोस्ट खाद कृय 200 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 03 बार उपयोग हेतु 600 ग्राम प्रति पौधा के मान से कृय	7572.60	Kg	11.00	रुपये/किलो		83298.6
								145772.55
5	5.1	निंदाई कार्य						
	5.1.2	PCCF Job Rate 4.11.1.2 1. प्रथम निंदाई/गुड़ाई एक मीटर व्यास में की जावेगी जिसके साथ मृत पौधों को बदलना सुरिया तथा जैविक खाद डाला जाएगा। (अर्धवृत्ताकार थाला बनाया एवं खाद प्रयोग सहित)	12621	Plants	1.20	मा.वि/सैकड़ा	151.452	52250.94
	5.1.3	PCCF Job Rate 4.11.2.2 2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक मा.वि. गड की जावेगी एवं थाला बनाया जावेगा। (2 मा.वि. प्रति सैकड़ा)	12621	Plants	2.00	मा.वि/सैकड़ा	252.42	87084.9
	5.1.4	PCCF Job Rate 4.11.3.2 3. तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में की जावेगी। (थाला बनाया जावेगा)	12621	Plants	1.20	मा.वि/सैकड़ा	151.452	52250.94
निंदाई कार्य पर भव्य :-								191586.78
	5.1.5	special Rate रोपण क्षेत्र में औषधीय प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु पौधा तैयारी (05 x 7 से.मी. पॉलीपॉट में) औषधीय प्रजाति के स्थानीय प्रजाति के पौधों को बरीयता दी जावे जैसे - सतावर, बाईबिडेन, तिखुर, गिलोय, माहुल, सर्पगंधा एवं अरुसा आदि	13883	Plants	10.00	रु. प्रति पौधा		138831
	5.1.6	PCCF Norms 1.4.3 ट्रिकिंग कार्य 3 x 3 मी. अंतराल पर	12621	Pts	3.50	मा.वि./हजार	44.1735	15240
	5.1.7	PCCF Norms 1.3.1 गड्डों की खुदाई - रोपण हेतु 3 मी. x 3 मी. अंतराल पर 30 से.मी. x 30 से.मी. x 30 से.मी. साइज के कड़ी मिट्टी में गड्डों की खुदाई कार्य	12621	Pts	3.00	मा.वि./सैकड़ा	378.63	130621
	5.1.8	Local Rate औषधीय प्रजाति के पौधों के रोपण के समय उपयोग हेतु वर्मीकम्पोस्ट, कम्पोस्ट का कृय (1 कि.ग्रा. वर्मी कम्पोस्ट/2 कि.ग्रा. कम्पोस्ट)	12621	kg	12.00	प्रति कि.ग्रा.		151452
	5.1.9	special Rate पौधा परिचरहन - (08 X 10 से.मी. पॉलीपॉट में तैयार किए गए औषधीय प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड्डों तक पहुंचाना	13883	Plants	4.00	प्रति पौधा		55532
	5.1.10	PCCF Norms 4.10.2.1 पौधा रोपण - दोना पौधों को गड्डों तक पहुंचाना आवश्यकता अनुसार कीटनाशक और खाद डालना पौधों के बायो तरफ सफाई करना एवं रोपण करना	12621	Plants	1.65	प्रति सैकड़ा	208.2465	71845

क्र.	कार्य दर.क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1		पीछी की रोपण परचात माई नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पीछी में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पम्प की सहायता से किया जाएगा। इस हेतु प्रति 05 हेक्टेयर 4 थ्रिफ़ पानी की धार बनाने एवं पाइप की सहायता से पीछी तक पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। इसलिए 0.5 कोष भरती रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो थ्रिफ़ों के द्वारा 3x3 मीटर की अन्तःसाल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पीछी में पाइप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था तदनुसार प्रति 1000 पीछी में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
7.1.1	special Rate	माई अप्रैल से जून तक 10 दिवस की अन्तःसाल में एक सिंचाई	113.39	Times	1.820	मा.दि./सेकंड	206.732	71323
7.1.2	special Rate	माई नवम्बर से मार्च तक 15 दिवस की अन्तःसाल में एक सिंचाई	126.21	Times	1.820	मा.दि./सेकंड	229.7022	79247
7.1.3	special Rate	पम्प का रखरखाव एवं फ्लुइडिबल पाइप आदि पर आकस्मिक व्यय	12.62	Hect	2000.00	प्रति हेक्ट		25242
सिंचाई पर कुल व्यय								175812
8		अन्य कल्चरल आपरेशन						
8.1	Special CAMPA Rate	Invasive Alien Species Removal - सचन क्षेत्र - वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species की जड़ को गंती से खोदकर निकालना एवं मुंथे हुए भिरी को खोदकर निकालना, निकालने के पश्चात ड्रेनिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर डेर लगाना एवं सुखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना (द्वितीय वर्ष कार्य)	3.05	Hect	3.00	मा.दि./हे	15.1452	5225
8.2		एकत्रीकरण कार्य						
8.2.1	PCCF Job Rate 1.23	जीवित लूरी से निकले मल्टीपल लूरी में से एक या दो स्वस्थ कपिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कपिस की कटाई एवं सफाई कार्य	1.26	Hect	3.00	मा.दि./हे	3.7863	1306
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत कपिस का एकत्रीकरण कार्य पर व्यय								6531
9		अनुसंधान एवं विकास						
9.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी रोपण, वनवर्धनिक कार्य, वन, सुखा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, पोपों एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	12.82	Hect	3000.00	रु.मा.दि./हे		37863

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.2	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	12621	Plants	2.10	रुपये/पौधा		26504.1
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय								64367.1
10		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
10.1	special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 है. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.63	12	26.00	मा.दि/माह	196.8876	67926
10.2	special Rate	अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						12623
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय								84547
11		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
11.1		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि 10%						214795
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								214795
योग व्यय :-								2362790
प्रति पौधा व्यय								187

चतुर्थ वर्ष रखरखाव कार्य (2027-28)

1	1.1		फेंसिंग मरम्मत कार्य						
	1.2	PCCF Job Rate & RES SOR	फेंसिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	53.64	Rm	620.00	रुपये/रमी		33256
2	2.1		निंदाई						
	2.1.2	PCCF Job Rate 4.11.1.2	1- प्रथम निंदाई/गुड़ाई एक मीटर व्यास में में की जावेगी जिसके साथ निधारित मात्रा में सुरिया तथा जैविक खाद डाला जाएगा। (अर्धचन्द्राकार थाला बनाई एवं खाद प्रयोग सहित)	12621	Plants	1.20	मा.दि/सैकड़ा	151.452	52250.94
	2.1.3	PCCF Job Rate 4.11.2.2	2- द्वितीय निंदाई/गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी एवं थाला बनाया जावेगा (2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	12621	Plants	2.00	मा.दि/सैकड़ा	252.42	87034.9
	2.1.4	Market Rate	वर्गी कम्पोस्ट खाद क्रय 250 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 02 बार उपयोग हेतु 500 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	6311	Kg	11.00	रुपये/किलो		69415.5
	2.1.5	Market Rate	रासायनिक खाद क्रय एन.पी.के. बी.डी. पौधों में 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय दो बार उपयोग	1262	Kg	33.00	रुपये/किलो		41649.3

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.6	PCCF Job Rate 4.11.1.2	औषधीय प्रजाति के रोपित पौधों में प्रथम निवाई/गुड़ाई एक मीटर व्यास में में की जावेगी जिसके साथ निधारित मात्रा में यूरिया तथा जैविक खाद डाला जाएगा। (अर्धचन्द्राकार धाला बनवाई एवं खाद प्रयोग सहित)	12621	Plants	1.20	मा.दि./सैकड़ा	151.452	52250.94
2.1.7	PCCF Job Rate 4.11.2.2	औषधीय प्रजाति के रोपित पौधों में द्वितीय निवाई/गुड़ाई मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी एवं धाला बनाया जावेगा (2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	12621	Plants	2.00	मा.दि./सैकड़ा	252.42	87084.9
निवाई कार्य पर कुल व्यय :-								389736.48
रोपण क्षेत्र सफाई कार्य पर कुल व्यय :-								389736
5								
6		पानी सिंचाई कार्य						
6.1		पौधों की रोपण पर्यन्त माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई की जाएगी जो जल सहायता से सिंचाई करिगा। इस हेतु प्रति 05 हेक्टर पर 4 कृमिक पानी की धार बनाने एवं माईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर प्रम. कोष मरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आकड़ों के अनुसार दो भूमिका के द्वारा 3x3 मीटर की अंतराल पर लगभग 1 हेक्टर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की मदद से सिंचाई किया जाता समर्थ ही पाया था तदनुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 पाईप दिवस भ्रम की आवश्यकता होगी।						
6.1.1	Special Rate	माह अप्रैल से जून तक 10 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई	113.59	Times	1.820	मा.दि./सैकड़ा	206.732	71323
6.1.2	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक 10 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई	126.21	Times	1.820	मा.दि./सैकड़ा	229.7022	79247
6.1.3		पम्प का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	12.62	Hect.	2000.00	प्रति हेक्टे.		25242
पानी सिंचाई पर व्यय								175812
7		अनुसंधान एवं विकास						
7.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी रोपण, वनवैज्ञानिक कार्य, पत्र सुखा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियो ग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	12.62	Hect	3000.00	रुपये/हे.		37863
7.2	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन - रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	12621	Plants	2.10	रुपये/पौधा		26504.1
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय								64367.1

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.2	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	12621	Plants	2.10	रुपये/पौधा		26504.1
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय								84367.1
7		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
7.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का एकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.63	12	26.00	मा.दि/माह	196.8876	67926.222
7.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						9465.75
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय								77392
8		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
8.1		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि 20%						67201.7766
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								67201.7766
योग व्यय :-								315008
प्रति बीघा व्यय								25

षष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य (2029-30)

1		फसिंग मरम्मत कार्य						
1.1	PCCF Job Rate & RESSOR	फसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	107.28	Rm.	620.00	रुपये/रमी.		66513
2	2.1	कटाई सफाई कार्य						
2.1.1	PCCF Job Rate 12.4	जीवित हटों से निकले मल्टीपल शूटों में से एक या दो संस्था कोपिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कोपिस की कटाई एवं सफाई कार्य	12.62	Hect	3.00	मा.दि/हे.	37.863	13062.735
अन्य कल्चरल अपरेशन के तहत क्लिनिंग कार्य पर व्यय								13062.735
3		अनुसंधान एवं विकास						
3.1	Special Rate	प्रशिक्षण - जलरी, रोपण, वन्यधनिक कार्य वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार फोटो एवं विडियो/सी.डी. प्रसारण प्रसारण आदि।	12.62	Hect	3000.00	रुपये/हे.		37863
3.2	special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	12621	Plants	2.10	रुपये/पौधा		26504.1
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय								64367.1
4		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						

क्र.	कार्य दर/क	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मादि	कुल राशि
					मादि/रु	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मई तक रोपण क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जाये।	0.63	12	26.00	मादि/माह	196.8876	67926
4.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हठ का रखरखाव कार्य						9465.75

सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय :

77392

5		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
5.1		मजदूरी/सामग्री की दरों में आकस्मिक वृद्धि 25%						55330
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय							55330	
योग व्यय							276665	
प्रति पौधा व्यय							22	

सप्तम वर्ष रखरखाव कार्य (2030-31)

1		फेन्सिंग मरम्मत कार्य						
1.1	PCCF Job Rate & RES SOR	फेन्सिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	53.64	Rm	620.00	रुपये/रमी.		33256
फेन्सिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय							33256	
2		अनुसंधान एवं विकास						
2.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी रोपण, तकनीकी कार्य वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	12.62	Hect	3000.00	रुपये/हे		37863
2.2	special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापनभूत कार्य माह जून अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	12621	Plants	2.10	रुपये/पौधा		26504.1
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय							64367.1	
3		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मादि	कुल राशि
1	2	3	4	5	मादि/रु.	राशि/इकाई	8	9
3.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माइ अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.63	12	26.00	मा.दि/माह	196.8876	67926
3.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						6310.5

सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय :

74237

4		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
4.1		सामग्री/मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि 35%						60152

दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय

60152

योग व्यय

232012

प्रति पीचा व्यय

18

नवम वर्ष रखरखाव कार्य (2032-33)

1		फेंसिंग मरम्मत कार्य						
1.1	PCCF Job Rate & RES SOR	फेंसिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	53.64	Rm.	620.00	रुपये/र.मी.		33256

फेंसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय

33256

2		अनुसंधान एवं विकास						
2.1	Special Rate	प्रशिक्षण :- नर्सरी रोपण तकनीक कार्य वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियो ग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	12.62	Hect.	3000.00	रुपये/हे.		37863
2.2	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	12621	Plants	2.10	रुपये/पौधा		26504.1

अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

64367.1

3		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
3.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माइ अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.63	12	26.00	मा.दि/माह	196.8876	67926
3.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						5553.24

क्र.	कार्य क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि.
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय								73479
4		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
4.1		सामग्री/मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि 40%						69504
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								69504
योग व्यय :-								240607
प्रति चौको व्यय								19
दशम वर्ष रखरखाव कार्य (2033-34)								
1		फर्निचर मरम्मत कार्य						
1.1	PCOP Job Rate & RES SOP	फर्निचर मरम्मत कार्य (6 प्रतिगत्)	53.64	Rm	620.00	रुपये/रमी.		33256
फर्निचर मरम्मत पर व्यय								33256
2	2.1	Special Rate	रोपण क्षेत्र के निरीक्षण उपरान्त आवश्यकानुसार वनवर्धनिक कार्य प्रस्तावित किया जावे। जैसे Invasive Alien Species का उन्मूलन क्षेत्र सफाई, एकलीकरण आदि।	12.62	Hect.	25.00	मा.दि/हे.	315525
अन्य कल्चरल आपरेशन कार्य:-								108856.125
3		अनुसंधान एवं विकास						
3.1	Special Rate	प्रशिक्षण - तृतीय रोपण वृक्षवर्धनिक कार्य वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण प्रचार प्रसार फोटो एवं विडियो ग्राफी विशेषज्ञ परामर्श आदि।	12.62	Hect.	3000.00	रुपये/हे.		37863
3.2	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं मोटाई वृद्धि मापन का कार्य माह/जनवरी अक्टूबर एवं जनवरी में करके हुए क्षेत्र एनालिसिस करना एवं अभिलेख बनाना।	12621	Plants	2.10	रुपये/पौधा		26584.1
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय								64367.1
4		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
4.1	Special Rate	सुरक्षा अतिरिक्त 20 हे. तक एक अतिरिक्त साइड अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का एकत्र 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक अतिरिक्त कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.63	12	26.00	मा.दि/माह	196.8876	67926
4.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार दफ्तर का रखरखाव कार्य						9465.75
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय								77392

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

परियोजना प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ शासन



वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड खनिज लौह अयस्क परियोजना अंतर्गत
क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण
संस्थान का नाम - मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड ग्राम बोरझारा,
उरला गुमा रोड रायपुर

परियोजना अवधि : 2024-25 से 2033-24

कार्य स्थल का विवरण

परिसर	—	गदामी
उपवनक्षेत्र	—	सबाग
वन प्रबंधन समिति	—	गदामी
खसरा क्रमांक	—	427, 529, 447, 460, 461, 464, 463, 449, 526, 522, 531, 520

प्रस्तावित रकबा — 18.503 ha.
प्राक्कलित राशि 21642589

वन परिक्षेत्राधिकारी चान्दौ

बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर

वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं अमूल रतन राय वनपरिक्षेत्राधिकारी चान्दो परिक्षेत्र, वनमण्डल बलरामपुर प्रमाणित करता हूँ कि ग्राम ~~आटा~~ खसरा न. 427, 529, 447, 460, 461, 464, 463, 449, 526, 522, 531, 520 रकबा क्रमशः 2.723, 0.810, 0.878, 2.331, 1.68, 2.031, 1.173, 1.862, 2.505, 1.421, 0.401, 0.668 कुल रकबा 18.503 हे. के परियोजना प्रतिवेदन में उल्लेखित समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी / वानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ



वन परिक्षेत्राधिकारी
चान्दो

उपवनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं अशोक कुमार तिवारी उप वनमण्डलाधिकारी बलरामपुर उप वनमण्डल, बलरामपुर प्रमाणित करता हूँ कि ग्राम ~~आटा~~ खसरा न. 427, 529, 447, 460, 461, 464, 463, 449, 526, 522, 531, 520 रकबा क्रमशः 2.723, 0.810, 0.878, 2.331, 1.68, 2.031, 1.173, 1.862, 2.505, 1.421, 0.401, 0.668 कुल रकबा 18.503 हे. प्रतिवेदन में उल्लेखित समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके पर अवलोकन कर इस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप होना पाया गया । मैं इस परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूँ।



उप वनमण्डलाधिकारी
बलरामपुर

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मादि	कुल राशि
					मादि/रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.4	RES SOR 413, 416 (B)	प्रोस्ट्रेस्ट आर.सी.सी. पोल गाड़ने हेतु खोद गये गडबो में 12x4 सी.सी. द्वारा पोल फिक्सिंग कार्य तराई सहित (उपयोग 20 एमएम गिट्टी) 32x0.40x0.40x0.30 = 1.536 Cmt.						
		(-) प्रोस्ट्रेस्ट आर.सी.सी. पोल साइज 32x0.30x 0.10x 0.10 = 0.096 Cmt. Net-	26.64	Cmt.	4550.90	Rs/Cmt.		121256
2.1.5	CSIDC RC	21 मीटर ऊंचाई की 50x50mm छेद वाली 4mm diameter वाली जी.आई. तार से निर्मित चैनलिक लोहे की जाली क्रय						
		CSIDC Items code-700000162 (85x2.10= 178.50sqm@4.5 kg/sqm = 803.25kg/ ha.)	14862.53	kg	74.00	Rs/Kg		1099828
		GST 18% -	14862.53	kg	13.32	kg		197969
		Inspection Charge 0.6% + 18% GST	14862.53	kg	0.52	kg		7729
2.1.6	LMR	चैनलिक लोहे की जाली प्रोस्ट्रेस्ट आर.सी.सी. पोल में 2mm diameter वाली जी.आई. तार/जी.आई. स्टैपल/जी.आई. यू नेल्स/स्टील पिन को सहायता से बांधकर टाइट करना।	3302.79	Sqm.	2.00	मादि/100 मीटर	6605.571	22789
2.1.7	RES SOR 1335 (a)	लोहे की चैनलिक जाली में 03 तह में ब्रश से इनामेल रोगन करना 85x2.10x2 = 357/10=35.70 Sqm.	660.56	Sqm.	163.20	Rs/Sqm.		107369
							योग	1893#26
2.1.8	Special Rate	ट्रैकेवल प्लान्ट से चैनलिक जाली/प्रोस्ट्रेस्ट आर. सी.सी. पोल/सीमेंट/रेत/गिट्टी कार्यस्थल तक परिवहन - सामग्री मूल्य का 2 प्रतिशत						37877
2.1.9		अन्य आकस्मिक व्यय कुल व्यय का 1 प्रतिशत						19536
							फेन्सिंग कार्य पर व्यय :-	1951239
							प्रति स्तींग मीटर फेन्सिंग कार्य पर व्यय	22956
							प्रति पीछा व्यय	19512

क्र.	कार्य क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.42	Market Rate	गड्ढे की 50 प्रतिशत मिट्टी परिवहन हेतु उपजाऊ मिट्टी परिवहन - 60x60x60=0.216 Cmtx1000=216.00 Cmt/2	1998	Cum	325.00	रुपये/घ.मी.		649455.3
रोपण उपचार एवं गड्ढे खुदाई कार्य पर कुल व्यय :-								1439672
6	PCCF Job Rate & RES SQ.	भू-जल संरक्षण कार्य - क्षेत्र के निरीक्षण उपरान्त आवश्यकतानुसार भू-जल संरक्षण संरचनाएं प्रस्तावित किया जावे (स्टेगर्ड कन्ट्रोल ट्रेन्च, लूजबोल्डर चेकडैम, आदि निर्माण कार्य प्रस्तावित किया जा सकता है)	18.50	Hect.	10000.00	रुपये/हे.		185030
भू-जल संरक्षण कार्य पर व्यय :-								185030
7		सिंचाई सुविधा का विकास प्रति 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु सोलर पंप की मात्रा से						
7.1	Market Rate	भू-जल में पानी को ज़ाब हेतु पावर एजिस्टिविटी टेस्ट कराना	1.9		5500	प्रति बोर		10176.55
7.2	Market Rate	बोरवेल खुदाई कार्य कम्प्लीट, केसिंग सहित	1.9		137500	प्रति बोर		254416.25
7.3	Market Rate	सोलर पंप अथवा विद्युत चालित पंप या डीजल पंप की स्थापना मय समस्त उपकरण व पाईप आदि	1.9		440000	प्रति पंप		814132
सिंचाई सुविधा विकास पर व्यय								1078724.9
8		अनुसंधान एवं विकास						
8.1		प्रशिक्षण - नर्सरी रोपण, तकनीक कार्य, दान सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार फोटो एवं विडियोफाफ़ी, वित्तबोझ प्रारम्भ आदि।	18.50	Hect.	3000	रुपये/हे.		55509
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय								55509
8.2		आस्था मूलक कार्य	18.50	Hect.	116968	रुपये/हे.		2164258.9
आस्था मूलक कार्य पर व्यय								2164259
8.3		अग्नि सुरक्षा						
8.3.1	PCCF Job Rate 5.4.5 & 5.4.6	सम्पूर्ण क्षेत्र को 4 सेक्टर में विभाजित कर 3 मीटर चौड़ी अग्नि सुरक्षा पट्टी का निर्धारण करना। (80 मी./हे. की मात्रा से)	1480	Mtr.	2.50	मा.दि./कि.मी.	3.7006	1277
8.4		अन्य व्यय						
8.4.1		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि लगाया जाता निरीक्षण/चौकीदार हट का निर्माण	LS					74012
8.4.2		निरीक्षण पथ का निर्माण	LS					71468
क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य व्यय का योग								146756
कुल योग व्यय :-								8633352
प्रति बीघा व्यय								467

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	मा.दि./रु.	राशि/इकाई	8	9
द्वितीय वर्ष (2025-26)								
2		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
2.1	Special Rate	30x45 से.मी. पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे कंप्यूअल्टी सहित)	21278	Plants	22.00	रुपये/पौधे		468125.9
2.2	Special Rate	30x45 से.मी. पॉलीपाट में 10 प्रतिशत मूल पौध प्रतिस्थापन हेतु शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी प्रथम वर्ष व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधे)	2035	Plants	66.00	रुपये/पौधे		134331.78
रोपणी में पौधा तैयारी कार्य का द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय								602457.68
3		रोपण क्षेत्र उपचार						
3.1		पौधा परिवहन						
3.1.1	Market/Tender Rate	30x45 से.मी. पॉलीपाट में मिश्रित एवं फलदार शीर्ष तथा मध्य वितान प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड़दे तक पहुँचाना	21278	Plants	22.00	रुपये/पौधे		468125.9
पौधा परिवहन पर व्यय :-								468125.9
4	4.1	पौधा रोपण						
4.1.1	Special Rate	पौधा रोपण कार्य 60x60x60 से.मी. आकार के गड़दों में (खाद एवं मिट्टी भण्डई सहित) 3.55 रोपण + 0.45 गड़दा भरवाई प्रति मानव दिवस	18503	Plants	4.30	मा.दि./सेकड़ा	814.132	230875.54
रोपण कार्य पर व्यय :-								230875.54
5	5.1	रोपण एवं विटाई के समय उपयोग हेतु खाद क्रय						
5.1.2	Market Rate	60x60x60 से.मी. आकार के गड़दों में मिश्रित एवं फलदार पौधा रोपण हेतु वर्मीकम्पोस्ट खाद का क्रय। (6 कि.ग्रा. प्रति गड़दा)	92515	Kg.	11.00	रुपये/किलो		1017665
5.2		डी.ए.पी. रासायनिक खाद						
5.2.1	Market Rate	60x60x60 से.मी. आकार के गड़दों में 50 ग्राम प्रति पौधा (मिश्रित एवं फलदार) के मान से रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	925	Kg	33.00	रुपये/किलो		30530
5.3		नीम खली का क्रय						
5.3.1	Market Rate	60x60x60 से.मी. आकार के गड़दों में 150 ग्राम प्रति पौधा की मान से रोपण के समय उपयोग हेतु।	2775	Kg	44.00	रुपये/किलो		122119.8

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मादि	कुल राशि
					मादि/रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3.4	Market Rate	कीटनाशक क्लोरोपायरीफॉस 3 एम.एल. प्रति पीछा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग।	56	Ltr	1100.00	रुपये/लि.		61059.9
5.3.5		रासायनिक खाद एनपीके (निंदाई के समय)						
5.3.5.1	Market Rate	एनपीके का उपयोग निंदाई के समय सागौन, मिश्रित एवं कलदार पीछों में प्रति पीछा 50 ग्राम प्रति निंदाई छेदकर उपयोग हेतु कुल 150 ग्राम के भात से क्रय।	2775	Kg	33.00	रुपये/किलो		91589.85
5.3.6	Market Rate	पीछों की अच्छी बढ़त के लिए मिट्टी परीक्षण लेब से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बायोफर्टिलाइजर, हायमोन एवं एन्जाइम का उपयोग।	18503	Plants	11.00	रुपये/पीछे		203533
खाद एवं कीटनाशक दवा क्रय पर व्यय :-								1526497.55
5.4		निंदाई कार्य						
5.4.1	PCCF Job Rate 4.11.1.2	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन पश्चात (जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह में) एक मीटर व्यास में की जायेगी। (अर्धवृत्ताकार धाला सहित) खाद प्रयोग सहित	18503	Plants	1.20	मादि/सैकड़ा	222.036	76602.42
5.4.2	PCCF Job Rate 4.11.2.2	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में प्रथम निंदाई के 20-25 दिन बाद माह अगस्त के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में की जायेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। (2 मादि. प्रति सैकड़ा)	18503	Plants	2.00	मादि/सैकड़ा	370.06	127670.7
5.4.3	PCCF Job Rate 4.11.3.2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में सितम्बर माह के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में की जायेगी। खाद प्रयोग सहित (तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किये जाने पर 3 सप्ताह पर रने केपिलरी ट्यूब में गूनि राउंड की नयी जाँच समय तक नहीं रहती है इसलिए तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किया जाना आवश्यक है)	18503	Plants	1.20	मादि/सैकड़ा	222.036	76602.42
निंदाई कार्य पर व्यय :-								280875.54
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								2556374.53
6		पानी सिंचाई कार्य						

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1		पौधों की रोपण प्रस्ताव माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आकर्षकता प्रदान करने सिंचाई सोलर पंप को सक्षमता से किया जाएगा। इस हेतु प्रति 05 हेक्टेयर 4 अनिक्त पानी को बार बनाते एवं पाइप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। सिंचाई करण कार्य करवी रोपण 2012 में सिंचाई प्रयोग परिक्षण आयोग के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3x3 मीटर की प्रस्तावित पर लगाना 1 हेक्टेयर में रापित 11000 पौधों में पाइप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था तदनुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 182 मात्रा दियास भ्रम की आवश्यकता होगी।						
6.1.1	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	185	Time	1820	मा.दि./सेकंड	336.7546	116180
6.1.2	Special Rate	पन्ध्र को रखरखाव एवं फलैविस्बल पाइप आदि पर आकस्मिक व्यय	18.50	Hect	2000.00	प्रति हेक्ट		37000
सिंचाई पर कुल व्यय								153186
7		अन्य कल्चरल आपरेशन						
7.1	Special Rate CAMPA	Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species को जड़ को मैती से खोदकर निकालना एवं गुंथे हुए त्रिरों को खींचकर निकालना, निकालने के पश्चात् ड्रेनिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना (द्वितीय वर्ष कार्य)	7.40	Hect	10	मा.दि/हे	74.01	25534.14
8		अनुसंधान एवं विकास						
8.1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी में कस्ते हुए डाटा एनालिसिस करना तथा अभिलेखीकरण	18503	No.	1.40	रुपये/नग		25904.2
8.2	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वनवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडिओग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	18.50	Hect	2500.00	रुपये/हे.		46257.5
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय								72161.7
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल माप दे	कुल राशि
					मादि/रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 है, तब एक श्रमिक माह अप्रैल में माह तक रोपण क्षेत्र का सुरक्षा 20 हेक्टर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे।	9.93	12	26.00	मादि/माह	288.65	99583
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						18503

सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय :

118086

10		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
10.1		मजदूरी/सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि 5%						179590

दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :

179590

योग व्यय :-

3707391

प्रति पौधा व्यय

200

तृतीय वर्ष रखरखाव कार्य (2026-27)

1		फेसिंग मरम्मत कार्य						
1.1	PCCF Job Rate & RES SOR	फेसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	157.3	Rm.	620.00	रुपये/रमी.		97511
फेसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय								97511

2		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
2.1	Special Rate	30x45 सेमी. पॉलीपाट में 10 प्रतिशत मृत पौधे प्रतिस्थापित हेतु पौधों तथा मध्य वितान के निश्चित एवं फलदार पौधों की तैयारी एवं रखरखाव हेतु द्वितीय वर्ष व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधे)	2035	Plants	22.00	रुपये/पौधे		44777.26
रोपणी कार्य पर तृतीय वर्ष व्यय								44777.26

3		रोपण क्षेत्र उपचार						
3.1		मृत पौध प्रत्यारोपण कार्य (10 प्रतिशत)						
3.1.1	PCCF Job Rate 1.5.2.2	मृत पौधों से बने खाली स्थान पर खोद एवं मध्य वितान के निश्चित एवं फलदार पौधों के रोपण हेतु गड्ढा खोवाई 60 x 60 x 60 सेमी साईज नरम मिट्टी में।	1850	Pits	10.50	मादि/सैकड़ा	194.2815	67027
3.1.2	Market/ Tender Rate	पौधों का परिवहन (पॉलीथीन साईज 30x45से.मी)	18503	Plants	22.00	रुपये/पौधे		407066
3.1.3	Market Rate	कीटनाशक क्लोरोफायरीफॉस डू एम.एल प्रति पौधा की मात्रा से उपयोग	5.55	Ltr	1100.00	रुपये/लिटर		6105.99
3.1.4	PCCF Job Rate 4.10.2.3	मृत पौधों से बने खाली स्थान पर खोदे गए 80x 60 सेमी साईज के गड्ढों में पौध एवं मध्य वितान के निश्चित एवं फलदार पौधों का रोपण	1850	Plants	3.55	मादि/सैकड़ा	65.69	22662
मृतप्रत्यारोपण कार्य पर कुल व्यय								502861

क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
				मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.11	PCCF Norms 4.11.1.2	प्रथम निदाई - एक मीटर व्यास में गोल निदाई, मृत पौधों को बदलना एवं गुड़ाई करना (अर्धचन्द्राकार थाला सहित) रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद आवश्यकतानुसार डाला जायेगा।	18503	Plants	1.20	प्रति सैकड़ा	222.036
5.1.12	PCCF Norms 4.11.2.2	द्वितीय निदाई - 1 मीटर चौड़ी पट्टी में की जायेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद आवश्यकतानुसार डाला जायेगा।	18503	Plants	2.00	प्रति सैकड़ा	370.06
5.1.13	PCCF Norms 4.11.3.2	तृतीय निदाई एवं गुड़ाई - 1 मीटर व्यास में गोल निदाई की जायेगी। खाद प्रयोग सहित। (तृतीय निदाई के साथ गुड़ाई किये जाने पर मृ. सतह पर बने कैपिलरी ट्यूब से भूमि सतह की नमी लम्बे समय तक बनी रहती है इसलिए तृतीय निदाई के साथ गुड़ाई किया जाना आवश्यक है।)	20353	Plants	2.00	प्रति सैकड़ा	407.066
5.1.14	PCCF Norms 1.3.1	मृदा जल संरक्षण कार्य स्थलों पर अखण्ड, कालमेघ, मोईनीम, केंचाव आदि की बीज बोवाई	6939	Rm.	0.25	प्रति सैकड़ा	17.35
5.1.15	PCCF Norms 1.3.2	लाइफ हेज निर्माण - अंग्रेज, नागफनी, गटारन, जटोका आदि का फेंसिंग के किनारे दो लाइन में बीज बोवाई/रोपण	3146	Rm.	1.25	प्रति सी. रमी.	39.32
5.1.16	special Rate	स्टीरिया, तिखुर, सर्पगंधा, शतावर, गिलोय, बाईबीडन, अहुसा, सवाईघाट, लेमनग्रास, खस, बच आदि के कटिंग/नंगे पौधे/कंद तैयार करना	46258	per plant	6.00	प्रति पौधा	277545
5.1.17	special Rate	रोपण क्षेत्र में 1 x 1 मी. के अंतराल पर स्टीरिया, तिखुर, सर्पगंधा, शतावर, गिलोय, बाईबीडन, अहुसा, सवाईघाट, लेमनग्रास, खस, बच आदि के कटिंग/नंगे पौधे का रोपण	46258	per plant	0.27	मा.दि./सैकड़ा	124.90
औषधीय प्रजाति के शाकीय/झाड़ी/बेला प्रजाति के पौधों के रोपण पर व्यय							1511053
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय							2508499
6	मृ-जल संरक्षण संरचनाओं का रखरखाव कार्य						
6.1	PCCF Job Rate & RES SOR	मृ-जल संरक्षण संरचनाओं का रखरखाव कार्य	18.50	Hect	1000.00	रुपये/हे.	18503
जल संवर्धन कार्य पर व्यय							18503
7	पानी सिंचाई कार्य						

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मादि	कुल राशि
					मादि/रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7.1	पौधों की रोपण पर्याप्त माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सांख्यिक पंप की सहायता से किया जाएगा। इस हेतु प्रति 05 हेक्टेयर 4-श्रमिक पानी को धारा बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुँचाने की कल किया जाएगा। हरियर जंग कोर परती रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आकड़ा के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 383 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो गया था तदनुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
	7.1.1	special Rate माह अप्रैल से जून तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	166.53	Times	1.820	मादि/सेकड़	303.0791	104562
	7.1.2	special Rate माह नवम्बर से मार्च तक 15 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	185.01	Times	1.820	मादि/सेकड़	336.7546	116180
	7.1.3	special Rate पम्प का रखरखाव एवं फ्लेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	18.50	Hect	2000.00	प्रति हेक्टे.		37006
सिंचाई पर कुल व्यय								257749
8		अन्य कल्चरल आपरेशन						
	8.1	Special CAMPA Rate Invasive Alien Species Removal - सचन क्षेत्र - वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species की जड़ को गैली से खोदकर निकालना एवं गुथे हुए तिरों को खींचकर निकालना निकालने के परसत ड्रेनिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुखने के उपसत सुरक्षित रूप से जलाना (तृतीय वर्ष कार्य)	7.40	Hect	3.00	मादि/हे.	22.2036	7660
	8.2	एकलीकरण कार्य						
	8.2.1	POCF Job Rate 1.23 जीवित टुटों से निकले मल्टीपल टुटों में से एक या दो स्वस्थ कॉपिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कॉपिस को कटाई एवं सफाई कार्य	1.85	Hect	3.00	मादि/हे.	5.5509	1915
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत कॉपिस का एकलीकरण कार्य पर व्यय								9575
9		अनुसंधान एवं विकास						
	9.1	Special Rate प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वनवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियोघ्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	18.50	Hect	3000.00	रुपये/हे.		55509

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	मा.दि./रु.	राशि/इकाई	8	9
2.1.6	PCCF Job Rate 4.11.12	औषधीय प्रजाति के रोपित पौधों में प्रथम सिंचाई/गुड़ाई एक मीटर व्यास में से की जावेगी जिसके साथ निधारित मात्रा में यूरिया तथा जैविक खाद डाला जाएगा। (अर्धचन्द्राकार थाला बनेगा एवं खाद प्रयोग सहित)	18503	Plants	1.20	मा.दि./सैकड़ा	222.036	76602.41
2.1.7	PCCF Job Rate 4.11.22	औषधीय प्रजाति के रोपित पौधों में द्वितीय सिंचाई/गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी एवं थाला बनाया जावेगा (2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	18503	Plants	2.00	मा.दि./सैकड़ा	370.06	127670.7
सिंचाई कार्य पर कुल व्यय :-								571372.64
रोपण क्षेत्र उपबोध कार्य पर कुल व्यय :-								571373
3								
6		पानी सिंचाई कार्य						
6.1		पौधों की रोपण परचात माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकता अनुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जाएगा। इस हेतु प्रति हे. हेक्टर पर 4 अधिक पानी की धारा बोलने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छ.ग. कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो स्तरीयों के द्वारा 3x3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था तदनुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
6.1.1	Special Rate	माह अप्रैल से जून तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	166.53	Times	1.820	मा.दि./सैकड़ा	303.0791	104562
6.1.2	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	185.03	Times	1.820	मा.दि./सैकड़ा	336.7546	116180
6.1.3		पम्प का रखरखाव एवं फ्लैक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	18.50	Hect.	2000.00	प्रति हे.हे.		37006
पानी सिंचाई पर व्यय								257749
7		अनुसंधान एवं विकास						
7.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वनवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	18.50	Hect	3000.00	रुपये/हे.		55509
7.2	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन - रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की गुंजाइश एवं मोटाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए कटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख बनाना करना	18503	Plants	2.10	रुपये/पौधा		38856.3
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय :-								94365.3

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
8.1	Special Rate	सुरक्षा अभिक 20 हे. तक एक अभिक माह अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टर में एक अभिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.93	12	26.00	मा.दि./माह	288.6468	99583
8.2		अन्य आकस्मिक व्यवस्था साईनबोर्ड, नेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं बोकीदार इट का रखरखाव कार्य						18503
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								118086
9		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
9.1		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि 15%						163546
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								163546
योग व्यय :-								1253874
अति पैसा व्यय								68

पंचम वर्ष रखरखाव कार्य (2028-29)

1		फेंसिंग मरम्मत कार्य						
1.1	PCCF Job Rate & RES SOR	फेंसिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	78.64	Rm.	620.00	रुपये/रमी.		48755
फेंसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय								48755
2		पानी सिंचाई						
2.1		पीछों की रोपण पश्चात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पीछों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 05 हेक्टर 4 अभिक पानी की चार बनाये एवं पाईप की सहायता से पीछों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। इसियर छ.ग. कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो अभिकों के द्वारा 3*3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टर में रोपित 1100 पीछों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना रागव हो पाया था तदनुसार प्रति 1000 पीछों में एक तरह सिंचाई हेतु 1.02 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
2.1.1	Special Rate	माह अप्रैल से मई तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	111.02	Times	1.820	मा.दि./सैकड़	202.0528	69708
2.1.2		पंप का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	18.50	Hect	2000.00	प्रति हेक्टे		37006
पानी सिंचाई पर व्यय								106714
5		मूत्रजल संस्लज सारपभाजा का रखरखाव कार्य						
6		अनुसंधान एवं विकास						
6.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी रोपण, वनवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार कोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	18.50	Hect	3000.00	रुपये/हे.		55509

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.2	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माई जून अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	18503	Plants	2.10	रुपये/पौधा		38856.3
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय								94365.3
7		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
7.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक रोपण क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.93	12	26.00	मा.दि/माह	288.6468	99583.146
7.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						13877.25

सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय								113460
8		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
8.1		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि 20%						98521.0738
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								98521.0738
योग व्यय :-								461816
प्रति पौधा व्यय								25

षष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य (2029-30)

1		फसिंग मरम्मत कार्य						
1.1	PCCF Job Rate & RES SOR	फसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	157.28	Rm.	620.00	रुपये/रमी.		97511
2	2.1	कटाई सफाई कार्य						
2.1.1	PCCF Job Rate 1.2.4	जीवित दूटों से निकले मल्टीपल शूटों में से एक या दो स्वस्थ कापिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य	18.50	Hect	3.00	मा.दि/हे.	55.509	19150.605
अन्य कल्चरल अपरेशन के तहत क्लानिंग कार्य पर व्यय								19150.605
3		अनुसंधान एवं विकास						
3.1	Special Rate	प्रशिक्षण -- नर्सरी, रोपण, वनवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, गनेटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	18.50	Hect	3000.00	रुपये/हे.		55509
3.2	special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माई जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	18503	Plants	2.10	रुपये/पौधा		38856.3
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय								94365.3
4		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						

क्र.	साम. दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 है. तब एक श्रमिक माह अप्रैल से मई तक (रोपण क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.93	12	26.00	मा.दि/माह	288.6468	99583
4.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साइनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण एवं चौकीदार हट कर रखरखाव कार्य						13877.25
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय								113460
5		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
5.1		मजदूरी/सामग्री की दरों में आकस्मिक वृद्धि 25%						81117
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								81117
योग व्यय :-								495604
प्रति फीमा व्यय								22
सप्तम वर्ष रखरखाव कार्य (2030-31)								
1		फेन्सिंग मरम्मत कार्य						
1.1	PCCP Job Rate & RES.SOR	फेन्सिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	78.64	Rm.	620.00	रुपये/रमी.		48755
फेन्सिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय								48755
2		अनुसंधान एवं विकास						
2.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वन्यप्रधनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ प्रशमन आदि।	18.50	Hect	3000.00	रुपये/हे.		55509
2.2	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन एवं कार्य माह जुन, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अगले वर्ष तैयार करना	18303	Plants	2.10	रुपये/पौधा		38856.3
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय								94365.3
3		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						

क्र.	कार्य चक्र क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 है. तक एक श्रमिक साई अगैल से मात्र तक (रोपण क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.93	12	26.00	मा.दि./माह	288.6468	99583
3.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार डट का रखरखाव कार्य						9251.5
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय								108835
4		आसानी/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
4.1		आसानी/मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि 30%						75585
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								75585
योग व्यय :-								327540
प्रति पौधा व्यय								18
अष्टम वर्ष रखरखाव कार्य (2031-32)								
1		फेंसिंग मरम्मत कार्य						
1.1	PCCF Job Rate & RES SOR	फेंसिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	78.64	Rm	628.00	रुपये/रमी		48755
2		अनुसंधान एवं विकास						
2.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वन्यवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	18.50	Hect	3000.00	रुपये/हे.		55509
2.2	special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की रुचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	18503	Plants	2.10	रुपये/पौधा		38856.3
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय								94365.3
3		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक रोपण क्षेत्र को रकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जाये।	0.93	12	26.00	मा.दि/माह	288.6468	99583
3.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						9251.5

सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय

108835

4		सामग्री/ मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
4.1		सामग्री/ मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि 35%						88185

दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय

88185

योग व्यय

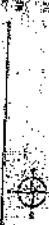
340141

प्रति बीघा व्यय

18

नवम वर्ष रखरखाव कार्य (2032-33)

1		फेंसिंग मरम्मत कार्य						
1.1	PCCF Job Rate & RES SOR	फेंसिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	78.64	Rm	620.00	रुपये/र.मी.		48755
फेंसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय								48755
2		अनुसंधान एवं विकास						
2.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी रोपण, जनवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार फोटो एवं विडियो ग्राफी, विरोधज्ञ प्रदर्शन आदि।	18.50	Hect	3000.00	रुपये/हे.		55509
2.2	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन - रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की लंबाई एवं घोलाई वृद्धि मापन का कार्य मार्च जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	18503	Plants	2.10	रुपये/पौधा		38856.3
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय								94365.3
3		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
3.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक रोपण क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जाये।	0.93	12	26.00	मा.दि/माह	288.6468	99583
3.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						8141.32



31-1-1977

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000

1000

1000

1000

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर (छ.ग.०)

☎07831-273091, 273092 (Office) 273093 (fax) email :- dfobalrampur@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./2024/16/22

बलरामपुर दिनांक/१३/९/2024

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,

नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर

Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2(1) (ii) of the van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam 1980 For diversion of 66.02 ha. (57 ha. Mining lease and 9.02 ha. Approach road of Forest Land fo Chhotedongar Iron Ore Mine M/s Bajrang Power & ISpat Ltd in Narayanpur district of Chhattigarh- regarding.

मुख्य वनसंरक्षक सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर का पत्र क्रमांक/मा.चि./न.क्र-04/5827 अम्बिकापुर दिनांक 06.08.2024

-00-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2(1) (ii) of the van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam 1980 For diversion of 66.02 ha. (57 ha. Mining lease and 9.02 ha. Approach road of Forest Land fo Chhotedongar Iron Ore Mine M/s Bajrang Power & ISpat Ltd in Narayanpur district of Chhattigarh प्रकरण अंतर्गत वैकल्पिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के संबंध में अतिरिक्त जानकारी के बिन्दु क्रमांक -7 के संबंध में जानकारी प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण में स्थल निरीक्षण वन परिक्षेत्राधिकारी चान्दो, स्थानीय राजस्व अधिकारी/कर्मचारी एवं पंचगण के उपस्थिति में किया गया। उनके प्रतिवेदन अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा बलरामपुर जिले के ग्राम बाटा कुल खसरा न. 19 रकबा 28.525 हे. वन कक्ष क्रमांक पी 3232 से बाहर है एवं ग्राम डूमरखोली कुल खसरा संख्या 17 रकबा 24.813 हे वन कक्ष क्रमांक पी 3231 से बाहर है। उपरोक्त प्रकरण अंतर्गत प्रस्तावित निजी भूमि में किसी भी प्रकरण का अतिक्रमण नहीं पाया गया और न ही वन क्षेत्र में ओवरलेप हो रहा है।

अतः प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

वनमण्डलाधिकारी

बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर

बलरामपुर, दिनांक/१३/९/2024

पृ.क्रमांक/मा.चि./10/23

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) अरण्य भवन सेक्टर 19 नार्थ ब्लॉक, अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।
2. मुख्य वनसंरक्षक सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर को संदर्भित पत्र के तारतम्य में अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।
3. मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड ग्राम बोरझारा, उरला गुमा रोड़ रायपुर की सूचनार्थ प्रेषित।

मा.चि.

वनमण्डलाधिकारी

बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर

D.F.O.

Narayanpur

LD.

10/9

कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र चान्दो बलरामपुर वनमण्डल
जिला-बलरामपुर-रागानुजगंज (छ0ग0)

Mobile No. 8305861358

E mail:- rangeofficerchando@gmail.com

क्रमांक/2024/ 729

चान्दो, दिनांक/29/08/2024

प्रति,

उप वनमण्डलाधिकारी
बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर (छ.ग.)

विषय :- Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2(i) (ii) of the van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam 1980 For diversion of 66.02 ha. (57 ha. Mining lease and 9.02 ha- Approach road of Forest Land of Chhotedonger Iron Ore Mine M/s Bajrang Power & Ispat Ltd in Narayanpur District of Chhatisgarh-regarding.

संदर्भ :- व.म.अ. बलरामपुर का पत्र क्रमांक/मा.वि./2024/9671 बलरामपुर, दिनांक 12.08.2024

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड ग्राम बोरझरा, उरला, गुमरोड रायपुर को भारत सरकार खान मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वन भूमि क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क का खनिज पट्टा स्वीकृति हेतु 30 वर्ष का अनुमोदन प्रदाय किया गया है जिसके बदले में वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान द्वारा बलरामपुर जिले के ग्राम बाटा कुल खसरा संख्या 19 रकबा 28.525 हे0 वनकक्ष क्रमांक पी 3232 से बाहर है एवं ग्राम डूमरखोली कुल खसरा संख्या 17 रकबा 24.813 हे0 वनकक्ष क्रमांक पी 3231 से बाहर है। प्रस्तावित राजस्व भूमि का मौका निरीक्षण प.स. सवाग, परिसर रक्षक कुवाग, राजस्व विभाग के कर्मचारी, पंचगण एवं आवेदन संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उक्त खसरा में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं पाया गया एवं किसी प्रकार का Overlepping नहीं है उक्त चयनित राजस्व भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु पूर्णतः उपयुक्त है।

संलग्न :- मौका पंचनामा 04 नग

वन परिक्षेत्राधिकारी
चान्दो

क्रमांक/2024/

चान्दो, दिनांक/ /08/2024

प्रतिपि :- मेसर्स श्री वजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम बोरझरा, उरला गुमरोड रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी

उप वनमण्डल बलरामपुर

क्रमांक-539 दिनांक 29/08/2024

वन परिक्षेत्राधिकारी
चान्दो

सूचना: वन मण्डलाधिकारी बलरामपुर के और
वन परिक्षेत्राधिकारी चान्दो के संयुक्त नाम से
सहमत होने के लिए प्रेषित अग्रिम आवेदन
कार्यालय वाकत सादर संश्लेषित है।

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

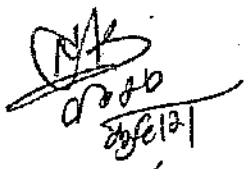
मौका पंचनामा दिनांक- 27/08/2024

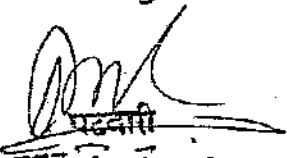
हम अधोहस्ताक्षरकर्ता पंचगण सच-सच पंचनामा लिखवा देते हैं, कि दिनांक 27/08/2024 को राजस्व विभाग, वन विभाग एवं वजरींग पावर एंड इस्पात लिमिटेड ग्राम बोरसरा, उरला, गुमरीड रायपुर के अधिकारी/उर्मचारी संयुक्त रूप से खसरा कुमांक 427=20723 है, 529=01809 है, 443=21415 है, 447=201878 है, 458=21692 है, 460=21331 है, 461=1680 है, 462=1619 है, 464=21031 है, 463=1173 है, 469=20287 है, 449=11862 है, 526=21505 है, 447=517=201800 है, 522=21421 है, 531=201401 है, 533=201206 है, 520=20688 है, 466=21304 है। कुल 19 खसरा नम्बरों का हम पंचों के समक्ष उक्त विभाग के उपरोक्त उर्मचारीयों के द्वारा बुझ-बुझ कर दखल निरीक्षण किया गया। उक्त खसरा कुमांक मौका जांच में वन क्षति को अतिक्रमिल नहीं कर रहा है। ये हम पंचों का पंचनामा है। औ सत्य एवं सही है। उक्त खसरा नम्बर P3232 कापट रहे हैं।

पंचनामा लिखवाकर, पढ़पाकर, सुनकर, पुरे होवा हवाका में शपना हस्ताक्षर/अंगुठा का मिशान लगावे, जो समय पर काम आवे।

कुं उपस्थित पंचो कनाम जाति

① प्रदीप/जैवियर	उरांव	लकुनत	हस्ताक्षर
② संतु/लक्ष्मण	बुजिया	बाटा	परीष देवी
③ जैवियर/बैलासियुस	उरांव	बाटा	संतु
④ पितरुस/जैवियर	उरांव	बाटा	जैवियर देवी
⑤ जौनप्रकाश/बैलासियुस	उरांव	बाटा	मिहिरा देवी


प्रदीप


संतु

पंचनामा मेरे द्वारा दर्ज किया गया।

परिक्षेत्र सहायक
सभाग

पंचनामा

आज दिनांक 27.08.2024 को हम ग्राम
 लोग के सामग्री यह पंचनामा करते हैं कि 7
 ग्राम-कारा प.ह.नं. 04 कारा व.ह. नमरी जिला ज
 बलरामपुर में स्थित रक.नं. 427, 529, 443, 4
 447, 458, 460, 461, 462, 464, 463, 469, 449
 526, 517, 522, 531, 533, 520, 466 रकबा
 2.723, 0.809, 1.415, 0.878, 1.692, 2.331
 1.680, 1.619, 2.031, 1.173, 0.287, 1.862, 2.555
 0.809, 1.421, 0.401, 0.206, 0.688, 2.304 हे भूमि
 का मौका निरीक्षण पटवारी, आर.आई, वन विभाग
 के कर्मचारी तथा ग्राम प्रमुखों की उपस्थिति
 में वाद भूमि का निरीक्षण किया गया। वादभूमि
 राज्य सरकार विभाग की है। इसमें वन विभाग का
 कोई हिस्सा भाग नहीं आता है।

अस्थित शर्मियों के हस्ताक्षर

- ① प्रदीप टोपा
- ② सन्तु
- ③ जैबियर टोपा
- ④ प्रियुष टोपी
- ⑤ ramprakash


 प.क.सिंह
 ग्राम-कारा प.ह.नं. 04 कारा व.ह. नमरी जिला ज
 बलरामपुर (उ.प्र.)
 20/08/2024

मौका पंचनामा दिनांक- २७/०८/२०२४

स्थान- डुमरखोली

हम अधोहस्ताक्षर कर्ता पंचगण सच-सच

पंचनामा लिखा देते हैं कि आज दिनांक २७/०८/२०२४ को हमारे ग्राम डुमरखोली में राजस्व विभाग वनविभाग एवं बजरींग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड ग्राम-बोरझरा, उरला, गुमरोड, रायपुर के अधिकारी/कर्मचारी मौके पर आए, संयुक्त रूप से खसरा क्रमांक एवं खसरा नं. में

२३२=१.३० है, २२२=५.६९२ है, २३१=०.३९५ है,

२४०=०.९०३ है, २४४=१.३४ है, २४८=०.५१३ है,

२५९=०.५४३ है, २२४=१.१३३ है, २२५=१.२६ है

२६१=०.८९२ है, २०६२०.८९८ है, २३८=१.३३९ है

२२९=१.५८ है, २४२=१.१४१ है, २०५=१.०२८ है

२२०=३.०६५ है, २२३=१.४८१ है, कुल १५ खसरा

खसरा २४.८१३ है का भ्रमण किया गया। जिसमें

कम भूमि अतिक्रमिल नहीं कर रहा है। एवं इफ्त

खसरा में अतिक्रमण नहीं है। ये खसरा में दृष्टीकरण

हेतु उपयुक्त है। यही हम पंचों का पंचनामा है।

जो सत्य एवं सही है। अंत खसरा नंबर P३२३ के सीमा काई

संलग्न हुआ है। हम पंचगण लिखाकर

पढ़ाकर, सुनकर एवं सही पाकर अपने पुरे होश

हवाश में अपना हस्ताक्षर/अंगुठा का निशान

लगाये। जो समय पर काम आवे।

क. उपस्थित पंचों के नाम

जाति

सकुनत

हस्ताक्षर

① कुलाश/रघुनाथ

नगेशिया

पुशनपानी

पं. ल. स.

② उपनाशयण/रिवशन

नगेशिया

(डुमरखोली)

—५०—

③ पुशननाथ/सिधु

—५०—

—५०—

पुशननाथ

④ वासो/उपनाशयण

—५०—

—५०—

वासो

⑤ देवी/लौया

—५०—

—५०—

देवी

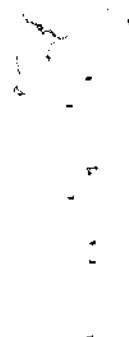
पंचनामा मेरे द्वारा

लिखा गया।

परिक्षेत्र सहायक
सभाग

कुलाश

पुशनपानी
हस्ताक्षर
तह. समी, बरनामपुरा (उ.प्र.)



पंजीकृत डाक द्वारा

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर-492002

24 DEC 2014

नया रायपुर, दिनांक

क्रमांक एफ 3-23/2010/12
प्रति,

✓ आवेदक मेसर्स श्री बजरंग,
पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड,
खसरा क्रमांक 2/3, ग्राम गोंदवारा,
उरला इण्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स,
रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषय:- जिला व तहसील नारायणपुर, ग्राम छोटेडोंगर स्थित वन कक्ष क. 252, 267, 268 एवं 269 का कुल रकबा 57.00 हेक्टर (वन भूमि) क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति हेतु अनुमोदित मायनिंग प्लान तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अनुमति प्रस्तुत करने बाबत।

—:0:—

मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड (पूर्व में श्री बजरंग मेटालिक्स एण्ड पावर लिमिटेड) के पक्ष में जिला व तहसील नारायणपुर, ग्राम छोटेडोंगर स्थित वन कक्ष क. 252, 267, 268 एवं 269 का कुल रकबा 57.00 हेक्टर (वन भूमि) क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति हेतु 30 वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार, खान मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5/96/2010-M.IV, नई दिल्ली, दिनांक 13.4.2011 द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के तहत पूर्वानुमोदन प्रदाय किया गया है।

2/ आवेदित क्षेत्र जिसके अक्षांश-देशांश एवं वन कक्ष क्रमांक का विवरण निम्नानुसार है:-

जिला, वनमण्डल, वनरेंज तथा ग्राम	वन कक्ष क्रमांक	आवेदित रकबा (हेक्टर)	आवेदित क्षेत्र में से खनिपट्टा स्वीकृति हेतु उपलब्ध रकबा (हेक्टर)	आवेदित क्षेत्र का विवरण		
				आवेदित क्षेत्र के कोऑर्डिनेट्स टोपोग्रीड क. 85 E/7		
				बिंदु	देशांश	अक्षांश
1	2	3	4	5	6	7
नारायणपुर,	252	20.00	20.00	A	81° 16' 58.6"	19° 24' 43.9"
नारायणपुर,	267	20.00	20.00	B	81° 17' 12.5"	19° 24' 51.4"
छोटेडोंगर	268	14.00	14.00	C	81° 17' 31.9"	19° 24' 20.4"
	269	3.00	3.00	D	81° 17' 17.6"	19° 24' 12.5"
		57.00	57.00			

3/ आवेदित क्षेत्र राजस्व वन भूमि है। अतः उपर्युक्त उपलब्ध क्षेत्र पर खनिपट्टा स्वीकृत किये जाने के पूर्व भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त की जानी होगी तथा पूर्वोक्त क्षेत्र का अनुमोदित मायनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना होगा।

4/ आवेदित क्षेत्र संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतएव प्रकरण को "समथा निर्णय" के परिप्रेक्ष्य में सचिव स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 15.10.2014 में तथा मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक दिनांक 25.11.2014 में अनुशंसा/अभिमत हेतु रखा गया था।

समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि यदि आवेदक द्वारा खनिपट्टा के अनुबंध में निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तें/कंडिका जोड़े जाने बाबत स्वैच्छिक सहमति दी जाती है तो उसके पक्ष में खनिपट्टा स्वीकृत किए जाने हेतु विचार किया जाए :-

- 1 खनिपट्टाधारी द्वारा अकुशल गैर तकनीकी प्रकृति के कार्य हेतु स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र के भीतर प्रभावित आदिवासी निवासियों अथवा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले निवासियों के परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, यदि खान में उपलब्ध रोजगार अधिक है तो खान क्षेत्र के आस-पास के ग्रामों की बढ़ती दूरी के कम में प्रभावित निवासियों को रोजगार उपलब्धतानुसार प्रदाय किया जाएगा।
- 2 खनिपट्टा क्षेत्र के अंतर्गत आवेदित वन क्षेत्र में उत्पादित होने वाले वनोपज का कलेक्टर द्वारा निर्धारित अनुमानित मूल्य के आधार पर प्रोटेक्टा प्रति परिवार वार्षिक आय की राशि जिला कलेक्टर के पास जमा की जाएगी। तत्पश्चात यह राशि प्रभावित परिवार के मुखिया (कती) के नाम पर ट्रांसफर की जाएगी। इस राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
- 3 खनिपट्टा की स्वीकृति से सीधे तौर पर प्रभावित ग्राम/ग्राम पंचायत तथा पट्टा क्षेत्र में मायनिंग से प्राप्त खनिज की रायल्टी के 20 प्रतिशत के बराबर राशि का व्यय सामुदायिक विकास के कार्यों यथा पर्यावरण सुधार, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि-आदि पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन पर किया जाएगा। उक्त राशि कंपनी के द्वारा कंपनी अधिनियम में प्रावधानित CSR में व्यय की जाने वाली राशि के अतिरिक्त होगी।
- 4 खनिपट्टाधारी पर्यावरण संरक्षण हेतु मायनिंग लीज के क्षेत्र में किए जाने वाले वृक्षारोपण में किस प्रजाति के वृक्ष रोपित किए जाए, इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायत/ग्राम सभा से राय प्राप्त की जाएगी।
- 5 खनिपट्टाधारी द्वारा मायनिंग लीज क्षेत्र से खनन किए जाने वाले खनिज आयरन ओर का उपयोग आवेदक कंपनी के लौह अयस्क आधारित संयंत्र में कैस्टिव यूज में किये जाने बाबत निम्नानुसार कंडिका खनिपट्टा अनुबंध में जोड़ी जाएगी:-

" The entire ore produced in the mining operation shall be used exclusively for own consumption in iron or steel making and cannot be either sold in India or exported to other countries."

5/ मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड (पूर्व में श्री बजरंग मेटालिक्स एण्ड पावर लिमिटेड) के पक्ष में जिला कं-तहसील नारायणपुर, ग्राम छोटेडोंगर के पैरा-2 की तालिका में उल्लेखित क्षेत्र पर स्वीकृत किए जाने वाले मायनिंग लीज के अनुबंध में पैरा-4 अनुसार अतिरिक्त शर्तें/कंडिकाएं जोड़े जाने हेतु सहमति देने के लिए आवेदक कंपनी को विभागीय पत्र दिनांक 10.12.2014 द्वारा लेख किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में आवेदक कंपनी मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 11.12.2014 द्वारा अपनी स्वैच्छिक सहमति उपलब्ध कराई है।

6/ आवेदित क्षेत्र हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने में असफल रहने के फलस्वरूप यदि कंपनी द्वारा तैयार कराया गया मायनिंग प्लान निष्फल हो जाता है तो इसका कोई उत्तरदायित्व राज्य शासन पर नहीं होगा एवं इस संबंध में कंपनी द्वारा राज्य शासन के विरुद्ध कोई दावा (Claim) मान्य नहीं किया जाएगा।

7/ वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त करने तथा मायनिंग प्लान तैयार कराये जाने के लिए जारी की जा रही इस अनुमति से आपको उपर्युक्त आवेदित क्षेत्र पर प्रवेश करने या खनन कार्य करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

8/ यदि आवेदक कंपनी को उपर्युक्त शर्तें मान्य हों तो पैरा-2 की तालिका में दर्शित क्षेत्र के लिए इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 06 माह की अवधि के भीतर इंडियन ब्यूरो ऑफ माईन्स से माइनिंग प्लान अनुमोदित कराकर इस विभाग को प्रस्तुत करें एवं साथ ही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत आवश्यक अनुमति एवं खनन कार्य के लिए नियमानुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्यवाही करें।

संलग्न :- मानचित्र

(के०डी० कुंजाम)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

खनिज साधन विभाग

नया रायपुर, दिनांक

पृ०क्रमांक एफ 3-23/2010/12

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. कन्ट्रोलर जनरल, भारतीय खान ब्यूरो, सेक्रेण्ड फ्लोर, ए ब्लॉक, इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर, (महाराष्ट्र)।
3. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, सेक्रेण्ड फ्लोर, ए ब्लॉक, इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर, (महाराष्ट्र)।
4. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड, व्यवसायिक परिसर, कबीर नगर, छ.ग. हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, रायपुर, (छ.ग.)।
5. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, बी-ब्लॉक, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला-नारायणपुर, (छ.ग.)।
7. नोडल आफिसर, मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर, (छ.ग.)।
8. वन मंडलाधिकारी, वन मंडल नारायणपुर, जिला नारायणपुर, (छ.ग.)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

9. गार्ड फाईल रजिस्टर

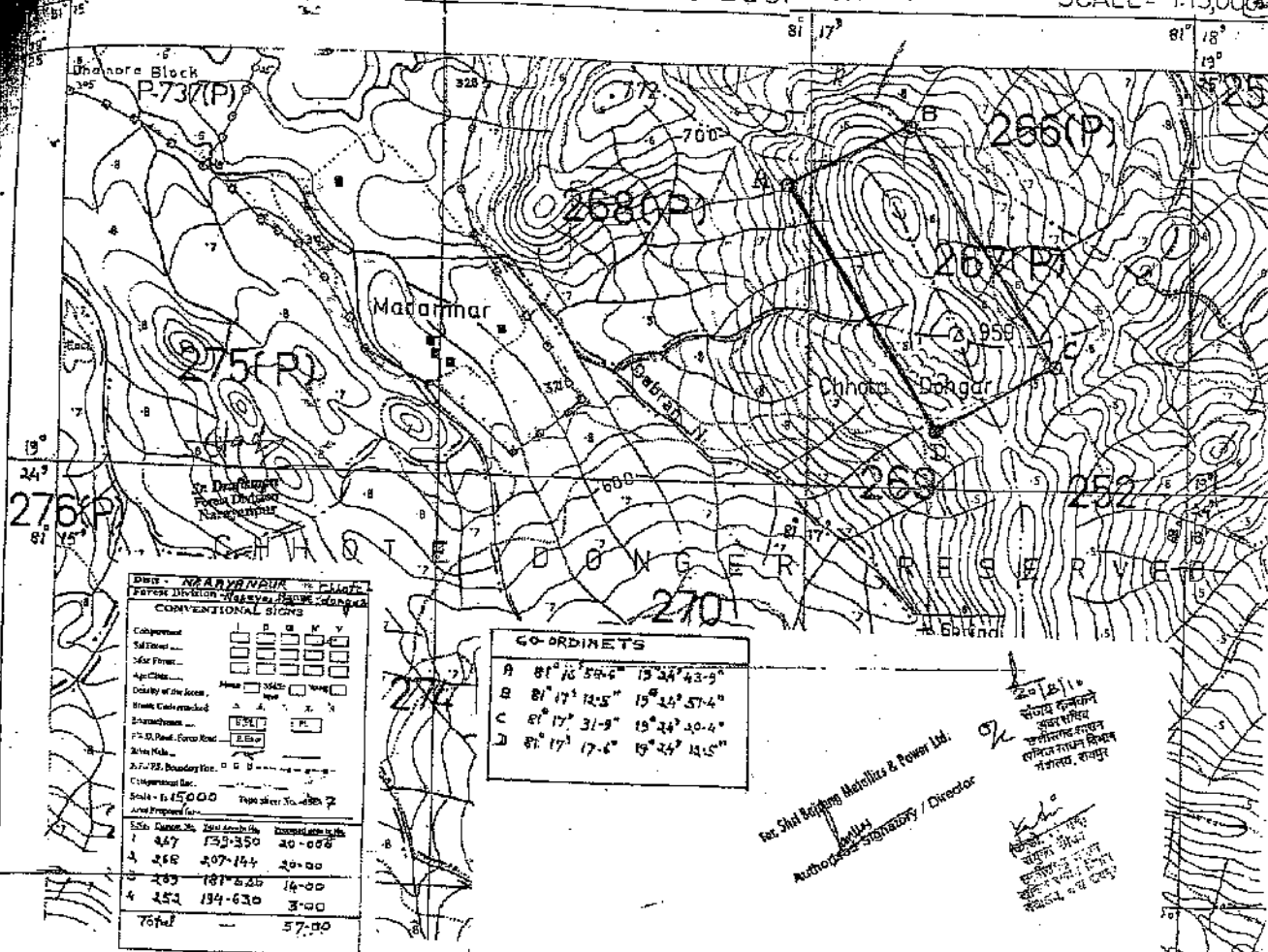
सही/-

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

खनिज साधन विभाग

SCALE = 1:15,000



पंजीकृत डाक द्वारा

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर-492 002

क्रमांक एफ 3-23/2010/12
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक

कलेक्टर,
जिला-नारायणपुर,
छत्तीसगढ़।

विषय:-जिला व तहसील नारायणपुर, ग्राम छोटेडोंगर स्थित वन कक्ष क्रमांक 252, 267, 268 एवं 269 का कुल रकबा 57.00 हेक्टर (वन भूमि) क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति हेतु-मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड।

संदर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 24.12.2014.

—0—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 24.12.2014 द्वारा जिला व तहसील नारायणपुर, ग्राम छोटेडोंगर स्थित वन कक्ष क्रमांक 252, 267, 268 एवं 269 का कुल रकबा 57.00 हेक्टर (वन भूमि) क्षेत्र पर मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड के पक्ष में खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लेते हुए भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर से अनुमोदित मायनिंग प्लान 06 माह के भीतर प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है।

2/ श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 08.02.2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके पक्ष में प्रश्नाधीन क्षेत्र पर 30 वर्ष के लिए खनिज आयरन और के स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र के लिए विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 24.12.2014 में उल्लेखित प्रश्नाधीन क्षेत्र के रकबा, वन कक्ष क्रमांक में तथा उक्त आदेश के साथ संलग्न नक्शे में उल्लेखित प्रश्नाधीन क्षेत्र के रकबा, वन कक्ष क्रमांक में भिन्नता है। जिसके कारण आई.बी.एम. से माइनिंग प्लान के अनुमोदन हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। तत्संबंध में आवेदक कंपनी द्वारा विभागीय पत्र दिनांक 24.12.2014 में उल्लेखित प्रश्नाधीन क्षेत्र के रकबा, वन कक्ष क्रमांक को संलग्न नक्शे में उल्लेखित प्रश्नाधीन क्षेत्र के रकबा, वन कक्ष क्रमांक अनुसार संशोधन किये जानें हेतु अनुरोध किया गया है।

2.1 विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 24.12.2014 में आवेदित क्षेत्र के वन कक्ष क्रमांक का विवरण निम्नानुसार उल्लेखित है:-

आवेदित क्षेत्र का विवरण	
वन कक्ष क्रमांक	आवेदित रकबा (हेक्टर)
1	2
252	20.00
267	20.00
268	14.00
269	3.00
	57.00

2.2 आवेदक द्वारा प्रस्तुत खनिपट्टा आवेदन दिनांक 08.04.2009 तथा विभागीय पत्र दिनांक 24.12.2014 के साथ संलग्न नक्शे में वन कक्ष क्रमांक का विवरण निम्नानुसार उल्लेखित है:-

आवेदित क्षेत्र का विवरण	
वन कक्ष क्रमांक	आवेदित रकबा (हेक्टर)
1	2
267	20.00
268	20.00
269	14.00
252	3.00
	57.00

1/12/11

3/ यहां यह उल्लेखनीय है कि आवेदक कंपनी श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड के पक्ष में खनिज आयरन और का खनिपट्टा प्रस्तावित क्षेत्र पर 30 वर्षों हेतु स्वीकृत करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है तथा दिनांक 24.12.2014 से 06 माह की अवधि के भीतर आई.बी.एम. से अनुमोदित माइनिंग प्लान जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। आवेदक कंपनी के द्वारा माइनिंग प्लान जमा नहीं कर पाने के कारण इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 06.07.2015 द्वारा 03 माह (दिनांक 25.06.2015 से 24.09.2015 तक) एवं पत्र दिनांक 26.09.2015 द्वारा पुनः 06 माह (दिनांक 25.09.2015 से 24.03.2016 तक) की अतिरिक्त समय वृद्धि प्रदान किया गया है।

4/ एम.सी.आर., 1960 के नियम 56 में संशोधन किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रावधान किये गये हैं :-

56. Power to rectify apparent mistakes: - Any clerical or arithmetical mistake in any order passed by the Government or any other authority or officer under these rules and any error arising therein from accidental slip or omission, may, within two years from the date of the order, be corrected by the Government, authority or officer, as the case may be:

Provided that no order prejudicial to any person shall be passed unless he has been given a reasonable opportunity for stating his case.

5/ अतएव उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन, एतद्वारा, एम.सी.आर., 1960 के नियम 56 के प्रावधानगत विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 24.12.2014 में उल्लेखित पैरा-2 की तालिका के कॉलम क्रमांक 2, 3 एवं 4 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित करता है :-

आवेदित क्षेत्र का विवरण		आवेदित क्षेत्र में से खनिपट्टा स्वीकृति हेतु उपलब्ध रकबा (हेक्टर में)
वन कक्ष क्रमांक	आवेदित रकबा (हेक्टर में)	
2	3	4
267	20.00	20.00
268	20.00	20.00
269	14.00	14.00
252	3.00	3.00
	57.00	57.00

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(संजय कनकने)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खनिज साधन विभाग

नया रायपुर, दिनांक - 4 MAR 2016

पृ0क्रमांक एफ 3-23/2010/12

प्रतिलिपि :-

1. कंट्रोलर जनरल, इंडियन ब्यूरो आफ माईन्स, सेक्रेण्ड फ्लोर ए ब्लॉक, इंदिरा भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर(महाराष्ट्र)
2. डायरेक्टर आफ माईन्स एण्ड सेफ्टी, सीपत रोड, एसईसीएल लिमिटेड परिसर, बिलासपुर
3. संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-डी, द्वितीय तल, नया रायपुर (छत्तीसगढ़)
4. मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमि0, खसरा क्रमांक 2/3, ग्राम गोंदवारा, उरला इण्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, रायपुर, छत्तीसगढ़।
5. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. गार्ड फाईल रजिस्टर।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खनिज साधन विभाग



पंजीकृत डाक द्वारा

**छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर-492 002**

क्रमांक एफ 3-23/2010/12
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
अरण्य भवन, मेडिकल कालेज रोड़,
रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषय :- जिला व तहसील नारायणपुर, ग्राम छोटेडोंगर स्थित वन कक्ष क्रमांक 252, 267, 268 एवं 269 का कुल रकबा 57.00 हेक्टर (वन भूमि) क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति हेतु-मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक भू-प्रबंध/खनिज/331-230/1195, दिनांक 03.05.2017

---:0:---

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में न्यायालयीन आदेश दिनांक 11.01.2017 एवं एमएमडीआर एक्ट, 1957 (यथासंशोधित) के संदर्भ में मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड को जारी LoI दिनांक 24.12.2014 की वैधानिक स्थिति निम्नानुसार है:-

1. MMDR, (Amendment) Act, 2015 की धारा-10A(2)(c) सहपठित खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 8(4) के तहत विषयक खनिपट्टा प्रकरण में खनिपट्टा स्वीकृति आदेश, माईनिंग लीज क्षेत्र का अनुबंध निष्पादन उपरांत दिनांक 11.01.2017 तक रजिस्टर किया जाना था।
2. आवेदक कंपनी द्वारा LoI दिनांक 24.12.2014 के परिप्रेक्ष्य में FCA 1980 के तहत आवश्यक अनुमति प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी नहीं किया गया है।
3. खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 8(4) के प्रावधान निम्नानुसार है :-

"Where an order for grant of mining lease has been issued under sub-rule(2) the mining lease shall be executed with the applicant in the format specified in Schedule VII and registered on or before 11 January 2017 failing which the right of such an applicant under clause (c) of sub-section(2) of Section 10A for grant of a mining lease shall be forfeited and in such cases, it would not be mandatory for the State Government to issue any order in this regard."

//02//

4. मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड ने उपरोक्त के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष प्रकरण क्रमांक WP(C) No. 262/2017 दायर की गई है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने दिनांक 11.01.2017 द्वारा निम्नानुसार अंतरिम आदेश पारित किया गया है :-

ORDER
11.01.2017

".....In view of the interim order of the Supreme Court passed on 6th January, 2017 in SLP No.36578/2016 (State of Odisha v. M/s Mesco Steel Ltd. & Ors.) whereby the Supreme Court made it clear that the cut-off date of 11th January, 2017 would not come in the way of granting relief to the respondents in the SLP, if it became necessary, we pass a similar interim order directing that the cut-off date of 11th January, 2017 will not come in the way of granting relief to the petitioners, if it becomes necessary.

- 2/ अतएव माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा जारी उपरोक्त आदेश दिनांक 11.01.2017 के संदर्भ में प्रकरण की वैधानिक स्थिति कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सतीश
(संजय कनकने)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

पृ० क्रमांक एफ 3-23/2010/12

प्रतिलिपि :-

मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमि०, खसरा क्रमांक 2/3, ग्राम गोंदवारा, उरला इण्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर उपर्युक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव 5/17

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

नया रायपुर, दिनांक 30 MAY 2017

REGISTERED A/D

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
खान मंत्रालय
MINISTRY OF MINES
भारतीय खान ब्यूरो
INDIAN BUREAU OF MINES
नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय
NAGPUR REGIONAL OFFICE

पता - नया
क. ए. नं. १००
इ. ए. नं. १००
जिला - नागपुर
नागपुर - ४४० ००१
१st Floor, C & T Block,
Jadga Bazar, Laxmi, Nagpur - 440 001
Telephone 226794,
226881 (Office)

No. NPT/FE/MPLN-1159/NOP

Dated: 21/03/2016

To

✓ M/s Sri Bajrang Power & Iron Limited
Village-Berhara,
Urja-Guna Road,
Urja, Raipur-493221
Chhattisgarh



Subject: Approval of Mining Plan along with Progressive Mine Closure Plan in respect of applied area of Iron Ore mining lease of M/S Sri Bajrang Power & Iron Limited over an area of 57.00 hectare situated in Village Chhate Dongar Forest Range in Tehsil-Narayanpur District-Narayanpur of Chhattisgarh State submitted for grant of mining lease under Rule 22(1) of Mineral Concession Rules, 1960.

- References: i) Your letter number SBPIL/2015-16/067, dated 27/04/2015.
ii) This office letter of even number dated 29/10/2015.
iii) Your ROP's letter number GSPL/SBPIL/15-16/092, dated 14/12/2015.
iv) This office letter of even number dated 12/01/2016.
v) Your ROP's letter number GSPL/SBPIL/15-16/098, dated 08/03/2016.

Sh.

In exercise of the power conferred by the Clause (b) of Sub-section (2) of Section 5 of the Mines & Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 read with Government of India Order No. S.O. 441 (E) dated 28.4.1987, I hereby APPROVE the above said Mining Plan along with Progressive Mine Closure Plan (PMCP). This approval is subject to the following conditions:-

- i) The Mining Plan is approved without prejudice to any other laws applicable to the mine area from time to time whether made by the Central Government, State Government or any other authority and without prejudice to any other order or direction from any court of competent jurisdiction.
- ii) The proposals shown on the plans and/or given in the document is based on the lease map/sketch submitted by the applicant/lessee and is applicable from the date of approval.
- iii) It is clarified that this approval of aforesaid Mining Plan does not in any way imply the approval of the Government in terms of any other provisions of the Mines & Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 or the Mineral Concession Rules, 1960 or any other laws including Forest (Conservation) Act, 1980, Environment Protection Act, 1986 or rules made there under, Mines Act, 1952 and Rule & Regulation made there under.

- iv) The Indian Bureau of Mines has not undertaken verification of the mining lease boundary on the ground and does not undertake any responsibilities regarding correctness of the boundaries of the lease/ applied area shown on the ground with reference to lease map & other plans furnished by the applicant/lessee, as it is the responsibility of the State Government & lessee under Rule 33 of Mineral Concession Rules, 1960.
- v) At any stage, if it is observed that the information furnished, data incorporated in the document are incorrect or misrepresent facts, the approval of the document shall be revoked with immediate effect.
- vi) This approval of Mining Plan under Rule 22 of MCR 1960 is subject to the provision of Forest (Conservation) Act, 1980, Forest Conservation Rules 1981, and other relevant statutes, orders and guidelines as may be applicable to the lease area from time to time.
- vii) The provisions of the Mines Act, 1952 and Rules and Regulations made there under including submission of notice of opening, appointment of manager and other statutory officials as required by the Mines Act, 1952 shall be complied with.
- viii) The execution of the said Mining Plan shall be subjected to vicarious of workmen's orders, notices, etc.
- ix) If anything found to be contravened as required by the Mines Act, 1952 in the contents of the above said Mining Plan and the proposal for rectification has not been made the approval shall be deemed to have been withdrawn with immediate effect.
- x) This approval of proposed mining operations and associated activities is restricted to the mining lease area only. The mining lease area as shown on the statutory plans under rule 28 of Mineral Conservation and Development Rules, 1988, is by the lessee. RQP applicant and Indian Bureau of Mines has not taken verification of mining lease boundary on the ground.
- xi) Yearly report is required under Rule 21E(2) of MCDR, 1988 setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved Progressive Mine Closure Plan and, if there is any deviation, reasons thereof shall be submitted before 1st July of every year to the Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, Nagpur after opening of the mine.
- xii) Your attention is invited to the Supreme Court interim order in W. P.(C) No. 202 dated 12.12.1996 for compliance. The approval of above said Mining Plan is therefore, issued without prejudice to and is subject to the said directions of the Supreme Court as applicable.
- xiii) The details of the grant of mining lease by the State Government, whenever such an order is passed, may be intimated to the Regional Controller of Mines, Nagpur Region, Indian Bureau of Mines, Nagpur.

- xiv) The lessee will submit the financial assurance to the Regional Controller of Mines, Nagpur Region, Indian Bureau of Mines, Nagpur before executing the mining lease deed as required under rule 23F(3) of Mineral Conservation and Development Rules, 1988.
- xv) This approval is given for the received prospective proposal given in the document subject to all other statutory clearances and the approval is applicable from this date onwards. The earlier instances of irregular mining (if any) shall not be regularized through the approval of this document. The first year of the working proposal shall be considered as the financial year in which the lease deed is executed.
- xvi) A copy of Environment Impact Assessment-Environment Management Plan (EIA-EMP) as approved by MOEF (Ministry of Environment & Forests) shall be submitted to RCM immediately after approval by MOEF alongwith a copy of their approval letter.
- xvii) A copy of the lease deed after execution of Mining Lease shall be submitted to this office.
- xviii) The approval of the above said Mining Plan alongwith Progressive Mine Closure Plan is subject to the compliance of Ministry of Mines' letter number F.No. 10/75/2008-MY, dated 23.12.2010 regarding expiation to be carried out within prescribed time limit as mentioned in the said letter as per UNBC norms.

xix) This approval is subject to the comments of State Government received, which will be binding on RCM for implementation.

xx) The applicant/lessee has to comply with the terms & conditions laid down in the LOI issued by the State Government in this case.

Encl.: One copy of Approved Mining Plan alongwith with Progressive Mine Closure Plan.



Yours faithfully,

(Signature)
(Arun Prasad)

Regional Controller of Mines

Copy forwarded to:

1. The Director, Directorate of Geology & Mining, Government of Chhattisgarh, Indrawati Bhawan, Block-4, Second Floor, D-Block, Naya Raipur, PIN-492002 Chhattisgarh along with one copy of Approved Mining with PMCP by REGISTERED PARCEL with a request to advise the applicant/lessee to submit the financial assurance to the Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, Nagpur to comply with the provision of Rule 23 F(3) of Mineral Conservation and Development Rules, 1988 before executing the mining lease deed. The lease deed shall be executed only after receiving confirmation letter of acceptance of the Financial Assurance from the Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, Nagpur submitted under Rule 23F of Mineral Conservation and Development Rules, 1988.

2. M/s Geo Solutions (P) Ltd. RQP, C/o. Sri Shreebh Saha, Authorised Signatory,
HIC- 21, Amal Nagar, Haden Sector, Bhalal, Dist:- Durg (Chhattisgarh) 490
009 for information.

(Arun Prasad)
Regional Controller of Mines



MCR-2016

(7) Any person aggrieved by an order made or direction issued by the Chief Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, concerning approval of mining plan may within thirty days of the communication of such order or direction, apply to the Controller General, Indian Bureau of Mines for a revision of such order or direction and his decision thereon shall be final:

Provided that any such application may be entertained after the said period of thirty days, if the applicant satisfies the Controller General, Indian Bureau of Mines that he had sufficient cause for not making the application in time.

(8) On receipt of an application under sub-rule (7), the Controller General, Indian Bureau of Mines may confirm, modify or set aside the order or direction issued by the Chief Controller of Mines, Indian Bureau of Mines within a period of ninety days from the date of receipt of such application.

17. **Modification and review of the mining plan.-** (1) The mining plan once approved shall be subject to review and updation at an interval of every five years starting from the date of execution of the duly executed mining lease deed.

(2) At least one hundred eighty days before the expiry of every five years period specified in sub-rule (1), the lessee shall submit a mining plan for mining operations for a period of five subsequent years prepared in accordance with rule 15, which shall be disposed of in accordance with rule 16.

(3) A holder of a mining lease may seek modifications in the approved mining plan as are considered expedient, keeping in view changes in the business environment, or for facilitating increase in production capacity, or in the interest of safe and scientific mining, conservation of minerals, for the protection of environment; or any other reason to be specified in writing by the holder of a mining lease. Any modification to a mining plan shall be approved by the approving authority that approved the initial mining plan.

(4) In case of modifications to a mining plan, the provisions of rule 16 shall apply *mutatis mutandis*.

(5) In case of a system established by the State Government, the modification of mining plan shall be in accordance with such system.

CHAPTER VI: EXPIRY OF A MINING LEASE

- ¹[18. **Auction of expiring mining lease.-** (1) The State Government shall, as per the procedure specified in the Act and the rules made thereunder, conduct auction of an expiring mining lease well in advance of its expiry so as to prevent disruption in production of minerals.
- (2) The State Government shall endeavour to complete the auction process at least six months before the impending expiry of a mining lease so that there is a smooth transition from one lessee to the other; and the lease in such cases shall be executed after the expiry of the lease period of the existing lessee.]

1: Substituted by G.S.R.191 (E), dated 20.03.2020



100 - 33000000


MINING PLAN OF CHHOTEDONGAR IRON ORE DEPOSIT, AREA 57 HA,
DISTRICT- NARAYANPUR (CHHATTISGARH)
Applicant: M/s SHRI BAJRANG POWER AND ISPAT LTD, RAIPUR.
(vii) Conceptual reclamation and rehabilitation of the worked out area.

Since the mining will be carried out by top slicing method, due to mining the height of the hill will be reduced and a major pit will be converted into pit and some part will be converted as working faces and will be part of hill slopes. The mined out area cannot be reclaimed through backfilling and major pit will be converted into water reservoir.

(viii) Post mining land use envisaged.

अनुमोदित
APPROVED

	Description	Area in Hectares			
		Present	Additional area required during this plan period	End of the 5 year	End of the conceptual period
1	Area under Pits	Nil	6.730	6.730	6.930
2	Area under roads	Nil	2.480	2.480	2.480
3	Area under Infrastructure/ C&S Plant	Nil	0.31	0.31	Nil
4	Area under top soil Dump	Nil	Nil	Nil	Nil
5	Area under Storage	Nil	Nil	Nil	Nil
6	Area under BHQ Waste Dump	Nil	2.098	2.098	2.698
7	Area under Plantation	Nil	4.700	4.700	4.700
	Total	Nil	16.318	16.318	17.118

COST BENEFIT ANALYSIS

For

Diversion of Forest Land over an Area of 66.02 Ha.

(57.00 Ha. ML Area and 9.02 Ha. for approach road)

WITH RESPECT TO

CHHOTEDONGAR IRON ORE MINE

OF

M/S SHRI BAJRANG POWER AND ISPAT LTD.

**EVALUATION OF LOSS OF FOREST IN
NARAYANPUR FOREST DIVISION, NARAYANPUR**
For Proposed Shri Bajrang Power & Ispat Ltd., Raipur, Chhotedongar Iron Ore Mines
at Gram Dhanora (Chhotedongar) At Narayanpur
(W.R.F. Annexure II Cost Benefit Analysis Performa)

CALCULATION DETAILS

PROJECT

	:-	PROPOSED BAJRANG POWER & ISPAT LTD. RAIPUR CHHOTEDONGAR IRON ORE MINES AT GRAM DHANORA Forest Division Narayanpur, District Narayanpur
1. Forest land needed	:-	66.020 Ha.
2. Average Quality of Forest	:-	Mixed Forest III
3. Average Density of Forest	:-	0.6
Total No. of Trees (as per enumeration list of sample plot laid in)	:-	22360
4. Estimated Total Volume	:-	1221.436 cmt.
5. Estimated Timber Volume	:-	825.712 cmt.
6. Estimated Fuel Volume	:-	395.724 cmt.

(A) ITEM - 1

Evaluation of loss of timber, fuel, Minor forest
Produce, mandays and Expectation of potential
of soil.

(a) Value of Timber (24000/- Per cmt.)	:-	$825.712 \times 24000 =$	Rs.	19817088.00
(b) Value of Fuel (2124/- Per cmt.)	:-	$395.724 \times 2124 =$	Rs.	840518.00

(c) Value of Minor forest produce	:-	Revenue Per Ha. x Area applied $5325 \times 66.020 =$	Rs.	351556.00
--------------------------------------	----	--	-----	-----------

(i) Total Annual revenue from M.F.P. in the Division	:-	$5325 \times 114868 =$	611672100.00
--	----	------------------------	--------------

(ii) Total Forest Area of the Division	:-	1148.686 Sq./Km. 114868.65 Ha.
---	----	-----------------------------------

(iii) Average annual revenue per Ha. For M.F.P. in the Division	:-	5325.00
---	----	---------

(d) Value of Mandays	:-	Mandays per Ha. X Area Applied x Daily wages $292 \times 66.020 \times 323 =$	6226742.00
----------------------	----	--	------------

(i) Cost of coupe working 66.020 Ha. 1221.436 cmt. @ of 15.25 M.D. per cmt. = 6016488.00 there for per ha. Cost	:-	
---	----	--

100

100

Rs. 91131.00

59

$$\begin{aligned}\text{Mandays} &= \frac{\text{Cost per Ha.}}{\text{Daily Wages}} \\ &= \frac{91131.00}{323} = 282.00\end{aligned}$$

- (ii) Cost of M.F.P. Collection per Ha. is about 60% of gross revenue per Ha.

$$= \frac{5325 \times 60}{100} = 3195.00$$

There for Mandays

$$\begin{aligned}&= \frac{\text{Cost per Ha.}}{\text{Daily wages}} \\ &= \frac{3195.00}{323} = 10.00\end{aligned}$$

Total Mandays per Ha.
282 + 10.00 = 292.00

- (e) Expectation of potential value of soil (Faustmans' formula)

$$(i) \quad C_0 = \frac{(R)}{1.0p^{n-1}}$$

Where R = Upset price of forest growth (67957.00)
 p = Rate of interest (4%)
 n = Period of rotation (40 yrs)

$$\text{Reciprocal Value of } \frac{(1)}{1.0p^{n-1}} = 0.2632$$

C_0 = upset price x reciprocal value
67957.00 x 0.2632 =

Rs. 17886.00

- (ii) Revenue obtained from intermediate yield

$$C = \frac{T}{1.0p^{an} - 1.0p^{n-1}}$$

Where T = Revenue obtained from thinning (300/- per hectare)
 p = Rate of interest (4%)
 a = Year of thinning (10th)

$$\text{Reciprocal value of } = \frac{T}{1.0p^{an} - 1.0p^{n-1}} = 0.6760$$

C = Revenue per Ha. X Reciprocal value x Area for transfer
= 5325 x 0.6760 x 66.020 =

Rs. 237652.00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

(iii) Fire protection charges

$$C = R'' \times A$$

Where R'' = Fire protection expenditure per Ha. (Rs. 6.50)

A = Area (66.020 Ha.)

$$= 6.50 \times 66.020$$

Rs.

429.00

$$\text{Total Item 1} = (a+b+c+d+e)$$

$$= 19817088.00 + 840518.00 + 351556.00 + 6226742.00 + 17886.00$$

$$+ 237652.00 + 429.00 =$$

Rs.

27491871.00

(B) ITEM - 2 Loss of value of Fodder (Grass)

1 Estimated quantity of grass (in M.T.) based :-
on the consideration that on closure an area
is capable of yielding on an average 2 to 4
metric Tonne of Grass per Hactare.

Ave. precaution x Area applied

$$3 \text{ M.T.} \times 66.020 = 198.00$$

2 Loss of Value of Fodder (Ave. Local
marketrates Rs. 5000/- M.T.)

Estimated quantity x Market rate

$$198.00 \times 5000.00 =$$

Rs.

990000.00

(C) ITEM - 3 COST OF HUMAN RESETTLEMENT -

NIL

(D) ITEM - 4 LOSS OF PUBLIC FACILITIES & ADMINISTRATIVE INFRASTRUCTURE NIL

(E) ITEM - 5 VALUATION OF ENVIRONMENTAL LOSS

Standard loss per ha.

Area applied

Actual density

in a fully stocked forest x

For

x

in the Area

Density I

applied for

$$= 126.74 \text{ Lakh} \times 66.020 \times 0.6$$

Rs.

502042488.00

(F) ITEM - 6 SUFFERING TO OUSTESS -

Total loss :- Item 1 + Item 2 + Item 3 + Item 4 + Item 5 + Item 6

$$= 27491871.00 + 990000.00 + \text{Nil} + \text{Nil} +$$

$$502042488.00 + \text{Nil}$$

Rs.

530524359.00

Total loss per hectore =

$$\frac{530524359.00}{66.020}$$

$$= 8035813.00$$

Rs.

8035813.00

Divisional Forest Officer
Narayanpur Division
Narayanpur

100

TABLE: C
Existing guideline for estimating benefits of Forest Diversion

Sl. No.	Parameters	Remarks
1	Increase in productively attribute to the specific project	Total Mineable Reserves is approx – 3.452 Million Tonnes with average Grade of Fe 63.01% @ Rs 5245/Tonne (As per IBM price of Chhattisgarh May 2024 for the grade 62-65% Fe) = Rs. 18105740000.00 for entire period of 50 years.
2	Benefits to economy due to the specific project	Royalty@15% on Sale price = 786.75 DMF@30% on Royalty = 236.02 NMET@2% on Royalty = 15.73 (A) Total Royalty+DMF+NMET = 786.75+236.02+15.73= 1038.51 @per tonne = Rs. 3584936520.00 (B) EC & IC@ 22.50 per Tonne = Rs.77670000.00 (C) Forest Royalty@ 57 per Tonne = Rs.196764000.00 Total benefits to economy = A+B+C = Rs. 3859370520.00 for entire period of 50 years.
3	No. of population benefited due to specific project	As per Mine plan benefit to the population: 1. We will provide Direct employment to 66 person of managerial/ staff / statutory requirements and 75 nos. employment through contractor. 2. Employment to be generated on non forest land for afforestation programme. 3. Residence of local village/ area will have income opportunity in various ancillary works like Hotel/ Garage/ Tea shops and income generating activity through JFMC of the proposed area.
4	Economic benefits due to of direct and indirect employment due to the Specific project.	Direct and Indirect employment wages & salary – @ Rs. 250 Per Tonne. 3.452 Million Tonne X Rs. 250 = Rs. 863000000.00 for Total 50 years.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

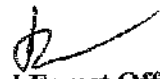
5	Economic benefits due to compensatory afforestation	Compensatory afforestation of 66.065 Ha. of land @ 2500 nos of sapling per Ha. @ 90% of survival rate = 148646 nos of trees. Economic benefit of one tree accruing over next 50 years monetized in terms of providing oxygen, water, soil, moisture conservation etc. + timber & firewood = Rs. 7.878 Lacs. Future benefits of 148646 nos. of trees @ Rs. 7.878 Lacs = Rs. 117103318800.00 The Compensatory afforestation will also sequester Carbon and earn Carbon Credits due to Carbon Sequestration and locking of wood. This is additional tangible benefit which will accrue to the Project.
---	---	---

Total benefit due to diversion of Forest Land for non-forest activity = Rs. 18105740000.00 + Rs. 3859370520.00 + Rs. 863000000.00 + Rs. 117103318800.00 = Rs. 139931429320.00

COST BENEFIT ANALYSIS

Based on value of products:

A)	Total Benefit to the Society	=	Rs. 139931429320.00
B)	Total Cost to the Society	=	Rs. 530524359.00
	Cost Benefit Ratio	=	$\frac{\text{Total Benefit}}{\text{Total Cost}}$
		=	$\frac{139931429320.00}{530524359.00}$
	Cost Benefit Ratio	=	1:263.76


Divisional Forest Officer
Narayanapur Division
Narayanapur

23

100

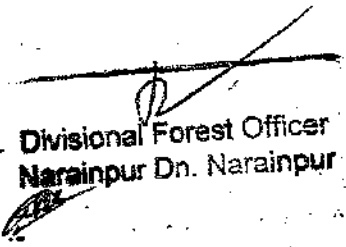
CA LAND DETAILS OF 66.065 Hq.

ग्राम - सोनपुर			
क्र.	खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	144	0.304	नरेन्द्र गोयल, पिता हरिराम गोयल
2	145	0.024	--- 00 ---
3	146	0.217	--- 00 ---
4	147	0.012	--- 00 ---
5	148	0.077	--- 00 ---
6	149	0.17	--- 00 ---
7	150	0.235	--- 00 ---
8	151	0.514	--- 00 ---
9	152	0.652	--- 00 ---
10	155	0.202	--- 00 ---
11	165/2	2.569	--- 00 ---
12	313	0.304	नरेन्द्र गोयल, पिता हरिराम गोयल
13	320	0.425	--- 00 ---
14	321	0.105	--- 00 ---
15	323	0.135	--- 00 ---
16	324	0.227	--- 00 ---
17	325	1.813	--- 00 ---
18	327	1.079	--- 00 ---
19	328	0.53	--- 00 ---
20	329	0.534	--- 00 ---
	योग	10.128	
ग्राम - टाटीझरिया			
क्र.	खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	195	0.913	नरेन्द्र गोयल, पिता हरिराम गोयल
2	197	0.336	--- 00 ---
3	200	2.784	--- 00 ---
4	210	0.316	--- 00 ---
5	209	0.652	--- 00 ---
6	190	0.437	--- 00 ---
7	192	1.096	--- 00 ---
8	196	0.753	--- 00 ---
9	198	0.539	--- 00 ---

परी 200-23 TO BUREAU TMAJ AD

क्र.	खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
10	212	0.291	--- 00 ---
11	213	1.011	--- 00 ---
12	222	0.458	--- 00 ---
13	204	0.575	--- 00 ---
14	207	1.327	--- 00 ---
15	219	1.133	--- 00 ---
योग		12.621	
ग्राम - डमरखोली			
क्र.	खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	232	1.307	नरेन्द्र गोयल, पिता हरिराम गोयल
2	222	5.692	--- 00 ---
3	231	0.397	--- 00 ---
4	240	0.983	--- 00 ---
5	244	1.347	--- 00 ---
6	248	0.713	--- 00 ---
7	259	0.543	श्री बउला वृजिया पिता मनीजर वृजिया
8	224	1.133	नरेन्द्र गोयल, पिता हरिराम गोयल
9	225	1.267	--- 00 ---
10	261	0.892	--- 00 ---
11	206	0.898	--- 00 ---
12	228	1.339	--- 00 ---
13	229	1.587	--- 00 ---
14	242	1.141	--- 00 ---
15	207	1.028	--- 00 ---
16	220	3.065	--- 00 ---
17	223	1.481	--- 00 ---
योग		24.813	
ग्राम - बाटा			
क्र.	खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	427	2.723	नरेन्द्र गोयल, पिता हरिराम गोयल
2	529	0.810	श्री बलदेव आठलक्ष्मण जाति विरिजिया
4	447	0.878	--- 00 ---
6	460	2.331	--- 00 ---

क्र.	खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
7	461	1.68	--- 00 ---
9	464	2.031	--- 00 ---
1	463	1.173	--- 00 ---
3	449	1.862	--- 00 ---
4	526	2.505	--- 00 ---
6	522	1.421	--- 00 ---
7	531	0.401	--- 00 ---
9	520	0.688	--- 00 ---
योग		18.503	
महायोग		66.065	


 Divisional Forest Officer
 Narainpur Dn. Narainpur

Divisional Forest Officer
Narsimpur District

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर (छ.ग.)

• 07831-273091, 273092 (Office) 273093 (fax) email :- dfobalrampur@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./2024/10997

बलरामपुर दिनांक/09/10/2024

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,

नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर

विषय :-

Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2(1) (ii) of the van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam 1980 For diversion of 66.02 ha. (57 ha. Mining lease and 9.02 ha. Approach road of Forest Land fo Chhotedongar Iron Ore Mine M/s Bajrang Power & ISpat Ltd in Narayanpur district of Chhattigarh- regarding.

संदर्भ :-

मुख्य वनसंरक्षक सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर का पत्र क्रमांक/मा.चि./न.क्र-04/5827 अम्बिकापुर दिनांक 06.08.2024

-00-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण अंतर्गत बिन्दु क्रमांक -5 Compensatory Afforestation has been proposed over 66.02 ha non-forest land and KML file is also submitted for the same, whereas, CA scheme and suitability certificate has been submitted for 76.916 ha. by DFO concerned In this regard, clarification may be submitted by the State Government whether CA will be carried out in 76.916 ha or in 66.02 ha. Accordingly revised CA details needs to be submitted. से वैकल्पिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु नवीन परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त प्रकरण अंतर्गत संशोधित वैकल्पिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का परियोजना प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) के पत्र क्रमांक/ भू-प्रबंध/विविध/115-25/1103 रायपुर दिनांक 01.05.2024 के निर्देशानुसार तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम	खसरा न.	रकबा (हि.)	प्राक्कलित राशि
1	चान्दों	डूमरखोली	232, 222, 231, 240, 244, 248, 259, 224, 225, 261, 206, 228, 229, 242, 207, 220, 223	24.813	29023269.00
2	—	बाटा	427, 529, 447, 460, 461, 464, 463, 449, 526, 522, 531, 520	18.503	21642589.00
3	कुसमी	सोनपुर	144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 165/2, 313, 320, 321, 323, 324, 325, 327, 328, 329	10.128	11846519.00
4	—	टाटीझरिया	195, 197, 200, 210, 209, 190, 192, 196, 198, 212, 213, 222, 204, 207, 219	12.621	14762532.00
Total				66.02	77272909.00

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

वनमण्डलाधिकारी

बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर

बलरामपुर, दिनांक/09/10/2024

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 10998

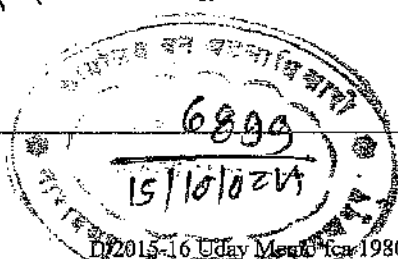
प्रतिलिपि :-

- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) अरण्य भवन सेक्टर 19 नार्थ ब्लॉक, अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।
- मुख्य वनसंरक्षक सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर को संदर्भित पत्र के तारतम्य में अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।
- मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड ग्राम बोरझारा, उरला गुमा रोड़ रायपुर की सूचनार्थ प्रेषित।

D.F.O.
Narayanpur

वनमण्डलाधिकारी

बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर



1111-1111-1111

वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं अमृत खनन राम वनपरिक्षेत्राधिकारी चान्दी परिक्षेत्र, उपवनमण्डल बनारसपुर प्रमाणित करता हूँ कि नाम इस खेती खसरा नं. 232, 222, 231, 240, 244, 248, 239, 224, 225, 261, 206, 228, 229, 242, 207, 220, 223 रकबा कुल 12307, 5692, 0397, 0933, 1347, 0713, 0543, 1133, 1267, 0892, 0898, 1339, 1587, 1341, 1028, 3065, 1481 कुल रकबा 24313 हे. के परिक्षेत्र प्रविष्टन में जलसिंचन सुगमता तथा का परीक्षण कर द्वारा किया गया है तथा परिक्षेत्र प्रविष्टन में दशाब्दी वृक्षारोपण के कार्यों का विवरण एवं माता का विवरण नीचे की अलग-अलग की अनुसूची में संलग्न है।

वन परिक्षेत्राधिकारी

चान्दी

उपवनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं अशोक कुमार तिवारी उप वनमण्डलाधिकारी बनारसपुर उप वनमण्डल प्रमाणित करता हूँ कि नाम इस खेती खसरा नं. 232, 222, 231, 240, 244, 248, 239, 224, 225, 261, 206, 228, 229, 242, 207, 220, 223 रकबा कुल 12307, 5692, 0397, 0933, 1347, 0713, 0543, 1133, 1267, 0892, 0898, 1339, 1587, 1341, 1028, 3065, 1481 कुल रकबा 24313 हे. प्रविष्टन में उल्लिखित सुगमता तथा का परीक्षण कर द्वारा किया गया है तथा परिक्षेत्र प्रविष्टन में दशाब्दी वृक्षारोपण के कार्यों का विवरण एवं माता का विवरण नीचे की अलग-अलग की अनुसूची में संलग्न है।

उप वनमण्डलाधिकारी

बनारसपुर



वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं असुरत रतन राम वनमण्डलाधिकारी कांता परिक्षेत्र वनमण्डल बलरामपुर प्रमाणित करता हूँ कि पास में उल्लिखित संख्या 127, 529, 447, 460, 461, 464, 463, 449, 526, 522, 531, 520, संख्या क्रमांक 2723, 0810, 0878, 2331, 168, 2031, 1173, 1362, 2505, 1421, 0401, 0668 कुल संख्या 18503 हैं जो परियोजना प्रतिवेदन में उल्लिखित समस्त तथ्यों का परीक्षण में जाना किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दस्तावे में उपरोक्त के कृषी का विवरण एवं मात्रा का विवरण भूक की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इसमें से संलग्न 1/4 भाग के दृष्टिकोण से संलग्न है

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कांता

उपवनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं आशा कुमारी तिवारी उप वनमण्डलाधिकारी बलरामपुर उप वनमण्डल बलरामपुर प्रमाणित करता हूँ कि पास में उल्लिखित संख्या 127, 529, 447, 460, 461, 463, 449, 526, 522, 531, 520, संख्या क्रमांक 2723, 0810, 0878, 2331, 168, 2031, 1173, 1362, 2505, 1421, 0401, 0668 कुल संख्या 18503 हैं प्रतिवेदन में उल्लिखित समस्त तथ्यों का परीक्षण में जाना किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दस्तावे में उपरोक्त के कृषी का विवरण एवं मात्रा का विवरण भूक की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इसमें से संलग्न 1/4 भाग के दृष्टिकोण से संलग्न है

उप वनमण्डलाधिकारी
बलरामपुर

सप्तमः प्रश्नः

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मे कालो राम उपमण्डल अधिकारी कुसमी परिक्षेत्र, वनमण्डल
बलरामपुर प्रमाणित करता है कि ग्राम सोनपुर खसरा नं. 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 155, 165/2, 313, 320, 321, 323, 324, 325, 327, 328, 329 रकबा
क्रमशः 0.304, 0.24, 0.217, 0.012, 0.077, 0.17, 0.235, 0.514, 0.552, 0.202, 2.569, 0
304, 0.429, 0.185, 0.138, 0.227, 1.313, 1.079, 0.53, 0.534 कुल रकबा 10.28 है।
प्रतिवेदन में उल्लिखित समस्त वृक्षों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा
परिक्षेत्र में दशांगी भू-उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण
भीके की आवश्यकता के अनुसार है तथा इससे मे तकनीकी, वारिकी की दृष्टिकोण से
सहमत हूँ।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुसमी

उपवनमण्डल अधिकारी का प्रमाण पत्र

मे रतिलाल लाल श्यामल उप वनमण्डल अधिकारी राजपुर उप वनमण्डल
बलरामपुर प्रमाणित करता है कि ग्राम सोनपुर खसरा नं. 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 155, 165/2, 313, 320, 321, 323, 324, 325, 327, 328, 329 रकबा
क्रमशः 0.304, 0.24, 0.217, 0.012, 0.077, 0.17, 0.235, 0.514, 0.552, 0.202, 2.569, 0
304, 0.429, 0.185, 0.138, 0.227, 1.313, 1.079, 0.53, 0.534 कुल रकबा 10.28 है।
प्रतिवेदन में उल्लिखित समस्त वृक्षों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परिक्षेत्र
प्रतिवेदन में दशांगी भू-उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण भीके पर
उपलब्ध कर इस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार होता पाया गया है। मैं इस प्रतिवेदन से
सहमत हूँ।

उप वनमण्डल अधिकारी
राजपुर

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

परियोजना प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ शासन



वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड खनिज लौह अयस्क परियोजना अंतर्गत
क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण
संस्थान का नाम - मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड ग्राम बोरझारा,
उरला गुमा रोड रायपुर

परियोजना अवधि : 2024-25 से 2033-24

कार्य स्थल का विवरण

परिसर	-	धनेशपुर
उपवनक्षेत्र	-	जवाहरनगर
वन प्रबंधन समिति	-	कराड़ा
खसरा क्रमांक	-	144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 165/2, 313, 320, 321, 323, 324, 325, 327, 328, 329

प्रस्तावित रकबा	-	10.128	ha.
प्राक्कलित राशि		11846519	

वन परिक्षेत्राधिकारी कुसमी
बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर

वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र

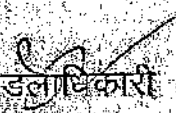
परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं काली राम वनपरिक्षेत्राधिकारी कुसमी परिक्षेत्र, वनमण्डल बलरामपुर प्रमाणित करता हूँ कि ग्राम सोनपुर खसरा न. 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 165/2, 313, 320, 321, 323, 324, 325, 327, 328, 329 रकबा क्रमशः 0.304, 0.24, 0.217, 0.012, 0.077, 0.17, 0.235, 0.514, 0.652, 0.202, 2.569, 0.304, 0.425, 0.105, 0.138, 0.227, 1.813, 1.079, 0.53, 0.534 कुल रकबा 10.128 हे. के परियोजना प्रतिवेदन में उल्लेखित समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी / वानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ।


वन परिक्षेत्राधिकारी
कुसमी

उपवनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं रविशंकर लाल श्रीवास्तव उप वनमण्डलाधिकारी राजपुर उप वनमण्डल, बलरामपुर प्रमाणित करता हूँ कि ग्राम सोनपुर खसरा न. 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 165/2, 313, 320, 321, 323, 324, 325, 327, 328, 329 रकबा क्रमशः 0.304, 0.24, 0.217, 0.012, 0.077, 0.17, 0.235, 0.514, 0.652, 0.202, 2.569, 0.304, 0.425, 0.105, 0.138, 0.227, 1.813, 1.079, 0.53, 0.534 कुल रकबा 10.128 हे. प्रतिवेदन में उल्लेखित समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके पर अवलोकन कर इस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप होना पाया गया। मैं इस परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूँ।


उप वनमण्डलाधिकारी
राजपुर

परियोजना प्रतिवेदन
राज्य कैम्पा निधि से सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

(रोपण हेतु प्रस्तावित शीशम, बीजा, हल्दु एवं मुण्डी आदि प्रजाति)

ग्राम सोनपुर
कुल 20 खसरा

कुल रकबा - 10.128 हे.
रकबा क्रमशः (हे)

145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 165/2, 313,
320, 321, 323, 324, 325, 327, 328, 329

0.304, 0.24, 0.217, 0.012, 0.077, 0.17, 0.235, 0.514, 0.652, 0.202, 2.569, 0.304, 0.425, 0.104, 0.138, 0.227, 1.813, 1.079, 0.53, 0.534

मजदूरी दर-

345.00

प्रति दिवस

प्रथम वर्ष (2024-25)

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मादि	कुल रकबा
1	2	3	4	5	मादि/रु.	राशि/इकाई	8	9
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
1.1	PCCF Job Rate 1.1.1	क्षेत्र का सीमांकन - 3 मी. चौड़ी लाइन कटाई सफाई करना, जी.पी.एस. से सर्वे कर के.एम.एल. फाईल तैयार करते हुए, सीमा में खुदा लगाना।	10.128	Hect.	0.85	मा.दिवस/हे.	8.6088	2970.036
1.2	PCCF Job Rate 1.1.2	वन सन्निधि उपचार मानचित्र बनाना तथा उपचार वर्ग को मानचित्र पर अंकित करना एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना	10.128	Hect.	0.25	मा.दिवस/हे.	2.532	873.54
सर्वेक्षण एवं सीमांकन पर व्यय :-								3843.576
2		फेन्सिंग कार्य						
2.1		ग्रीन्ड्रेस्ड आर.सी.सी. पोल द्वारा चैनलिंग फेन्सिंग कार्य (प्रति हेक्टेयर 85 लीनिंग मीटर) क्षेत्र की फेन्सिंग हेतु जी.पी.एस. ट्रेकिंग से प्राप्त सीनलाइन (परीमीटर) के आधार पर फेन्सिंग का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा इस हेतु मैपसोर्स (Mapsource) सॉफ्टवेयर से जी.पी.एस. ट्रेकिंग मैप जिसमें Length of Perimeter के साथ Area दर्शाते हो लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे।						
2.1.1	RES SOR 307	ग्रीन्ड्रेस्ड आर.सी.सी. पोल गाड़ने हेतु कड़ी मिट्टी/कठोर पुरुष में गड्ढा खुदाई अंतराल 3x3 मीटर सपोर्टिंग पोल हेतु सहित साइज - $0.40 \times 0.40 \times 0.40 = 0.064 \text{ Cmt.} \times 32$	20.742	Cmt.	247.70	Rs/Cmt.		5138
2.1.2	RES SOR 413 (c)	ग्रीन्ड्रेस्ड आर.सी.सी. पोल गाड़ने हेतु खोदे गये गड्ढों में 14x8 सी.सी. का मिश्रण डालना एवं ताराई (उपयोग 40 एमएम मिट्टी) $32 \times 0.40 \times 0.40 \times 0.10 = 0.512 \text{ Cmt.}$	5.186	Cmt.	3430.40	Rs/Cmt.		17788
2.1.3	CSIDC RC	ग्रीन्ड्रेस्ड आर.सी.सी. पोल क्रय लम्बाई 2.4 मीटर 10 प्रतिशत सपोर्टिंग पोल सहित CSIDC Items code-700002957	324	No.	419.00	Rs/No.		135796
		GST 18% -	324	No.	75.42	Nos		24443
		Inspection Charge 0.6% + 18% GST	324	No.	2.97	Nos		963

क्र.	कार्य क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.4	RES SOR 413.416 (a)	प्रोस्टेस्ड आर.सी.सी. पोल गाड़ने हेतु खोद गये गड्ढों में 124 सी.सी. द्वारा पोल फिक्सिंग कार्य तैयारी सहित (खपयोग 20 एम्पएम गिट्टी) $32 \times 0.40 \times 0.40 \times 0.30 = 1.536 \text{ Cmt.}$						
		(-) प्रोस्टेस्ड आर.सी.सी. पोल साइज $32 \times 0.30 \times 0.10 \times 0.10 = 0.096 \text{ Cmt.}$ Net	14.58	Cmt.	4550.90	Rs/Cmt.		66372
2.1.5	CSIDC RC	2.1 मीटर ऊंचाई की 50x50mm छेद वाली 4mm diameter वाली जी.आई. तार से निर्मित धेनलिक लोहे की जाली क्रय						
		CSIDC Items code-700090162 (85x2.10=178.50sqm @ 4.5 kg/sqm = 803.25kg/ha.)	8135.32	kg	74.00	Rs/Kg		602013
		GST 18%	8135.32	kg	13.32	kg		108362
		Inspection Charge 0.6% + 18% GST	8135.32	kg	0.52	kg		4230
2.1.6	LMR	धेनलिक लोहे की जाली प्रोस्टेस्ड आर.सी.सी. पोल में 2mm diameter वाली जी.आई. तार/जी.आई. स्टेपल/जी.आई. यू.नेक्स/स्टील पिन की सहायता से बांधकर टाईट करना।	1807.85	Sqm.	2.00	मा.दि./100 मीटर	3615.696	12474
2.1.7	RES SOR 1335 (a)	लोहे की धेनलिक जाली में 03 तह में ब्रश से इनामेल रोगन करना $85 \times 2.10 \times 2 = 357/10 = 35.70 \text{ Sqm.}$	361.57	Sqm.	163.30	Rs/Sqm.		59044
		योग:						1036625
2.1.8	Special Rate	ट्रैक्टर प्लान्ड से धेनलिक जाली/प्रोस्टेस्ड आर.सी.सी. पोल/सीमेंट/रेत/गिट्टी कार्यस्थल तक परिवहन - सामग्री मूल्य का 2 प्रतिशत						20732
2.1.9		अन्य आकस्मिक व्यय कुल व्यय का 1 प्रतिशत						10694
फेन्सिंग कार्य पर व्यय :-								1068051
प्रति रनौंग मीटर फेन्सिंग कार्य पर व्यय								12565
प्रति पौधा व्यय								10681

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3		जड़ बंडार क्षेत्र उपचार कार्य						
3.1	PCCF Job Rate 3.1.6	दूठ ड्रेसिंग-20 से.मी. से अधिक गोलाई वर्ग के कॉपिस प्रजाति के जीवित दूठ एवं प्रोलांड का प्रतिकर्तन एवं अभिलेखन	2.03	Hect.	9.75	मा.दिवस/हे.	20	6813.612
3.2	PCCF Job Rate 1.2.2	क्षेत्र की सफाई 20 से.मी. गोलाई तक की अनुपयोगी कॉपिस देने वाली प्रजाति की आड़ी-टेंडी विकृत अग्रिम पौध की कटाई एवं टूटों की ड्रेसिंग तथा सफाई	5.06	Hect.	5.00	मा.दिवस/हे.	25.32	8735
3.3	Special Rate CAMPA	Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र - वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species की जड़ को मृत्ती से खोदकर निकालना एवं गुंथे हुए गिरों को खींचकर निकालना, निकालने के पश्चात् ड्रेसिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुखने के उपरान्त सुरक्षित रूप से जलाना (प्रथम वर्ष कार्य)	4.01	Hect.	30.00	मा.दिवस/हे.	121.536	41929.92
3.4	Special Rate CAMPA	क्षेत्र में स्थित अनुपयोगी झाड़ियों एवं अनुपयोगी टूटों को खोदकर कार्य स्थल से बाहर डटाना ।	3.04	Hect.	50.00	मा.दिवस/हे.	151.92	52412.4
जड़मंडार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय :-								109891
4		रोपणी में पौधा तैयारी :-						
4.1	Special Rate	30x45 से.मी. पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य विटान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे केजुअल्डी सहित)	11647	Plants	66.00	रुपये/पौधे		768715.2
नर्सरी में पौध तैयारी कार्य पर प्रथम वर्ष व्यय								768715.2
5		रोपण क्षेत्र का उपचार						
5.2		स्टेकिंग कार्य :-						
5.2.1	PCCF Job Rate 1.4.3	3x3 मी. अंतराल में मिश्रित पौधा रोपण हेतु	10128	Pits	3.50	मा.दि/हजार	35.45	12230
स्टेकिंग कार्य पर व्यय :-								12230
5.3	Special Rate	मिट्टी परीक्षण	LS					1012.8
5.4		गड्ढों की खुदाई						
5.4.1	PCCF Job Rate 1.5.2.3	मिश्रित पौधा रोपण हेतु 3x3 मीटर की अंतराल में 60x60x60 से.मी. साईज के कड़ी मिट्टी में गड्ढा खुदाई कार्य (क्षेत्र में 50% कड़ी मिट्टी एवं 50% नरम मुलुकी मिट्टी मानकर दर निर्धारित किया गया)	10128	Pits	12.00	मा.दि/सैकड़	1215.36	419299.2

क्र.	कार्य क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.42	Market Rate	गडबों की 30 प्रतिशत मिट्टी परिवर्तन हेतु उपजाऊ मि.टी. परिपक्व 00x00x00=0.218 Cmt.x1000=216.00 Cmt./2	1094	Unit	325.00	रुपये/घ.मी.		353492.8
रोपण संपादन एवं गडबों खुदाई कार्य पर कुल व्यय :-								788034
6	6.1	POCF Job Rate & RES SOR मू-जल संरक्षण कार्य- क्षेत्र के निरीक्षण उपरान्त आवश्यकतानुसार मू-जल संरक्षण संरचनाएं प्रस्तावित किया जावे (स्टेगर्ड कन्टूर ट्रेन्च, लूजबोल्डर चेकडेम आदि निर्माण कार्य प्रस्तावित किया जा सकता है)	10.13	Hect.	10000.00	रुपये/हे.		101280
मू-जल संरक्षण कार्य पर व्यय :-								101280
7		सिंचाई सुविधा का विकास प्रति 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु। सोलर पंप की मान सें						
7.1	Market Rate	मू-तल में पानी की जांच हेतु आउट रेजिस्टिविटी टेस्ट कराना	1.0		5500	प्रति बोर		5570.4
7.2	Market Rate	बोरेवेल खुदाई कार्य कम्प्लीट केसिंग सहित	1.0		137500	प्रति बोर		139760
7.3	Market Rate	सोलर पंप अथवा विद्युत चलित पंप या डीजल पंप की स्थापना मध्य समस्त उपकरण व पाईप आदि	1.0		440000	प्रति पंप		445632
सिंचाई सुविधा विकास पर व्यय								590462.4
8		अनुसंधान एवं विकास						
8.1		प्रशिक्षण - नर्सरी रोपण, जनकनिक कार्य वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण प्रचार प्रसार फोटो एवं विडियोग्राफी विशेषज्ञ प्रचारकर्ता आदि।	10.13	Hect.	3000	रुपये/हे.		30384
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय								30384
8.2		आस्था मूलक कार्य	10.13	Hect.	116968	रुपये/हे.		1184651.9
आस्था मूलक कार्य पर व्यय :-								1184652
8.3		जल सुरक्षा						
8.3.1	POCF Job Rate 5.4.5 & 5.4.6	समूह क्षेत्र को 4 सेक्टर में विभाजित कर 3 मीटर चौड़ी अग्नि सुरक्षा पट्टी का निर्माण करना। (60 मी./हे. की मान से)	810	Mtr.	2.50	मा.दि./कि.मी.	2.0256	699
8.4		अन्य व्यय						
8.4.1		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/बीकीदार हट-का निर्माण	LS					40512
8.4.2		निरीक्षण पथ का निर्माण	LS					39119
क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य व्यय का योग								80330
कुल योग व्यय :-								4725644
प्रति बीघा व्यय								467

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	मा.दि./क्र.	राशि/इकाई	8	9
द्वितीय वर्ष (2025-26)								
2		रोपणी में पीछा तैयारी कार्य पर व्यय						
2.1	Special Rate	30×45 से.मी. पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अर्न्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे केजुअल्टी सहित)	11647	Plants	22.00	रुपये/पौधे		256238.4
2.2	Special Rate	30×45 से.मी. पॉलीपाट में 10 प्रतिशत मृत पौध प्रतिस्थापन हेतु शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी प्रथम वर्ष व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधे)	1114	Plants	66.00	रुपये/पौधे		73529.28
रोपणी में पीछा तैयारी कार्य का द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय								329767.68
3		रोपण क्षेत्र उपचार						
3.1		पौधा परिवहन						
3.1.1	Market/Tender Rate	30×45 से.मी. पॉलीपाट में मिश्रित एवं फलदार शीर्ष तथा मध्य वितान प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड़दे तक पहुंचाना	11647	Plants	22.00	रुपये/पौधे		256238.4
पौधा परिवहन पर व्यय :-								256238.4
4	4.1	पौधा रोपण						
4.1.1	Special Rate	पौधा रोपण कार्य 60×60×60 से.मी. आकार के गड़दों में (खाद एवं मिट्टी मराई सहित) 3.55 रोपण + 0.45 गड़दा मराई प्रति मानव दिवस	10128	Plants	4.40	मा.दि./सेकंड	445632	153743.04
रोपण कार्य पर व्यय :-								153743.04
5	5.1	रोपण एवं निंदाई के समय उपयोग हेतु खाद क्रय						
5.1.2	Market Rate	60×60×60 से.मी. आकार के गड़दों में मिश्रित एवं फलदार पौध रोपण हेतु वर्मीकम्पोस्ट खाद का क्रय। (5 कि.ग्राम प्रति गड़दा)	50640	Kg.	11.00	रुपये/घ.मी.		557040
5.2		डी.ए.पी. रासायनिक खाद						
5.2.1	Market Rate	60×60×60 से.मी. आकार के गड़दों में 50 ग्राम प्रति पौधा (मिश्रित एवं फलदार) के मान से रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	506	Kg	33.00	रुपये/किलो		16711.8
5.3		नीम खली का क्रय						
5.3.1	Market Rate	60×60×60 से.मी. आकार के गड़दों में 150 ग्राम प्रति पौधा की मान से रोपण के समय उपयोग हेतु।	1519	Kg	44.00	रुपये/किलो		66844.8

क्र.	कार्य क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3.4	Market Rate	कीटनाशक क्लोरोपायसीफॉस 3 एन.एल प्रति पौधा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग।	30	Ltr.	1100.00	रुपये/लि.		33422.4
5.3.5		शासनात्मक खाद एन.पी.के. (निंदाई के समय)						
5.3.5.1	Market Rate	एन.पी.के. का उपयोग निंदाई के समय सागौन, मिश्रित एवं फलदार पौधों में प्रति पौधा 80 ग्राम प्रति निंदाई छेदकर उपयोग हेतु कुल 150 ग्राम के मान से क्रय।	1519	Kg	33.90	रुपये/किलो		50133.6
5.3.6	Market Rate	पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी परीक्षण लेब से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर रायोफर्टिलाइजर, हार्मोन एवं मन्त्राई का उपयोग।	10128	Plants	11.00	रुपये/पौधे		111408
खाद एवं कीटनाशक दवा क्रय पर व्यय :-								833559.8
5.4		निंदाई कार्य						
5.4.1	PCCF Job Rate 4.11.1.2	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन परचाह (गुलाई साह के द्वितीय सप्ताह में) एक मीटर व्यास में की जावेगी। (अर्धचन्द्राकार या सम-वृत्त) खाद प्रयोग सहित।	10128	Plants	1.20	मा.दि./सैकड़	121.536	41929.92
5.4.2	PCCF Job Rate 4.11.2.2	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में प्रथम निंदाई के 20-25 दिन बाद साह अगस्त के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में की जावेगी। शासनात्मक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। (2 मा.दि. प्रति सैकड़)	10128	Plants	2.00	मा.दि./सैकड़	202.56	69883.2
5.4.3	PCCF Job Rate 4.11.3.2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में सितम्बर माह के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में की जावेगी। खाद प्रयोग सहित (तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किये जाने पर मृ. सतह पर बने कोंपलरी दृष्टने से मृमि सतह की तभी लम्बे समय तक बनी रहती है इसलिए तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किये जाना आवश्यक है)	10128	Plants	1.20	मा.दि./सैकड़	121.536	41929.92
निंदाई कार्य पर व्यय :-								153743.04
रोपण क्षेत्र सपचाह कार्य पर कुल व्यय :-								1399284.28
6		पानी सिंचाई कार्य						

क्र.	कार्य वर्ग क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./सं.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6.1	पौधों की रोपण परचातु माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 05 हेक्टेयर 4 अभिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छांग, कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण अंकिड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3x3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था तदनुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
	6.1.1	Special Rate साई नवम्बर से मार्च तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	101	Time	1.820	मा.दि./संकडा	184.3296	63594
	6.1.2	Special Rate पम्प का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	10.13	Hect	2000.00	प्रति हेक्ट.		20256
सिंचाई पर कुल व्यय								83850
7		अन्य कल्चरल आपरेशन						
	7.1	Special Rate CAMPA Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र - वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species की जड़ को गैती से खोदकर निकालना एवं गूथे हुए भिरों को खींचकर निकालना, निकालने के परचातु ड्रिगिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर वेस्ट लगाना एवं सुखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना (द्वितीय वर्ष कार्य)	4.05	Hect	10	मा.दि./हे.	40.51	13976.64
8		अनुसंधान एवं विकास						
	8.1	Special Rate अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माई अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना तथा प्रिलेखीकरण	10128	No.	1.40	रुपये/नग		14179.2
	8.2	Special Rate प्रशिक्षण - नर्सरी रोपण, तकनीकी कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	10.13	Hect	2500.00	रुपये/हे.		25320
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय								39499.2
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						

क्र.		कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1		2	3	4	5	मा.दि./क्र.	राशि/इकाई	8	9
9.1		Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 है. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक (सिमेंट क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.51	12	26.00	मा.दि/माह	158.00	54509
9.2			अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						10128
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय									64637
10			सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
	10.1		मजदूरी/सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आवे 5%						98302
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय									98302
योग व्यय :-									2029317
प्रति पीछा व्यय									200

तृतीय वर्ष रखरखाव कार्य (2026-27)

1			फेंसिंग मरम्मत कार्य						
	1.1	PCCF Job Rate & RES SOR	फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	86.1	Rm.	620.00	रुपये/रमी.		53375
फेंसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय									53375
2			रोपणी में पीछा तैयारी कार्य पर व्यय						
	2.1	Special Rate	30x45 सेमी. पालीषाद में 10 प्रतिशत मृत पीछा प्रतिस्थापन हेतु शीर्ष तथा मध्य विलान के मिश्रित एवं फलदार पीछों की तैयारी एवं रखरखाव हेतु द्वितीय वर्ष व्यय (रोपण के समय पीछों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पीछे)	1114	Plants	22.00	रुपये/पीछे		24509.76
रोपणी कार्य पर तृतीय वर्ष व्यय									24509.76
3			रोपण क्षेत्र उपचार						
	3.1		मृत पीछा प्रत्यारोपण कार्य (10 प्रतिशत)						
	3.1.1	PCCF Job Rate 15.2.2	मृत पीछों से बने खाली स्थान पर शीर्ष एवं मध्य विलान के मिश्रित एवं फलदार पीछों के रोपण हेतु गड्ढा खोदाई 80 x 60 x 60 सेमी साईज नरम मिट्टी में।	1013	Plts	10.50	मा.दि/सेकड़ा	106.344	36689
	3.1.2	Market/ Tender Rate	पीछों का परिवहन (पालीषाद साईज 30x45 सेमी)	10128	Plants	22.00	रुपये/पीछे		222816
	3.1.3	Market Rate	कीटनाशक क्लोरोपायरीफॉस 3 एन.एल प्रति पीछा की मात्रा से उपयोग	3.04	Ltr	1100.00	रुपये/लितर		3342.24
	3.1.4	PCCF Job Rate 4.10.2.3	मृत पीछों से बने खाली स्थान पर छोड़े गए 60x 80 सेमी साईज के गड्ढों में शीर्ष एवं मध्य विलान के मिश्रित एवं फलदार पीछों का रोपण	1013	Plants	3.55	मा.दि/सेकड़ा	35.95	12404
मृतप्रत्यारोपण कार्य पर कुल व्यय									275251

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	4.1	रासायनिक खाद एन.पी.के का क्रय						
	4.2.1	Market Rate रासायनिक खाद कव एन.पी.के 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय तीन बार उपयोग हेतु 150 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	1519.20	Kg	33.00	रुपये/किलो		50133.6
	4.2.2	Market Rate वर्षी कम्पोस्ट खाद क्रय 200 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 03 बार उपयोग हेतु 600 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	6076.80	Kg	11.00	रुपये/किलो		66844.8
								116978.4
5	5.1	निंदाई कार्य						
	5.1.2	PCCF Job Rate 4.11.1.2 1. प्रथम निंदाई/गुड़ाई एक मीटर व्यास में की जावेगी जिसके साथ मृत पौधों को बदलना, गुरिया तथा जैविक खाद डाला जाएगा। (अर्धवृद्धाकार थाला बनवाई एवं खाद प्रयोग सहित)	10128	Plants	1.20	मा.दि/सैकड़ा	121.536	41929.92
	5.1.3	PCCF Job Rate 4.11.2.2 2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माद बांद की जावेगी एवं थाला बनाया जावेगा (2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	10128	Plants	2.00	मा.दि/सैकड़ा	202.56	69883.2
	5.1.4	PCCF Job Rate 4.11.3.2 3. तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में की जावेगी। (थाला बनाया जावेगा)	10128	Plants	1.20	मा.दि/सैकड़ा	121.536	41929.92
निंदाई कार्य पर भाव :-								153743.04
	5.1.5	special Rate रोपण क्षेत्र में औषधीय प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु पौधा तैयारी (05 X 7 से.मी. पॉलीपोट में) औषधीय प्रजाति के स्थानीय प्रजाति के पौधों को तैयारी दी जावे जैसे - सतावर, बाईबिडेन, तिल्लुर, गिलोय, माहुल, सर्पगंधा एवं अंडूला आदि	11141	Plants	10.00	रु. प्रति पौधा		111408
	5.1.6	PCCF Norms 1.4.3 स्टेकिंग कार्य 3 x 3 मी. अंतराल पर	10128	Pits	3.50	मा.दि./हजार	35.448	12230
	5.1.7	PCCF Norms 1.5.1 गड्ढों की खुदाई ~रोपण हेतु 3 मी. x 3 मी. अंतराल पर 30 से.मी. x 30 से.मी. x 30 से.मी. साइज के कड़ी मिट्टी में गड्ढा खुदाई कार्य	10128	Pits	3.00	मा.दि./सैकड़ा	303.84	104825
	5.1.8	Local Rate औषधीय प्रजाति के पौधों के रोपण के समय उपयोग हेतु वर्षीकम्पोस्ट, कम्पोस्ट का क्रय (1 कि.ग्रा. वर्षी कम्पोस्ट/2 कि.ग्रा. कम्पोस्ट)	10128	kg	12.00	प्रति कि.ग्रा.		121536
	5.1.9	special Rate पौधा परिवहन - (08 X 10 से.मी. पॉलीपोट में तैयार किए गए औषधीय प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड्ढे तक पहुंचाना	11141	Plants	4.00	प्रति पौधा		44563
	5.1.10	PCCF Norms 4.10.2.1 पौधा रोपण ~ दोना पौधों को गड्ढों तक पहुंचाना, आवश्यकता अनुसार कीटनाशक और खाद डालना पौधों के चारों तरफ सफाई करना एवं रोपण करना	10128	Plants	1.85	प्रति सैकड़ा	167.112	57654

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./सं.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.11	PCCF Norms 4.11.1.2	प्रथम निंदाई - एक मीटर व्यास में गोल निंदाई मृत पौधों को बचलाना एवं गुड़ाई करना (अर्धवृत्ताकार व्यास सहित) रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद आवश्यकतानुसार डाला जायेगा।	10128	Plants	1.20	प्रति सैकड़ा	121.536	41930
5.1.12	PCCF Norms 4.11.2.2	द्वितीय निंदाई - 1 मीटर चौड़ी पट्टी में की जायेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद आवश्यकतानुसार डाली जायेगी।	10128	Plants	2.00	प्रति सैकड़ा	202.56	69883
5.1.13	PCCF Norms 4.11.3.2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई - 1 मीटर व्यास में गोल निंदाई की जायेगी। खाद प्रयोग सहित (तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किये जाने पर नू सतह पर बने कंधिलरे टूटने से मृत्ति सतह की नमी लम्बे समय तक बनी रहती है इसलिए तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किया जाना आवश्यक है)	11141	Plants	2.00	प्रति सैकड़ा	222.816	76872
5.1.14	PCCF Norms 1.8.1	गुदा जल संरक्षण कार्य स्थलों पर अश्वगंधा, कालमेव, मोईनीम, कैलाज आदि की बीज बोवाई	3798	Rm.	0.25	प्रति सैकड़ा *	9.50	3176
5.1.15	PCCF Norms 1.8.2	लाइन हेज निर्माण - अंग्रेज, नागफनी, गटारन, जटोफा आदि का फेंसिंग के किनारे दो लाइन में बीज बोवाई/रोपण	1722	Rm.	1.25	प्रति सी रमी.	21.52	7425
5.1.16	Special Rate	स्टीरिया, तिखुर, सर्पगंधा, शतावर, गिलोय, बाईबीडन, अदुसा, सवाईघात, लेमनग्रास, खस, बच आदि के कटिंग/नये पौधे/कंद तैयार करना	25320	per plant	6.00	प्रति पौधा		151920
5.1.17	Special Rate	रोपण क्षेत्र में 1 x 1 मी. के अंतराल पर स्टीरिया, तिखुर, सर्पगंधा, शतावर, गिलोय, बाईबीडन, अदुसा, सवाईघात, लेमनग्रास, खस, बच आदि के कटिंग/नये पौधे का रोपण	25320	per plant	0.27	मा.दि./सैकड़ा	68.36	23586
औषधीय प्रजाति के शाकीय/झाड़ी/बेला प्रजाति के पौधों के रोपण पर व्यय								827106
रोपण क्षेत्र सफाई कार्य पर कुल व्यय :-								1373079
6		मू-जल संरक्षण संरचनाओं का रखरखाव कार्य						
6.1	PCCF Job Rate & RESOR	मू-जल संरक्षण संरचनाओं का रखरखाव कार्य	10.13	Hect.	1000.00	रुपये/हे.		10128
जल संवर्धन कार्य पर व्यय								10128
7		पानी सिंचाई कार्य						

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	मा.दि./क्र.	राशि/इकाई	8	9
7.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 05 हेक्टेयर 4 ग्रामिण पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। उत्तरिचर ज.म. कोष मरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो ग्रामिणों के द्वारा 3x3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था। तदनुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
7.1.1	special Rate	माह अप्रैल से जून तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	91.15	Times	1.820	मा.दि./संकड़ा	165.8966	57234
7.1.2	special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक 15 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	401.28	Times	1.820	मा.दि./संकड़ा	184.3296	63594
7.1.3	special Rate	पम्प का रखरखाव एवं फलैक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	10.13	Hect	2000.00	प्रति हेक्टे		20256
सिंचाई पर कुल व्यय								141084
8		अन्य कल्चरल आपरेशन						
8.1	Special CAMPA Rate	Invasive Alien Species Removal - सचन क्षेत्र - वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species की जड़ का गैली से खोदकर निकालना एवं गुप्ते हुए भिरी को खोचकर निकालना, निकालने के पश्चात् ड्रेगिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना (तृतीय वर्ष कार्य)	4.05	Hect	3.00	मा.दि./हे	12.1536	4193
8.2		एकलीकरण कार्य						
8.2.1	PCCF Job Rate 1.23	जीवित पुरों से निकले मल्टीपल शूटों में से एक या दो स्वस्थ कपिस को रखते हुए अन्य कपजोर व विकृत कपिस की कटाई एवं सफाई कार्य	1.01	Hect	3.00	मा.दि./हे	3.0384	1048
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत कौपिस का एकलीकरण कार्य पर व्यय								5241
9		अनुसंधान एवं विकास						
9.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी रोपण, तकनीकी कार्य वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियो ग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	10.13	Hect	3000.00	रुपये/हे.		30384

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.2	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन - रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की फेनवाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	10128	Plants	2.10	रुपये/पौधा		21268.8
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय :-								51652.8
10		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
10.1	special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 है. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक रोपण क्षेत्र का इकाया 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे।	0.51	12	26.00	मा.दि/माह	157.9968	54509
10.2	special Rate	अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						18128
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय :-								64637
11		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
11.1		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि 10%						172367
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								172367
योग व्यय :-								1896073
प्रति बीघा व्यय								187

चतुर्थ वर्ष रखरखाव कार्य (2027-28)

1	1.1		फेंसिंग मरम्मत कार्य					
	1.2	PCCF Job Rate & RESOR	फेंसिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	43.04	Rm	620.00	रुपये/रमी.	26687
2	2.1		निंदाई					
	2.1.2	PCCF Job Rate 4.11.1.2	1. प्रथम निंदाई/गुड़ाई एक मीटर व्यास में की जायेगी जिसके साथ निधारित मात्रा में सुरिया तथा जैविक खाद डाला जायेगा। (अर्धचन्द्राकार घोंशा बनाई एवं खाद प्रयोग सहित)	10128	Plants	1.20	मा.दि/सैकड़ा	121.536
	2.1.3	PCCF Job Rate 4.11.2.2	2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई 1 मीटर चौड़े पट्टी में एक माह बाद की जायेगी एवं थूला बनाया जायेगा (2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	10128	Plants	2.00	मा.दि/सैकड़ा	202.56
	2.1.4	Market Rate	बर्मी कंपोस्ट खाद कम 250 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 12 बार उपयोग हेतु 500 ग्राम प्रति पौधा के साथ से कय	3064	Kg	11.00	रुपये/किलो	55704
	2.1.5	Market Rate	संसाधनिक खाद कम एन.पी.के बड़े पौधों में 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय दो बार उपयोग	1013	Kg	33.00	रुपये/किलो	33422.4

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मादि	कुल राशि
					मादि/रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.6	PCCF Job Rate 4.11.1.2	औषधीय प्रजाति के रोपित पौधों में प्रथम निंदाई/गुड़ाई एक मीटर व्यास में की जाएगी जिसके साथ निर्धारित मात्रा में यूरिया तथा जैविक खाद छाला जाएगा। (अर्धचन्द्राकार थाला बनवाई एवं खाद प्रयोग सहित)	10128	Plants	1.20	मादि/सैकड़ा	121.536	41929.92
2.1.7	PCCF Job Rate 4.11.2.2	औषधीय प्रजाति के रोपित पौधों में द्वितीय निंदाई/गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जाएगी एवं थाला बनाया जाएगा (2 मादि प्रति सैकड़ा)	10128	Plants	2.00	मादि/सैकड़ा	202.56	69883.2
निंदाई कार्य पर कुल व्यय :-								312752.64
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								312753
5								
6		पानी सिंचाई कार्य						
6.1		पौधों की रोपण परवात माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जाएगा। इस हेतु प्रति 05 हेक्टेयर 4 अधिक पानी की धार बनाने एवं पाइप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। हरियर छ.ग. कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो अधिकों के द्वारा 3x3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाइप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था एवंनुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
6.1.1	Special Rate	माह अप्रैल से जून तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	91.15	Times	1.820	मादि/सैकड़ा	165.8966	57234
6.1.2	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	101.28	Times	1.820	मादि/सैकड़ा	184.3296	63594
6.1.3		पम्प का रखरखाव एवं फ्लेक्सिबल पाइप आदि पर आकस्मिक व्यय	10.13	Hect.	2000.00	प्रति हेक्टे		20256
पानी सिंचाई पर व्यय								141084
7		अनुसंधान एवं विकास						
7.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी रोपण, वनवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	10.13	Hect	3000.00	रुपये/हे.		30384
7.2	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	10128	Plants	2.10	रुपये/पौधा		21268.8
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:-								51652.8

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	8.1	सुरक्षा अधिक 20 हे. एक एक अभिक माह अप्रैल से मार्च तक रोपण क्षेत्र को रकबा 20 हेक्टर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टर में एक अभिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.51	12	26.00	मा.दि/काई	157.9968	54509
	8.2	अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						10128
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								64637
9		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
	9.1	सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि 15%						89520
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								89520
योग व्यय :-								686334
प्रति पीछा व्यय								68
पंचम वर्ष रखरखाव कार्य (2028-29)								
1		फेन्सिंग मरम्मत कार्य						
	1.1	PCCF Job Rate & RES SON फेन्सिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	43.04	Rm.	620.00	रुपये/र.मी.		26687
फेन्सिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय								26687
2		पानी सिंचाई						
	2.1	पीछों की रोपण पर्याप्त माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पीछों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 05 हेक्टर पर 4 अभिक पानी की धार बनाने एवं पाइप की सहायता से पीछों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर सग कोष भरनी रोपण 2017 से सिंचाई प्रयोग परीक्षण आकड़ों के अनुसार दो अभिकों के द्वारा 3x3 मीटर की अंतराल पर लगभग 1 हेक्टर में रोपित 1100 पीछों में पाइप की पानी से सिंचाई किया जाना समस्त हो पाया था तदनुसार प्रति 1000 पीछों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
	2.1.1	Special Rate माह अप्रैल से मई तक 10 दिवस की अन्तःसल में एक सिंचाई	60.77	Times	1,820	मा.दि/सैकड़ा	110.5978	38156
	2.1.2	पम्प का रखरखाव एवं फ्लेक्सिबल पाइप आदि पर आकस्मिक व्यय	10.13	Hect	2000.00	प्रति हेक्टे		20256
पानी सिंचाई पर व्यय								58412
5		मू-जल संरक्षण संरचनाओं का रखरखाव कार्य						
6		अनुसंधान एवं विकास						
	6.1	Special Rate प्रशिक्षण - ताली, रोपण, वृद्धवर्धन कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार फोटा एवं विडियो ग्राफी विशेषज्ञ परामर्श आदि।	10.13	Hect	3000.00	रुपये/हे		30384

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					रु.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.2	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	10128	Plants	2.10	रुपये/पौधा		21268.8
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय								51652.8
7		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
7.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का रुकबा 20 दिसंबर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 दिसंबर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जाये)	0.51	12	26.00	मा.दि/माह	157.9968	54508.896
7.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि को मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						7596
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय								62105
8		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
8.1		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि 20%						53927.5482
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								53927.5488
योग व्यय								252785
मल्टी पीसा व्यय								25
षष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य (2029-30)								
1		फसिंग मरम्मत कार्य						
1.1	PCCF Job Rate & RESSOR	फसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	86.09	Rm	620.00	रुपये/रूम		53375
2	2.1	कटाई सफाई कार्य						
2.1.1	PCCF Job Rate 1.2.4	जीवित टुटों से निकले मल्टीपल टुटों में से एक या दो स्वस्थ कापिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य	10.13	Hect	3.00	मा.दि/हे.	30.384	10482.48
अन्य कल्चरल अपरेशन के तहत क्लिनिंग कार्य पर व्यय								10482.48
3		अनुसंधान एवं विकास						
3.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वनव्यवस्थापक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	10.13	Hect	3000.00	रुपये/हे.		30384
3.2	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	10128	Plants	2.10	रुपये/पौधा		21268.8
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय								51652.8
4		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						

क्र.	कार्य पर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मादि	कुल राशि
					मादि/रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक रोपण क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जाये।	0.51	12	26.00	मादि/माह	151.9968	54509
4.2.		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						7596
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय								62105
5		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
5.1		मजदूरी/सामग्री की दरों में आकस्मिक वृद्धि 25%						44401
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								44401
योग व्यय :-								222916
प्रति पोधा व्यय								22
सप्तम वर्ष रखरखाव कार्य (2030-31)								
1		फेन्सिंग मरम्मत कार्य						
1.1	PCCF Job Rate & RES SOR	फेन्सिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिघात)	43.04	Rm.	620.00	रुपये/र.मी.		26687
फेन्सिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय								26687
2		अनुसंधान एवं विकास						
2.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी रोपण तकनीकी कार्य वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियो ग्राफी, विशेष परामर्श आदि।	10.13	Hect	3000.00	रुपये/हे.		30384
2.2	special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन - रोपण क्षेत्र में रोपित पोधा की ऊंचाई एवं मोटाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	10128	Plants	2.10	रुपये/पोधा		21268.8
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय								51652.8
3		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का एकमात्र 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.51	12	26.00	मा.दि/माह	157.9968	54509
3.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड गेट आदि को मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						5064

सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय

59573

4		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
4.1		सामग्री/मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि 30%						41373

दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय

41373

योग व्यय :-

179286

प्रति मीटर व्यय

18

अष्टम वर्ष रखरखाव कार्य (2031-32)

1		फेंसिंग मरम्मत कार्य						
1.1	PCCF Job Rate & RES SOR	फेंसिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	43.04	Rm	620.00	रुपये/रमी.		26687
2		अनुसंधान एवं विकास						
2.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी रोपण, वनवैज्ञानिक कार्य, यत्न सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	10.13	Hect	3000.00	रुपये/हे.		30384
2.2	special Rate	अनुभव एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	10128	Plants	2:10	रुपये/पौधा		21268.8
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय								51652.8
3		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						

क्र.	कार्य क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का एकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.51	12	26.00	मा.दि/माह	157.9968	54509
3.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						5064
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय								59573
4		सामग्री/मजदूरी इतों में आकस्मिक वृद्धि						
4.1		सामग्री/मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि 35%						48270
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								48270
योग व्यय								186183
प्रति पीछा व्यय								18
नवम वर्ष रखरखाव कार्य (2032-33)								
1		फेंसिंग मरम्मत कार्य						
1.1	PCCF Job Rate & RES SOR	फेंसिंग मरम्मत कार्य (\$ प्रतिशत)	43.04	Rm.	620.00	रुपये/रमी.		26687
फेंसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय								26687
2		अनुसंधान एवं विकास						
2.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी रोपण तकनीक कार्य पन् सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण प्रचार-प्रसार फोटो एवं विडियोग्राफी विशेषज्ञ परामर्श आदि।	10.13	Hect	3000.00	रुपये/हे.		30384
2.2	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन - रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं प्रतिवेदन तैयार करना	10128	Plants	2.10	रुपये/पौधा		21268.8
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय								51652.8
3		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
3.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का एकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.51	12	26.00	मा.दि/माह	157.9968	54509
3.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						4456.32

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	मा.दि./रु.	राशि/इकाई	8	9
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय :-								58965
4		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
	4.1	सामग्री/मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि 40%						55775
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								55775
योग व्यय :-								193980
प्रति पौधा व्यय								19
दशम वर्ष रखरखाव कार्य (2033-34)								
1		फेन्सिंग मरम्मत कार्य						
	1.1	PCCP Job Rate & RES SOR फेन्सिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	43.04	Rm.	620.00	रुपये/रमी.		26687
फेन्सिंग मरम्मत पर व्यय								26687
2	2.1	Special Rate रोपण क्षेत्र के निरीक्षण उपरान्त आवश्यकतानुसार वनवर्धनिक कार्य प्रस्तावित किया जावे। (जैसे Invasive Alien Species का उन्मूलन, क्षेत्र सफाई, एकलीकरण आदि)	10.13	Hect	25.00	मा.दि./हे.	253.2	87354
अन्य कल्चरल आपरेशन कार्य:-								87354
3		अनुसंधान एवं विकास						
	3.1	Special Rate प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वनवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	10.13	Hect	3000.00	रुपये/हे.		30384
	3.2	Special Rate अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माई जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	10128	Plants	2.10	रुपये/पौधा		21268.8
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय								51652.8
4		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	4.1	Special Rate सुरक्षा अधिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.51	12	26.00	मा.दि./माह	157.9968	54509
	4.2	अन्य आकस्मिक व्यय: यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						7596
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय :-								62105

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
5.1		सामग्री/मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि 4.3%						90038
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								90038
योग व्यय :-								291159
प्रति वन्य व्यय								291
महायोग :-								10661867

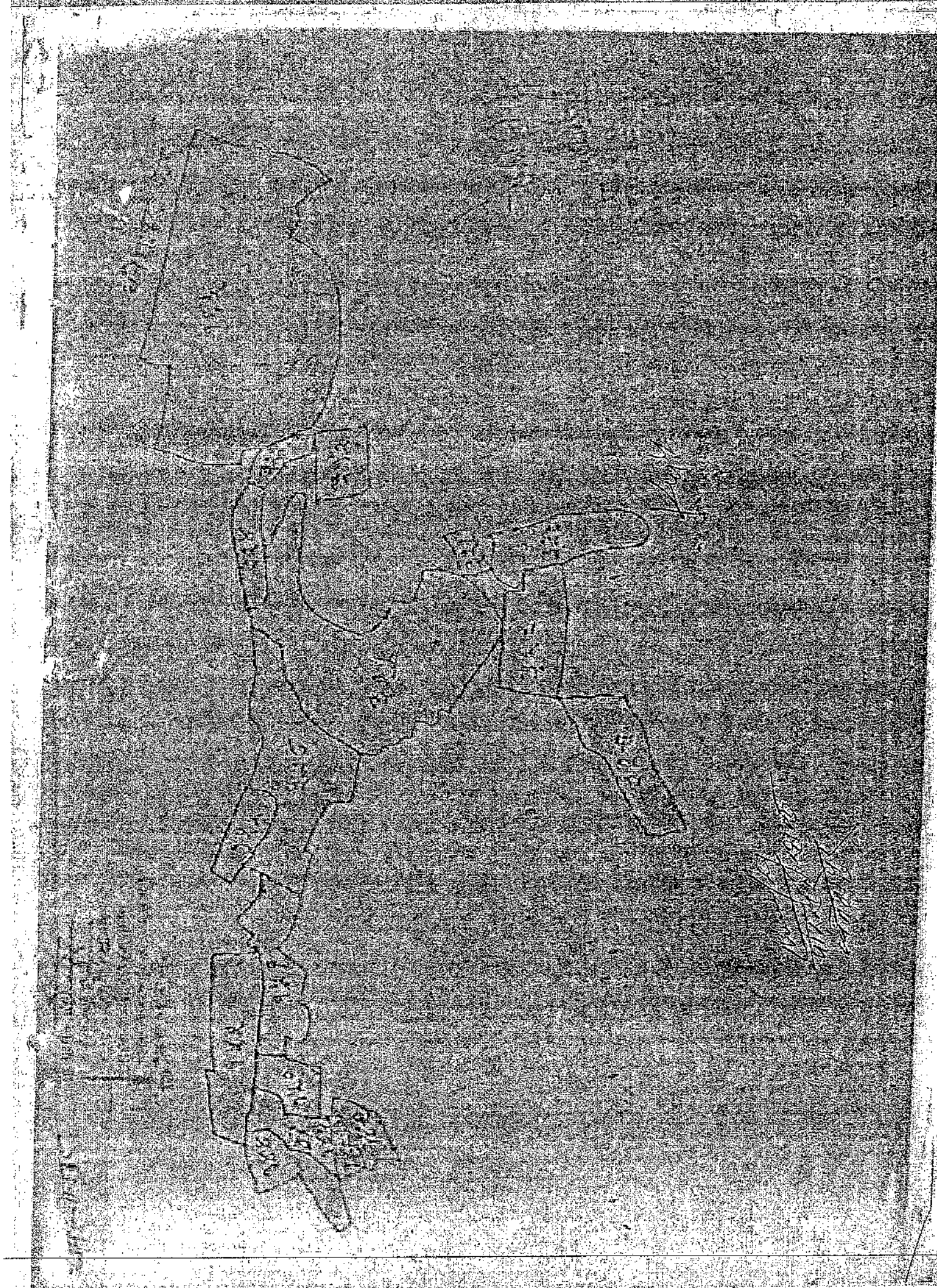
गोशाला

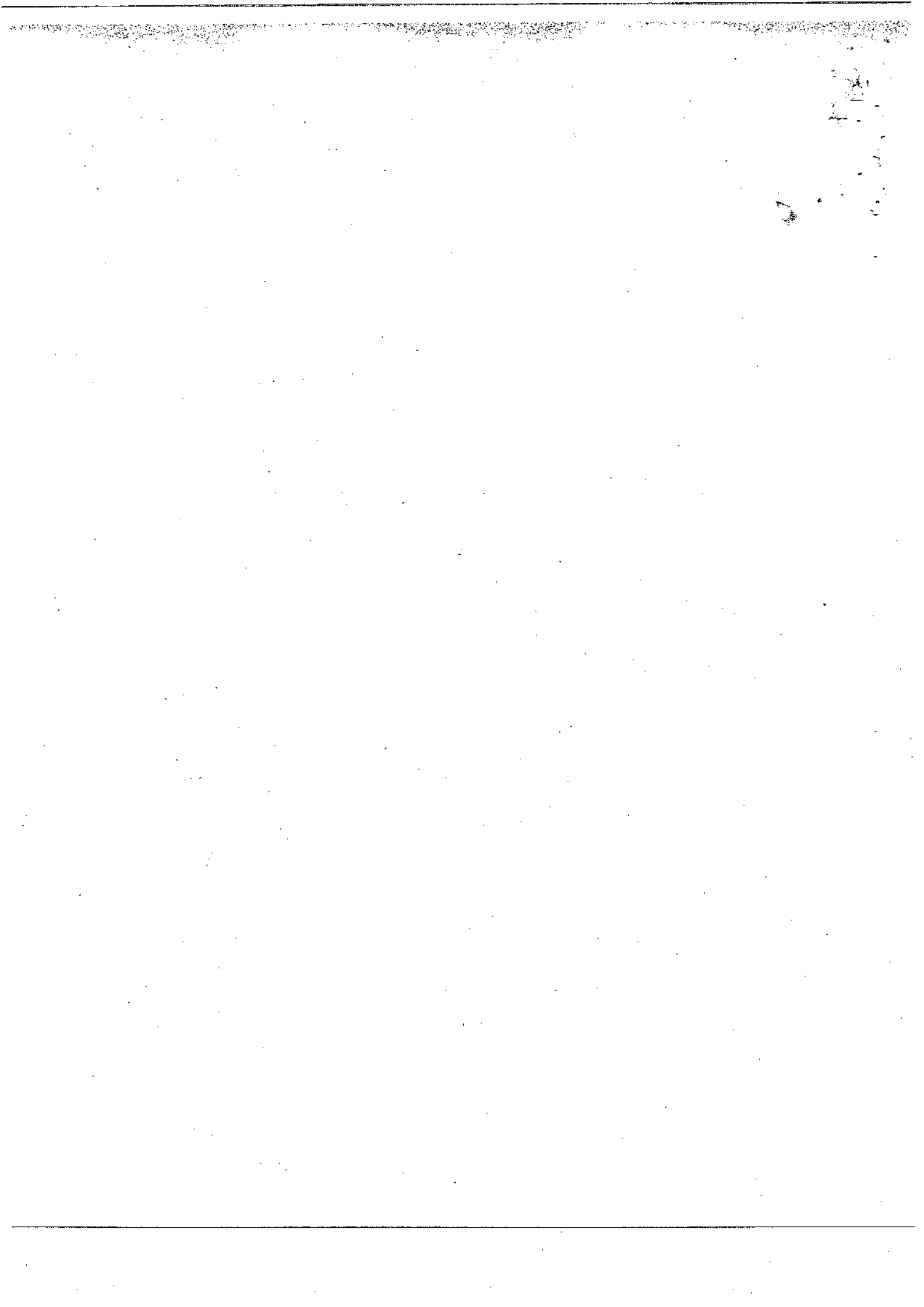
क्र.	वर्ष	रकबा (हे.)	राशि	प्रति फीव्डा व्यय (रु. मै)
1	प्रथम वर्ष (2024-25)	10.128	4725643.78	467
2	द्वितीय वर्ष (2025-26)	10.128	2029316.78	200
3	तृतीय वर्ष (2026-27)	10.128	1896073.01	187
4	चतुर्थ वर्ष (2027-28)	10.128	686334.05	68
5	पंचम वर्ष (2028-29)	10.128	252784.78	25
6	षष्ठम वर्ष (2029-30)	10.128	222015.89	22
7	सप्तम वर्ष (2030-31)	10.128	179285.86	18
8	अष्टम वर्ष (2031-32)	10.128	186183.02	18
9	नवम वर्ष (2032-33)	10.128	193080.19	19
10	दशम वर्ष (2033-34)	10.128	291149.62	29
योग (प्रथम से दशम वर्ष)			10661867	1053
राष्ट्रीय केम्पा नई दिल्ली हेतु 10-प्रतियोग राशि			1184652	
महायोग :-			11846519	

वन निरीक्षण अधिकारी
कुसमी

उपवनसमन्वयन अधिकारी
राजपुर

वनसमन्वयन अधिकारी
बलरामपुर





परियोजना प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ शासन



वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड खनिज लौह अयस्क परियोजना अंतर्गत
क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण
संस्थान का नाम - मैसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड ग्राम बोस्झारा,
उरला गुमा रोड रायपुर

परियोजना अवधि : 2024-25 से 2033-24

कार्य स्थल का विवरण

परिसर	—	कुचाग
उपवनक्षेत्र	—	सबागे
वन प्रबंधन समिति	—	डूमरखोली
खसरा क्रमांक	—	232, 222, 231, 240, 244, 248, 259, 224, 225, 261, 206, 228, 229, 242, 207, 220, 223

प्रस्तावित रकबा	—	24.813	ha.
प्राक्कलित राशि		29023269	

वन परिक्षेत्राधिकारी चान्दो

बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर

वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं अमूल रतन राय वनपरिक्षेत्राधिकारी चान्दो परिक्षेत्र, वनमण्डल बलरामपुर प्रमाणित करता हूँ कि ग्राम डूमरखोली खसरा न. 232, 222, 231, 240, 244, 248, 259, 224, 225, 261, 206, 228, 229, 242, 207, 220, 223 रकबा क्रमशः 1.307, 5.692, 0.397, 0.983, 1.347, 0.713, 0.543, 1.133, 1.267, 0.892, 0.898, 1.339, 1.587, 1.141, 1.028, 3.065, 1.481 कुल रकबा 24.813 हे. के परियोजना प्रतिवेदन में उल्लेखित समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी / वानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ।


वन परिक्षेत्राधिकारी
चान्दो

उपवनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं अशोक कुमार तिवारी उप वनमण्डलाधिकारी बलरामपुर उप वनमण्डल, बलरामपुर प्रमाणित करता हूँ कि ग्राम डूमरखोली खसरा न. 232, 222, 231, 240, 244, 248, 259, 224, 225, 261, 206, 228, 229, 242, 207, 220, 223 रकबा क्रमशः 01.307, 5.692, 0.397, 0.983, 1.347, 0.713, 0.543, 1.133, 1.267, 0.892, 0.898, 1.339, 1.587, 1.141, 1.028, 3.065, 1.481 कुल रकबा 24.813 हे. प्रतिवेदन में उल्लेखित समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके पर अवलोकन कर इस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप होना पाया गया मैं इस परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूँ।


उप वनमण्डलाधिकारी
बलरामपुर

परियोजना प्रतिवेदन
राज्य कैम्पा निधि से सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

(रोपण हेतु प्रस्तावित शीशम, बीजा, हल्दु एवं मुण्डी आदि प्रजाति)

ग्राम दूसरखोली

कुल रकबा - 24.813 हे.

कुल 15 खसरा

रकबा क्रमांक: (हे.)

232, 232, 231, 240, 244, 248, 250, 224, 225, 261, 206,
228, 229, 242, 207, 220, 223

1.307, 5.692, 0.397, 0.983, 1.347, 0.713, 0.543, 1.133, 1.267,
0.892, 0.898, 1.339, 1.587, 1.141, 1.028, 3.065, 1.481

मजदूरी दर

345.00

प्रति दिवस

प्रथम वर्ष (2024-25)

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मादि	कुल राशि
1	2	3	4	5	मादि/रु.	राशि/इकाई	3	9
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
1.1	PCCF Job Rate 1.1.1	क्षेत्र का सीमांकन - 3 मी. चौड़ी लाइन कटवाई, सफाई करना, जीपीएस से सर्वे कर के एम.एल. फाईल तैयार करते हुए, सीमा में छुटा लगाना।	24.813	Hect.	0.85	रु.दिवस/हे.	21.09105	7276.41225
1.2	PCCF Job Rate 1.1.2	वन सन्निधि उपचार मानचित्र बनाना तथा उपचार वर्ग को मानचित्र पर अंकित करना एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना	24.813	Hect.	0.25	रु.दिवस/हे.	6.20325	2140.12125
सर्वेक्षण एवं सीमांकन पर व्यय :-								9416.5335
2		केलिंग कार्य						
2.1		ग्रीडरेड आर.सी.सी. पोल द्वारा वैनबिक फेंसिंग कार्य (प्रति हेक्टेयर 85 रनिंग मीटर) क्षेत्र की कलिंग हेतु जीपीएस ट्रेकिंग से प्राप्त सीमालाइन (पेरिमीटर) के आधार पर फेंसिंग का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा इस हेतु मैपसोर्स (Map source) सॉफ्टवेयर से जीपीएस ट्रेकिंग मैप जिसमें Length of Perimeter के साथ Area दर्शाया जा रहा सुनिश्चित किया जावे।						
2.1.1	RES SOR 307	ग्रीडरेड आर.सी.सी. पोल गाड़ने हेतु कड़ी मिट्टी/कठोर मृल्लम में गड्ढा खुदाई अंतराल 3x3 मीटर सपोर्टिंग पोल हेतु सहित साइज - 0.40x0.40x0.40 = 0.064 Cmt. x 32	50.817	Cmt.	2477.70	Rs/Cmt.		12587
2.1.2	RES SOR 413 (c)	ग्रीडरेड आर.सी.सी. पोल गाड़ने हेतु खोदे गये गड्ढों में 140 सी.सी. का मिश्रण डालना एवं तबई (उपयोग 40 एमएम गिट्टी) 32x0.40x0.40x0.10 = 0.512Cmt.	12.704	Cmt.	3430.40	Rs/Cmt.		43581
2.1.3	CSIDC RC	ग्रीडरेड आर.सी.सी. पोल क्रय लम्बाई 24 मीटर 10 प्रतिशत सपोर्टिंग पोल सहित CSIDC Items code-700002957	794	No.	419.00	Rs/No.		332693
		GST 18%	794		75.42	Nos		59885
		Inspection Charge 0.6% + 18% GST	794	No.	2.97	Nos		2358

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि.
					मा.दि./ख.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.4	RES SOR 413, 416 (a)	प्रोस्टेस्ड आर.सी.सी. पोल गाड़ने हेतु खाई गये गड्ढों में 124 सी.सी. द्वारा पोल फिटिंग कार्य तैयार सहित (उपयोग 20 एमएस गिट्टी) $32 \times 0.40 \times 0.40 \times 0.30 = 1.536 \text{ Cmt.}$						
		(-) प्रोस्टेस्ड आर.सी.सी. पोल साइज $32 \times 0.30 \times 0.10 \times 0.10 = 0.096 \text{ Cmt.}$						
		Net-	35.73	Cmt.	4550.90	Rs/Cmt.		162607
2.1.5	CSIDC RC	21 मीटर लंबाई की 50x50mm फिट वाली 4mm diameter वाली जीआई तार से निर्मित वैनेलिक लोहे की जाली कार्य						
		CSIDC Items code 700000162 (85x2.10= 178.50sqm @ 4.5 kg/sqm = 803.25kg/ha.)	19931.04	kg	74.00	Rs/Kg.		1474897
		GST 18% +	19931.04	kg	13.32	kg		265481
		Inspection Charge 0.6% + 18% GST	19931.04	kg	0.52	kg		10364
2.1.6	LMR	वैनेलिक लोहे की जाली प्रोस्टेस्ड आर.सी.सी. पोल में 2mm diameter वाली जीआई तार/जीआई स्टेपल/जीआई यूनेल्स/स्टील पिन की सहायता से बांधकर टाइट करनी।	4429.12	Sqm.	2.00	मा.दि./100 मीटर	8858.241	30561
2.1.7	RES SOR 1335 (e)	लोहे की वैनेलिक जाली में 03" तह में बंध से बनामेल रीगन करना $85 \times 2.10 \times 2 = 357/10 = 35.70 \text{ Sqm.}$	885.82	Sqm.	163.30	Rs/Sqm.		144655
		योग						2539669
2.1.8	Special Rate	ड्रकैवल प्वाइंट से वैनेलिक जाली/प्रोस्टेस्ड आर. सी.सी. पोल/सीमेंट/रेत/गिट्टी कार्यस्थल तक परिवहन - सामग्री मूल्य का 2 प्रतिशत						50793
2.1.9		अन्य आकस्मिक व्यय कुल व्यय का 1 प्रतिशत						26199
		फेन्सिंग कार्य पर व्यय :-						2616661
		प्रति रूनींग मीटर फेन्सिंग कार्य पर व्यय						30784
		प्रति पौधा व्यय						26167

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल राशि	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3		जड़ भंडार क्षेत्र उपचार कार्य						
3.1	PCCF Job Rate 1.1.6	दूठ ड्रेसिंग-20 से.मी. से अधिक गोलाई वर्ग के कॉपिस प्रजाति के जीवित दूठ एवं मोलाई का प्रतिकर्तन एवं अनिलेशन	4.96	Hect	9.75	मा.दिवस/हे.	48	16692.9458
3.2	PCCF Job Rate 1.2.2	क्षेत्र की सफाई 20 से.मी. गोलाई तक की अनुपयोगी कॉपिस देने वाली प्रजाति की आड़ी-टोटी विकृत अग्रिम पौधों को कटाई एवं वृद्धों की ड्रेसिंग तथा सफाई	12.41	Hect	5.00	मा.दिवस/हे.	62.0325	21401
3.3	Special Rate CAMPA	Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र - वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species की जड़ों को गैती से खोदकर निकालना एवं गुथे हुए भिरों को खींचकर निकालना, निकालने के पश्चात् ड्रेसिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुखने के उपरान्त सुरक्षित रूप से जलाना (प्रथम वर्ष कार्य)	9.93	Hect	30.00	मा.दिवस/हे.	297.756	102725.82
3.4	Special Rate CAMPA	क्षेत्र में स्थित अनुपयोगी झाड़ियों एवं अनुपयोगी वृद्धों को खोदकर कार्य स्थल से बाहर हटाना।	7.44	Hect	50.00	मा.दिवस/हे.	372.195	128407.275
जड़भंडार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय :-								269227
4		रोपणी में पौधा तैयारी :-						
4.1	Special Rate	30x45 से.मी. पोलीथिन में शीर्ष तथा मध्य हिस्सा को निश्चित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से.मी. होना (15 प्रतिशत अधिक मात्रा के अनुमति सहित)	28333	Plants	66.00	रुपये/पौधे		1883306.7
नर्सरी में पौध तैयारी कार्य पर प्रथम वर्ष व्यय								1883306.7
5		रोपण क्षेत्र का उपचार						
5.2		स्टेकिंग कार्य :-						
5.2.1	PCCF Job Rate 1.4.3	3x3 मी. अंतराल में निश्चित पौध रोपण हेतु	24813	Pits	1.50	मा.दि/हजार	86.85	29962
स्टेकिंग कार्य पर व्यय :-								29962
5.3	Special Rate	मिट्टी परीक्षण	LS					24813
5.4		गड़बों की खुदाई						
5.4.1	PCCF Job Rate 1.5.2.3	निश्चित पौधा रोपण हेतु 3x3 मीटर की अन्तराल में 30x60x80 से.मी. साईज के कड़ी मिट्टी में गड़बा खुदाई कार्य (क्षेत्र में 50% कड़ी मिट्टी एवं 50% नरम मुख्यी मिट्टी मानकर दर निर्धारित किया गया)	24813	Pits	12.00	मा.दि/सेकड़	2977.56	1027258.2

क्र.	कार्य क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.4.2	Market Rate	गड्डों की 50 प्रतिशत मिट्टी परिवर्तन हेतु 8430 मिट्टी परिवहन 60x60x60 0.216 Cmtx1000=216.00 Cmt/2	2680	Cmt	325.00	रुपये/घ.मी.		870936.3
रोपण उपचार एवं गड्डे खुदाई कार्य पर कुल व्यय								1930637
6	PCCF Job Rate & RES SOR	मृ-जल संरक्षण कार्य- क्षेत्र के निरीक्षण उपरान्त आवश्यकानुसार मृ-जल संरक्षण संरचनाएं प्रस्तावित किया जाए (स्टेगर्ड कन्टूर ट्रेन्च, लूजबोल्डर चेक-डेम आदि निर्माण कार्य प्रस्तावित किया जा सकता है।)	24.81	Hect.	10000.00	रुपये/है.		248130
मृ-जल संरक्षण कार्य पर व्यय								248130
7		सिंचाई सुविधा का विकास प्रति 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 1 सोलर पंप की मान से						
7.1	Market Rate	पे-तल में पानी की जांच हेतु वाटर प्रोविडिबिलिटी टेस्ट करना	2.5		5500	प्रति बोर		13647.15
7.2	Market Rate	बोरवेल खुदाई कार्य कंप्लीट करिग सहित	2.5		137500	प्रति बोर		341178.75
7.3	Market Rate	सोलर पंप अथवा विद्युत चालित पंप या डीजल पंप की स्थापना गय समस्त उपकरण व पाईप आदि	2.5		440000	प्रति पंप		1091772
सिंचाई सुविधा विकास पर व्यय								1446597.9
8		अनुसंधान एवं विकास						
8.1		प्रशिक्षण - जल संयंत्रों में तकनीकी कार्य वन मुख्य आदि से संबंधित प्रशिक्षण प्रचार-प्रसार फाटो एवं डिजिटोफाणी, विरोध प्रशमन आदि।	24.81	Hect.	3000	रुपये/है.		74439
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय								74439
8.2		आस्था मूलक कार्य	24.81	Hect.	146968	रुपये/है.		2902326.98
आस्था मूलक कार्य पर व्यय								2902327
8.3		अग्नि सुरक्षा						
8.3.1	PCCF Job Rate 5.4.5 & 5.4.6	सम्पूर्ण क्षेत्र को 4 सेक्टर में विभाजित कर 3 मीटर चौड़ी अग्नि सुरक्षा पट्टी का निर्माण करना। (80 मी./है. की मान से)	1985	Mtr.	2.50	मा.दि./कि.मी.	4.9626	1712
8.4		अन्य व्यय						
8.4.1		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/चीकीदार हट-कन निर्माण	15					99252
8.4.2		निरीक्षण पथ का निर्माण	15					95840
क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य व्यय का योग								196804
कुल योग व्यय -								11577547
प्रति पट्टा व्यय								467

क्र.	कार्य क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7
द्वितीय वर्ष (2025-26)						
2		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय				
2.1	Special Rate	30×45 से.मी. पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे केंजुअल्टी सहित)	28535	Plants	22.00	रुपये/पौधे
2.2	Special Rate	30×45 से.मी. पॉलीपाट में 10 प्रतिशत मृत पौधे प्रतिस्थापन हेतु शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी प्रथम वर्ष व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधे)	2729	Plants	66.00	रुपये/पौधे
रोपणी में पौधा तैयारी कार्य का द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय						897911.28
3		रोपण क्षेत्र उपचार				
3.1		पौधा परिवहन				
3.1.1	Market/Tender Rate	30×45 से.मी. पॉलीपाट में मिश्रित एवं फलदार शीर्ष तथा मध्य वितान प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड्ढे तक पहुंचाना	28535	Plants	22.00	रुपये/पौधे
पौधा परिवहन पर व्यय :-						627768.9
4	4.1	पौधा रोपण				
4.1.1	Special Rate	पौधा रोपण कार्य 60×60×60 से.मी. आकार के गड्ढों में खाद एवं मिट्टी भरवाई सहित) 3.55 रोपण + 0.46 गड्ढा भरवाई प्रति मानव दिवस	24813	Plants	4.40	मा.दि/सेकंड
रोपण कार्य पर व्यय :-						1091.772
5	5.1	रोपण एवं निशार्ड के समय उपयोग हेतु खाद क्रय				
5.1.2	Market Rate	60×60×60 से.मी. आकार के गड्ढों में मिश्रित एवं फलदार पौध रोपण हेतु वर्मीकम्पोस्ट खाद का क्रय (5 कि.ग्रा. प्रति गड्ढा)	124065	Kg	11.60	रुपये/वर्मी
5.2		डी.ए.पी. रासायनिक खाद				
5.2.1	Market Rate	60×60×60 से.मी. आकार के गड्ढों में 50 ग्राम प्रति पौधा (मिश्रित एवं फलदार) के मान से रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	1241	Kg	33.00	रुपये/किलो
5.3		नीम खली का क्रय				
5.3.1	Market Rate	60×60×60 से.मी. आकार के गड्ढों में 150 ग्राम प्रति पौधा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग हेतु।	3722	Kg	44.00	रुपये/किलो

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
534	Market Rate	कीटनाशक क्लोरोपायरीफोस 1 एम.एल. प्रति बोधा को मात्र से रोपण के समय उपयोग।	74	Ltr	1100.00	रुपये/लि.		81882.9
535		रासायनिक खाद एन.पी.के. (निंदाई के समय)						
535.1	Market Rate	एन.पी.के. का उपयोग निंदाई के समय सागौन, मिश्रित एवं फलदार बोधों में प्रति बोधा 50 ग्राम प्रति निंदाई छेदकर उपयोग हेतु कुल 150 ग्राम के मान से कर्य।	3722	Kg	33.00	रुपये/किलो		122824.35
536	Market Rate	बोधा की अच्छी बढ़त के लिए मिट्टी परीक्षण लेब से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर वायोफास्फोरिक एसिड एवं एम्बोडिम का उपयोग।	24813	Plants	11.00	रुपये/बोधा		272943
खाद एवं कीटनाशक दवा क्रय पर व्यय :-								2047072.05
54		निंदाई कार्य						
54.1	PCCF Job Rate 4.11.1.2	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन परवात (जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह में) एक मीटर व्यास में की जावेगी। (अर्धचन्द्राकार थोला सहित) खाद प्रयोग सहित	24813	Plants	1.20	मा.दि./सैकड़ा	297.756	102725.82
54.2	PCCF Job Rate 4.11.2.2	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में प्रथम निंदाई के 20-25 दिन बाद माह अगस्त के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जावेगा। (2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	24813	Plants	2.00	मा.दि./सैकड़ा	496.26	171209.7
54.3	PCCF Job Rate 4.11.3.2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में सितम्बर माह के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में की जावेगी। खाद प्रयोग सहित (तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किये जाने पर भू सतह पर होने केपिलरी टूटने से भूमि सतह की तभी लम्बे समय तक बनी रहती है इसलिए तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किया जाना आवश्यक है)	24813	Plants	1.20	मा.दि./सैकड़ा	297.756	102725.82
निंदाई कार्य पर व्यय :-								376661.34
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								3428163.63
6		पानी सिंचाई कार्य						

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मात्रा	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6.1	पौधों की रोपण परेशात माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकता अनुसार यानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 05 हेक्टर पर 4 श्रमिक पत्रों की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुचाने का कार्य किया जावेगा। हरिवर ऊ.प. कोष भरनी, रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3x3 मीटर की अनुराज पर लगभग 1 हेक्टर में प्रति 1000 पौधों में पाईप की धारों से सिंचाई किया जाना संभव हो पाया था कन्वन्सर प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 182 मात्रा दिवस भर की आवश्यकता होती।						
	6.1.1	Special Rate माह नवम्बर से मार्च तक पन्द्रह दिवस की अवधि में एक सिंचाई	248	Time	1820	मा.दि./सिंचाई	4515966	155801
	6.1.2	Special Rate पम्प का रखरखाव एवं फ्लैक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	24.81	Hect	2000.00	प्रति हेक्टे		49626
सिंचाई पर कुल व्यय								205427
7		अन्य कल्थरल आपरेशन						
	7.1	Special Rate CAMEPA Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र - वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species की जड़ को गैली से खोदकर निकालना एवं गूथे हुए भिरों को खोदकर निकालना, निकालने के पश्चात ड्रैगिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना (द्वितीय वर्ष कार्य)	9.93	Hect	10	मा.दि./हे.	9925	34241.94
8		अनुसंधान एवं विकास						
	8.1	Special Rate अनुसंधान एवं मूल्यांकन - रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की छायाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना तथा अभिलेखीकरण	24813	No.	140	रुपये/नग		34738.2
	8.2	Special Rate प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वन्यवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	24.81	Hect	2500.00	रुपये/हे.		62031.5
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय								96770.7
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						

क्र.	कार्य दर नं.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 है। प्रत्येक एक श्रमिक साह अमेल से साह एक (सोपान क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टर) से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टर पर एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जाये।	24	12	26.00	मा.दि./माह	387.08	133544
9.2		अन्य आकस्मिक कार्य तथा साईनबोर्ड गेट आदि की मरम्मत/निर्माण तथा एवं प्रोप्रीएटर 50 या 100 रकबा कार्य						24813
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय								158357
10		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
10.1		मजदूरी/सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि 5%						240835
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								240835
योग व्यय								4971766
प्रति पोचा व्यय								200
तृतीय वर्ष रखरखाव कार्य (2026-27)								
1		फेंसिंग मरम्मत कार्य						
1.1	PCCF Job Rate & RES SOR	फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	210.9	Rm.	620.00	रुपये/रमी.		130765
फेंसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय								130765
2		रोपणी में पोषा तैयारी कार्य पर व्यय						
2.1	Special Rate	30x45 सेमी. पोलीपट में 10 प्रतिशत मृत पोषा प्रतिस्थापन हेतु शीर्ष तथा मध्य विभाग के मिश्रित एवं फलदार पोषा की तैयारी एवं रखरखाव हेतु द्वितीय वर्ष व्यय (रोपण के समय पोषा का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पोषा)	2729	Plants	22.00	रुपये/पोषा		60047.46
रोपणी कार्य पर तृतीय वर्ष व्यय								60047.46
3		रोपण क्षेत्र उपचार						
3.1		मृत पोषा प्रत्यारोपण कार्य (10 प्रतिशत)						
3.1.1	PCCF Job Rate 1.5.2.2	मृत पोषा से बने खाली स्थान पर शीर्ष एवं मध्य विभाग के मिश्रित एवं फलदार पोषा के रोपण हेतु गड्ढा खोदवाई 60x60 सेमी साईज नरम मिट्टी में	2481	Pits	10.50	मा.दि/सैकड़ा	260.5365	89885
3.1.2	Market/Tender Rate	पोषा का परिवहन (पोलीथीन साईज 30x45से.मी.)	24813	Plants	22.00	रुपये/पोषा		545886
3.1.3	Market Rate	कीटनाशक क्लोरोपायरीफॉस 3 एवं एल प्रति प्रीचा की मात्रा से उपयोग	7.44	Ltr	1100.00	रुपये/लिटर		8188.29
3.1.4	PCCF Job Rate 4.10.2.3	मृत पोषा से बने खाली स्थान पर खोद गए 60x60 सेमी साईज के गड्ढों में शीर्ष एवं मध्य विभाग के मिश्रित एवं फलदार पोषा का रोपण	2481	Plants	3.55	मा.दि/सैकड़ा	88.09	30390
मृतप्रत्यारोपण कार्य पर कुल व्यय								674349

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मादि	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	4.1	रासायनिक खाद एनपीके का क्रय						
	4.2.1	Market Rate रासायनिक खाद क्रय एनपीके 30 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय तीन बार उपयोग हेतु 150 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	3721.95	Kg	33.00	रुपये/किलो		122824.35
	4.2.2	Market Rate वर्मी कंपोस्ट खाद क्रय 200 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 03 बार उपयोग हेतु 600 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	14887.80	Kg	11.00	रुपये/किलो		163765.8
								286590.15
5	5.1	निंदाई कार्य						
	5.1.2	PCCF Job Rate 4.11.1.2 1. प्रथम निंदाई/गुड़ाई एक मीटर व्यास में की जावेगी जिसके साथ मृत् पौधों को बदलना, गुरिया तथा जैविक खाद डाला जाएगा। (अर्धचन्द्राकार थाला बनवाई एवं खाद प्रयोग सहित)	24813	Plants	1.20	मा.दि./सैकड़ा	297.756	102725.82
	5.1.3	PCCF Job Rate 4.11.2.2 2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई 1 मीटर चौड़ा पट्टी में एक माह बाद की जावेगी एवं थाला बनाया जावेगा (2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	24813	Plants	2.00	मा.दि./सैकड़ा	496.26	171209.7
	5.1.4	PCCF Job Rate 4.11.3.2 तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में की जावेगी। (थाला बनाया जावेगा)	24813	Plants	1.20	मा.दि./सैकड़ा	297.756	102725.82
निंदाई कार्य पर व्यय								376661.34
	5.1.5	special Rate रोपण क्षेत्र में औषधीय प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु पौधों तैयारी (05 x 7 सेमी. पॉलीपोट में) औषधीय प्रजाति के स्थानीय प्रजाति के पौधों को वरीकृत दो जावे जैसे सतावर, बार्डिबेन, तिरुवर, गिलोय, माहुल, सर्पगंधा एवं अदुसा आदि	27294	Plants	10.00	रु. प्रति पौधा		272943
	5.1.6	PCCF Norms 1.4.3 स्टेकिंग कार्य 3 x 3 मी. अंतराल पर	24813	Pits	3.50	मा.दि./हजार	86.8455	29962
	5.1.7	PCCF Norms 1.5.1.1 गड्डों की खुदाई --रोपण हेतु 3 मी. X 3 मी. अंतराल पर 30 सेमी. x 30 सेमी. x 30 सेमी. साइज के कड़ी मिट्टी में गड्डा खुदाई कार्य	24813	Pits	3.00	मा.दि./सैकड़ा	744.39	256815
	5.1.8	Local Rate औषधीय प्रजाति के पौधों के रोपण के समय उपयोग हेतु वर्मीकम्पोस्ट, कम्पोस्ट का क्रय (1 कि.ग्रा. वर्मी कम्पोस्ट/2 कि.ग्रा. कम्पोस्ट)	24813	kg	12.00	प्रति कि.ग्रा.		297756
	5.1.9	special Rate पौधा परिवहन - (08 X 10 सेमी. पॉलीपोट में तैयार किए गए औषधीय प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड्डे तक पहुंचाना	27294	Plants	4.00	प्रति पौधा		109177
	5.1.10	PCCF Norms 4.10.2.1 पौधा रोपण - दोना पौधों को गड्डों तक पहुंचाना, आवश्यकता अनुसार कीटनाशक और खाद डालना पौधों के चारों तरफ सफाई करना एवं रोपण करना	24813	Plants	1.65	प्रति सैकड़ा	409.4145	141248

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मादि	कुल राशि
					मादि/रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.11	PCCF Norms 4.11.12	प्रथम निदाई - एक मीटर व्यास में गोत निदाई, गुता पोधा को बदलना एवं गुड़ाई करना (अर्धचन्द्राकार थाला सहित) रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद आवश्यकतानुसार जाता जायेगा।	24813	Plants	1.20	प्रति सैकड़ा	297.756	102726
5.1.12	PCCF Norms 4.11.22	द्वितीय निदाई - 1 मीटर चौड़ा पट्टी में की जायेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद आवश्यकतानुसार जाता जायेगा।	24813	Plants	2.00	प्रति सैकड़ा	496.26	171210
5.1.13	PCCF Norms 4.11.32	तृतीय निदाई एवं गुड़ाई - 1 मीटर व्यास में गोत निदाई की जायेगी। खाद प्रयोग सहित। (तृतीय निदाई के साथ गुड़ाई किया जाने पर भू सतह पर बने कोमलरी टूटने से मृत्ति सतह की नमी लम्बे समय तक बनी रहती है इसलिए तृतीय निदाई के साथ गुड़ाई किया जाना आवश्यक है)	27294	Plants	2.00	प्रति सैकड़ा	545.886	188331
5.1.14	PCCF Norms 4.8.1	नया जल संरक्षण कार्य स्थलों पर अरबगंधा, कालमेघ, मोईगीम, केवाच आदि की बीज बोवाई	9305	Rm.	0.25	प्रति सैकड़ा	23.26	8025
5.1.15	PCCF Norms 4.8.2	लाईव हेज निर्माण - अनेब, नागफनी, गटोसन, जटोकी आदि का फंसिंग के किनारे दो लाईन में बीज बोवाई/रोपण	4218	Rm.	1.25	प्रति सैकड़ा	52.73	18191
5.1.16	special Rate	स्टीरिया, तिखुर, सर्पगंधा, शतावर, गिलोय, बाईबीडन, अदुसा, सवाईवाल, लैंगेनप्रास, खस, बस आदि के कटिंग/नये पौधे/कंद तैयार करना	62033	per plant	6.00	प्रति पौधा		372195
5.1.17	special Rate	रोपण क्षेत्र में 1 x 1 मी. के अंतराल पर स्टीरिया, तिखुर, सर्पगंधा, शतावर, गिलोय, बाईबीडन, अदुसा, सवाईवाल, लैंगेनप्रास, खस, बस आदि के कटिंग/नये पौधे का रोपण	62033	per plant	0.27	मादि/सैकड़ा	167.49	57783
औषधीय प्रजाति के साकोय/झाड़ी/बेला प्रजाति के पौधों के रोपण पर व्यय							2026361	
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-							3363962	
6		मू-जल संरक्षण संरचनाओं का रखरखाव कार्य						
6.1	PCCF Job Rate & RES SOR	मू-जल संरक्षण संरचनाओं का रखरखाव कार्य	24.81	Hect.	1000.00	रुपये/हे.		24813
जल संवर्धन कार्य पर व्यय							24813	
7		पानी सिंचाई कार्य						

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल प्राप्ति
1	2	3	4	5	मा.दि./हे.	राशि/इकाई	6	7
7.1		पानी की आपूर्ति परिसर गाह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पम्पों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जायेगा। इस हेतु प्रति 05 हेक्टेयर 4 अधिक पानी की आवश्यकता है। पानी की कठोरता से पम्पों तक पहुँचाने का कार्य किया जायेगा। दरिदर क्षेत्रों में पानी संचालन 2012 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण अधिकारी के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 283 सोलर पंपों के अन्तर्गत पर लगभग 1 हेक्टेयर में प्रति 1000 पौधों में पानी की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था। उत्पन्न प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.02 मानव दिवस की आवश्यकता होगी।						
7.1.1	special Rate	गाह अप्रैल से जून तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	223.32	Times	1.820	मा.दि./संकज्ञ	406.4369	140321
7.1.2	special Rate	गाह नवम्बर से मार्च तक 15 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	248.13	Times	1.820	मा.दि./संकज्ञ	451.5966	155801
7.1.3	special Rate	पम्प का रखरखाव एवं फ्लोक्वैलिटी प्राइम आदि पर आकस्मिक व्यय	24.81	Hect	2000.00	प्रति हेक्ट		49626
सिंचाई पर कुल व्यय							345648	
8		अन्य कल्चरल आपरेशन						
8.1	Special CAMPA Rate	Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र - वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species को जड़ को गैली से खोदकर निकालना एवं गुंथे हुए मिर्चों की खींचकर निकालना, निकालने के पश्चात् ड्रेनिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना (पुलिय वर्ष कार्य)	9.93	Hect	3.00	मा.दि./हे.	29.7756	10273
8.2		एकलीकरण कार्य						
8.2.1	PCCF Job Rate 1.23	जीपिब दुर्गों से निकले मल्टीपल शूटों में से एक या दो स्वस्थ कॉपिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कॉपिस की कटाई एवं सफाई कार्य	2.48	Hect	1.00	मा.दि./हे.	9.4439	2568
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत कॉपिस का एकलीकरण कार्य पर व्यय							12841	
9		अनुसंधान एवं विकास						
9.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वनकर्मिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	24.81	Hect	3000.00	रूपये/हे.		74439

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
	9.2	Special Rate अनुसंधान एवं मूल्यांकन - रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए आटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	24813	Plants	2.10	रुपये/पौधा	52107.3
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय							126546.3
10		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य					
	10.1	Special Rate सुरक्षा श्रमिक 20 रु. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक रोपण क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टर पर एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे	124	12	26.00	मा.दि/माह	387,082.8
	10.2	Special Rate अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य					24813
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय							158357
11		सातवीं/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि					
	11.1	सातवीं/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि 10%					422288
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय							422288
योग व्यय :-							4645267
प्रति पौधा व्यय							187
चतुर्थ वर्ष रखरखाव कार्य (2027-28)							
1	1.1	फेंसिंग मरम्मत कार्य					
	1.2	PCCF Job Rate & RESSOR फेंसिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	103.46	Rm	620.00	रुपये/इमी.	65382
2	2.1	निंदाई					
	2.1.2	FCCE Job Rate 4.11.1.2 प्रथम निंदाई/गुंदाई एक मीटर घाला में से की जावेगी जिसके साथ नियमित मात्रा में दूरिया तथा जैविक खाद डाला जाएगा। (अर्धचन्द्राकार घाला बनवाई एवं खाद प्रयोग सहित)	24813	Plants	4.20	मा.दि/सैकड़ा	297.756
	2.1.3	PCCF Job Rate 4.11.2.2 द्वितीय निंदाई/गुंदाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी एवं थलवा बनाया जावेगा (2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	24813	Plants	2.00	मा.दि/सैकड़ा	496.26
	2.1.4	Market Rate बर्फी कम्पोस्ट खाद क्रय 250 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 02 बार उपयोग हेतु 500 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	12407	Kg	11.00	रुपये/किलो	136471.5
	2.1.5	Market Rate रासायनिक खाद क्रय एनपीके बड़े पौधों में 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय दो बार उपयोग	24813	Kg	33.00	रुपये/किलो	81882.9

क्र	कार्य दर क्र	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मादि	कुल रशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					मादि / रु	रशि / इकाई		
2.1.6	PCCF Job Rate 4.11.1.2	औषधीय प्रजाति के रोपित पौधों में प्रथम सिंचाई/गुड़ाई एक मीटर व्यास में की जावेगी जिसके साथ निधारित मात्रा में यूरिया तथा जैविक खाद डाला जाएगा। (अर्धचन्द्राकार आला, बनवाई एवं खाद प्रयोग सहित)	24813	Plants	1.20	मादि/सैकड़ा	297.756	102725.82
2.1.7	PCCF Job Rate 4.11.2.2	औषधीय प्रजाति के रोपित पौधों में द्वितीय सिंचाई/गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी एवं आला बनाया जावेगा (2 मादि प्रति सैकड़ा)	24813	Plants	2.00	मादि/सैकड़ा	496.26	171209.7
सिंचाई कार्य पर कुल व्यय :-								766225.44
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								766225
5								
6		पानी सिंचाई कार्य						
6.1		पौधों की रोपण परबात माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 05 हेक्टेयर 4 अमिक पानी की बार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छा.ग. कोष भरती रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो अमिकों के द्वारा 3x3 मीटर की अन्तर्फल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था। तदनुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानक दिवस अम की आवश्यकता होगी।						
6.1.1	Special Rate	माह अप्रैल से जून तक 10 दिवस की अन्तर्फल में एक सिंचाई	223.32	Times	1.820	मादि/सैकड़ा	406.4369	149221
6.1.2	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक 10 दिवस की अन्तर्फल में एक सिंचाई	248.13	Times	1.820	मादि/सैकड़ा	451.5966	155801
6.1.3		पम्प का रखरखाव एवं फ्लेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	24.81	Hect	2000.00	प्रति हेक्ट		49626
पानी सिंचाई पर व्यय								345648
7		अनुसंधान एवं विकास						
7.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वनवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	24.81	Hect	3000.00	रुपये/हे		74439
7.2	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन - रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाला एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	24813	Plants	2.10	रुपये/पौधा		52107.3
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय :-								126546.3

क्र.	कार्य दर का	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मात्रा	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
8.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक मास अग्रेत से मार्च तक रोपण क्षेत्र को रक्षा 20 हेक्टर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे।	124	12	26.00	मा.दि./मास	387.0828	113544
8.2		अन्य आकस्मिक ध्वज यथा साइनबोर्ड गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं जोकीदार हट का रखरखाव कार्य						24813
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								158357
9		सागरी/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
9.1		सागरी/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि 15%						219320
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								219320
योग व्यय :-								1681476
प्रति बीघा व्यय								68
पंचम वर्ष रखरखाव कार्य (2028-29)								
1		फसिंग मरम्मत कार्य						
1.1	PCCF Job Rate & RES SOR	फसिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	105.46	Rm.	620.00	रुपये/ए.बी.		65382
फसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय								65382
2		पानी सिंचाई						
2.1		पौधों की रोपण पश्चात् मार्च नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जाएगा। इस हेतु प्रति 05 हेक्टर 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं बाढ़प की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। हरियर रंग की बरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आकृति के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3x3 मीटर की अंतराल पर लगभग 1 हेक्टर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाता समय दो पाया था तदनुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 182 मानव दिवस की आवश्यकता होगी।						
2.1.1	Special Rate	मार्च अप्रैल से मई तक 10 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई	148.88	Times	1,820	मा.दि./सैकड़	270.958	93480
2.1.2		पंप का रखरखाव एवं फ्लेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	24.81	Hect	2000.00	प्रति हेक्टे.		49626
पानी सिंचाई पर व्यय								143106
5		मृ-जल संरक्षण संरचनाओं का रखरखाव कार्य						
6		अनुसंधान एवं विकास						
6.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी रोपण वनवर्धनिक कार्य वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण प्रचार-प्रसार फोटो एवं विडियो ग्राफी, डिरोबल प्रसारण आदि।	24.81	Hect	3000.00	रुपये/हे.		71439

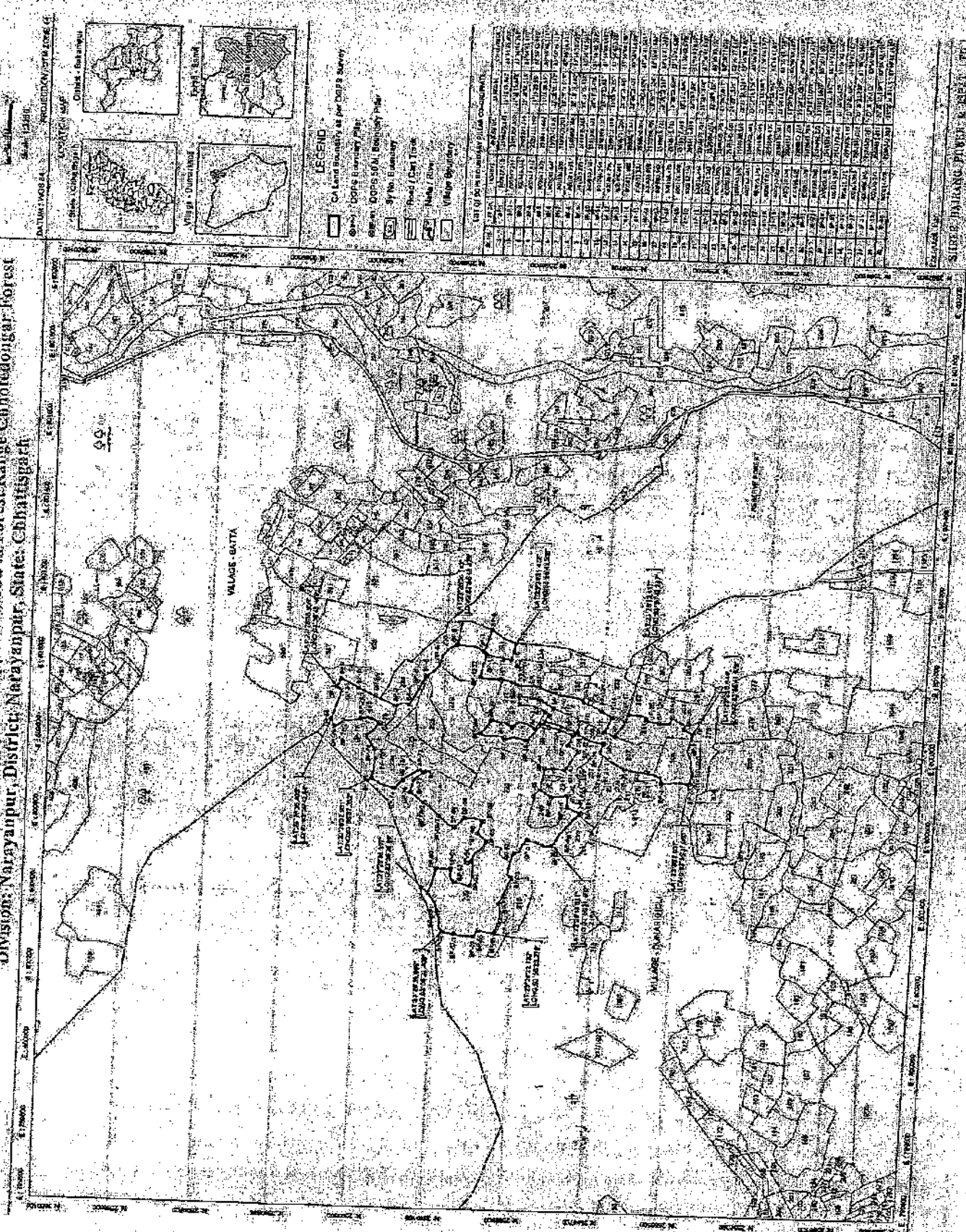
क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	मा.दि./रु.	राशि/इकाई	8
6.2	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डेटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	24813	Plants	2.10	रुपये/पौधा	52107.3
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय							126546.3
7		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य					
7.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	124	12	26.00	मा.दि./माह	3870828
7.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य					18609.75
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय							152153
8		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि					
8.1		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि 20%					132119.3
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय							132119.3
योग व्यय :-							619308
प्रति पीछा व्यय							25
षष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य (2029-30)							
1		फसिंग मरम्मत कार्य					
1.1	PCCF Job Rate & RES-SOR	फसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	210.91	Rm	620.00	रुपये/रमी	130765
2	2.1	कटाई सफाई कार्य					
2.1.1	PCCF Job Rate 1.24	जीवित हटा से निकले मल्टीपल शूटों में से एक या दो स्वस्थ कानिसे को रखते हुए अन्य कपजोर व विकृत कानिसे की कटाई एवं सफाई कार्य	24.81	Hect	3.00	मा.दि./हे.	74439
अन्य कल्चरल अपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय							25681.455
3		अनुसंधान एवं विकास					
3.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वनव्यधिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण प्रचार-प्रसार फीटों एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि	24.81	Hect	3000.00	रुपये/हे.	74439
3.2	special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डेटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	24813	Plants	2.10	रुपये/पौधा	52107.3
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय							126546.3
4		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य					

क्र.	कार्य चक्र क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मात्रा	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Special Rate	सुरक्षा अभिक 20 हे. तक एक अभिक माह अप्रैल से मार्च तक रोपण क्षेत्र का कक्का 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक अभिक कार्य पर नियोजित किया जावे।	124	12	26.00	मा.दि./माह	387.0828	133544
4.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साइनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						18609.75
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय :								152153
5		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
5.1		मजदूरी/सामग्री की दरों में आकस्मिक वृद्धि 25%						108730
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								108730
योग व्यय :-								543926
प्रति शेका व्यय								22
सप्तम वर्ष रखरखाव कार्य (2030-31)								
1		फेन्सिंग मरम्मत कार्य						
1.1	PCCF Job Rate & RES SOR	फेन्सिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	105.46	Rm.	620.00	रुपये/रमी.		65382
फेन्सिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय								65382
2		अनुसंधान एवं विकास						
2.1	Special Rate	प्रशिक्षण — जलसिरी, रोपण, वनवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	24.81	Hect	3000.00	रुपये/हे.		74439
2.2	special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलार्ध वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अमिलेख तैयार करना	24813	Plants	2.10	रुपये/पौधा		52107.3
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय								126546.3
3		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल नाप	कुल राशि	
1	2	3	4	5	मा.दि./रु.	शशि/इकाई	8	9	
	3.1	Special Rate	सुरक्षा अभिक 20 हे. तक एक अभिक माह अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का एकमात्र 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक अभिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	1.24	12	26.00	मा.दि./माह	387.0828	133544
	3.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						124065
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय :-								145950	
4		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
	4.1		सामग्री/मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि 30%						101361
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								101361	
योग व्यय :-								439248	
प्रति पीघा व्यय								18	
अष्टम वर्ष रखरखाव कार्य (2031-32)									
1		फेंसिंग मरम्मत कार्य							
	1.1	POCF Job Rate & RES SOR	फेंसिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिघात)	105.46	Rm	620.00	रुपये/रमी		65382
2		अनुसंधान एवं विकास							
	2.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वनवर्धनिक कार्य, यम सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण प्रचार-प्रसार फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	24.81	Hect	3000.00	रुपये/हे.		74439
	2.2	special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं मोटाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	24813	Plants	2.10	रुपये/पौधा		52107.3
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय								126546.3	
3		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य							

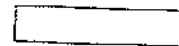
क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मात्रा	कुल राशि	
					मा.दि./स.	राशि/इकाई			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	3.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का एकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	124	12	26.00	मा.दि/माह	387.0828	133544
	3.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं बीकीदार हट का रखरखाव कार्य						12406.5
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय :									145950
4			सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
	4.1		सामग्री/मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि 35%						118259
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय									118259
योग व्यय :-									456137
प्रति बीघा व्यय									18
नवम वर्ष रखरखाव कार्य (2032-33)									
1			फेंसिंग मरम्मत कार्य						
	1.1	PCCF Job Rate & RES SOR	फेंसिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	105.46	Rm.	620.00	रुपये/रमी.		65382
फेंसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय									65382
2			अनुसंधान एवं विकास						
	2.1	Special Rate	प्रशिक्षण नर्सरी रोपण जनशक्ति कार्य वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण प्रचार-प्रसार फोटो एवं विडियोग्राफी विशेषज्ञ परामर्श आदि।	2481	Hect	3000.00	रुपये/हे.		74439
	2.2	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की कवाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	24813	Plants	2.10	रुपये/पौधा		52107.3
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय									126546.3
3			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	3.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का एकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	124	12	26.00	मा.दि/माह	387.0828	133544
	3.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं बीकीदार हट का रखरखाव कार्य						10917.72

in Village - Dumiarholi, Tehsil - Saurat, District - Bafampur, State - Chhattisgarh
 against Diversion of 57 ha. Mining Lease Area and 9.02 ha. Approach Road in Forest Range Chhotodongar Forest
 Division: Narayanpur, District: Narayanpur, State: Chhattisgarh





ONE BOUNDARY -



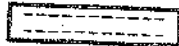
REA -



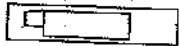
UMP AREA -



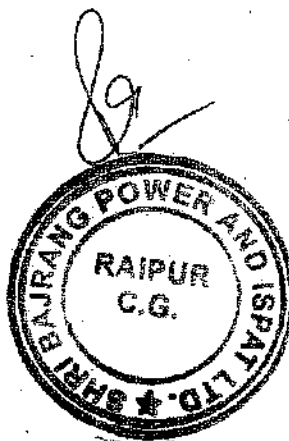
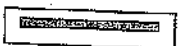
THIN ML BOUNDARY



UCTURE -



CH ROAD -



ANG POWER AND ISPAT LTD

D LAND USE PLAN

E DONGAR, RANGE - CHHOTE DONGAR,
N - NARAYANPUR, DISTRICT- NARAYANPUR

S'ri Bajrang Power And Ispt Li

Legend

Map showing Existing working Mine within 3 km. from the

Hikpulla

Proposed Approach Road

Google Earth

Image © 2024 Maxar Technologies

Image © 2024 CNES / Airbus

Image © 2024 Airbus

2 km

